Wednesday, 20 February, 1963

लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड १३, १९६३ / १८८४ (शक)

१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३ / २९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
21-5-98
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

Chamber Fumigated 18.10.73

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १३ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

तृतीय माला, खण्ड १३–अंक १ से १०—१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३/२९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)

अंक १—सोमवार, १८ फरवरी, १९६३/२९ माघ, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना — १–३

राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया — ४–९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — १०–११

बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना — १२

संविधान संशोधन विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना — १२–१३

दैनिक संक्षेपिका — १४–१६

अंक २—मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३ / ३० माघ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ६, और ९ से १२ — १७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, १३ से २७ और ३० — ४२–५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५० — ५१–७२

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ७२

जमुना कोयला खान में हुई दुर्घटना — ७२–७४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — ७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ७४–७७

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ — ७७

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१ — ७७

कार्य मंत्रणा समिति	७७
बारहवां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	७८
बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन	
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	७८
रेलवे आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित	
श्री स्वर्ण सिंह	७८–१००
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये व्यवहार की जांच के लिये समिति	१००–०१
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक	१०१
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१०१–०४
खंड २ और १	१०४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०४
कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक	१०५–११६
विचार करने का प्रस्ताव	
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव	११६–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९–३६

अंक ३—बुधवार, २० फरवरी, १९६३/१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ४२	१३९–६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५५	१६२–७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ८६, ८८, ८९, ९१ और ९२	१७०–८६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१८७
कारीगरी और स्वर्णकारों में कथित बेकारी	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७
प्राक्कलन समिति	१८७–८८
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन	
सभापति तालिका	१८८
कार्य मंत्रणा समिति	१८८
बारहवां प्रतिवेदन	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	१८९–२३४
दैनिक संक्षेपिका	२३५–३८

अंक ४—शुक्रवार २१ फरवरी १९६३ / २ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . २३९—६४

तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८२ . . . २६५—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ से १०० और १०२ से १२४ . २७२—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८५—८७

अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्टमंडल का भारत आगमन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . . २८७

लोक लेखा समिति २८७

छठा प्रतिवेदन

सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका . २८७

संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक—पुरस्थापित . . . २८७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . २८८—३१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१६—१९

अंक ५—शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९४, ९६ से ९९ और १०१ से १०४ . ३२१—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और १०० . . . ३५२—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ से १२९, १३१, १३३ से १४८ और १५० . ३५३—६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६४—६५

प्रस्तावित मलयेशिया संघ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६५—६७

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा पटल पर रखी गई ३६८

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन ३६८

सभा का कार्य ३६८

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ३६९—८६

विधेयक पुरस्थापित — . . . . ३८६—८७

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा १३ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्या का]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, (धारा ४ और ६ का संशोधन) . ३८७—९८
[श्री श्यामं लाल सर्राफ का]

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का] ३९८—४०८

विचार करने का प्रस्ताव

बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) . ४०८
[श्री दी० चं० शर्मा का]

परिचालित करने का प्रस्ताव ४०८

कार्य मंत्रणा समिति ४०८

तेरहवां प्रतिवेदन

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०९—१४

अंक ६—सोमवार २५ फरवरी १९६३ / ६ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से ११४ . . . ४१५—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५ से १३२ . . . ४४०—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १७६ और १७८ से १९५ . ४५३—७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४७१—७२

(१) मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की एक टंकी का फट जाना

(२) बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७२
कार्य मंत्रणा समिति
तेरहवां प्रतिवेदन ४७३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ४७३—५३१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३२—३६

अंक ७—बुधवार २७ फरवरी १९६४ / ८ फाल्गु १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३४, १४८ और १३५ से १४३ . ५३७—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १४७ और १४९ से १५२ . ५६२—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ से २३३ . . . ५६५—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८०—८४
(१) १८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का कथित अनधिकृत प्रवेश
(२) बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बारे में वक्तव्य
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८४—८५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन ५८५
निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रायायत के बारे में वक्तव्य . ५८६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ५८७—६३४
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३५—३९

अंक ८—गुरुवार २८ फरवरी १९६३ / ९ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १५३ से १६६ . . . ६४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ६६७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७० और १७२ . . ६६९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ से २३९ और २४१ से २६० . ६७१—८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६८३—८४

समुद्रीय बीमा विधेयक ६८५

संयुक्त समिकिता प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ६८५

तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ . . ६८६—९८

कृषि पुर्दवित निगम विधेयक . . . ६९८—७२४

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ४७ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६३-६४—उपस्थापित . ७२४—४७

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ७४८—४९

(१) वित्त विधेयक, १९६३

(२) अधिलाभ कर विधेयक, १९६३

(३) अनिवार्या जमा योजना विधेयक, १९६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ७५०—५४

शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गुन, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

डा० राजेन्द्र प्रसाद का निधन . . . ७५५—५९

दैनिक संक्षेपिका ७६०

अंक १०—शनिवार २ मार्च १९६३ / ११ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से २०६ और २०९ . . ७६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७३ से १९३, २०७, २०८ और २१० से २२२ ७८७—८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६२, २६४, २६६, २६७, २६९ से ३७० और ३७२ से ३९० . ८०२—५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनीपुर के रास्ते भारत में नागा विद्रोहियों का कथित प्रवेश . . ८५९—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ८६१—६३

राष्ट्रपति का संदेश ८६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति ८६४

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . ८६४

राज्य सभा से संदेश ८६४

सभा का कार्य ८६४–६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पुरस्थापित . . ८६५–६६

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . ८६६—८६

दैनिक संक्षेपिका .

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2961 (Ai) LSD—11-5-63—160.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २० फरवरी, १९६३

१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नो कें मौखिक उत्तर

विश्वविद्यालयों की स्थापना

†*३१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की इच्छा के अनुसार राज्यों ने आपातकालीन स्थिति के कारण विश्वविद्यालयों की स्थापना स्थगित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना स्थगित कर दी गई है;

(ग) क्या किसी राष्ट्रीय संस्था का निर्माण भी स्थगित किया गया है; और

(घ) सभी विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना स्थगित किये जाने से कुल कितनी बचत होगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार को विश्वविद्यालयों को दी गई राशि में कटौती होने की जानकारी है और, यदि हां, तो विश्वविद्यालय इस कटौती को कैसे पूरा करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस प्रश्न का सम्बन्ध भविष्य से है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समायोजन करेगा। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि भविष्य में वे समायोजन कैसे होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

2802 (Ai)LSD—1.

†**श्री सुबोध हंसदा :** मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रश्न के भाग 'ख' में पूछा गया है कि क्या किसी राष्ट्रीय संस्था का निर्माण भी स्थगित कर दिया गया है। क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि संस्था बनाई जायेगी या नहीं और केवल निर्माण-कार्य स्थगित कर दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि मैं ने समझा है, प्रश्न यह था कि क्या किसी राष्ट्रीय संस्था का निर्माण स्थगित कर दिया गया है। कुछ संस्थायें इस मंत्रालय के अधीन हैं और कुछ संस्थायें अन्य मंत्रालयों के अधीन हैं। मेरे मंत्रालय में, कुछ संस्थाओं के निर्माण का काम स्थगित कर दिया गया है। हम ने यथासंभव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अनिवार्य कामों में कटौती न हो, हालांकि निर्माण-कार्य रुक गया है।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या सरकार की नीति यह नहीं है कि यथासंभव आपातकाल में भी शिक्षा की योजनाओं को स्थगित न किया जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सामान्य नीति यह है कि यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हेरफेर हो सकता है, परन्तु समूचे रूप में शिक्षा को आपातकाल में और बाद में भी कम न करके बढ़ाना है।

†**श्री बड़े :** मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि जानकारी राज्यों से एकत्रित की जा रही है। क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से सिफारिश की है कि इन्दौर और ग्वालियर विश्वविद्यालय न खोले जायें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने और न शिक्षा मंत्रालय ने यह सिफारिश की। इस विषय पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार-विमर्श हुआ था, जिसमें अनेक सुझाव दिये गये थे। उनमें एक सुझाव यह था कि शायद विश्वविद्यालय और कला-कालेजों के खोलने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को यह बात केवल सुझाव रूप में कही गई थी। हम नहीं जानते कि राज्य सरकारों ने इसे कहां तक माना है। जहां तक मुझे विदित है, कुछ राज्य सरकारें विश्वविद्यालय खोल रही हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह बात ध्यान में रख कर कि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना स्थगित कर दी गई है, क्या उन विश्वविद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों को विद्यमान विश्वविद्यालयों में जाने की अनुमति दी जायेगी या कालेजों में प्रवेश-संख्या कम करने की सदैव कोशिश की जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बात पर भी विचारविमर्श किया गया था और सुझाव दिया गया था कि दो पारियों आदि का प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की हानि न हो।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या मदुरै में नया विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और क्या वह आपातकाल में खुलेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बारे में प्रत्येक राज्य को निश्चय करना होगा।

राष्ट्रमण्डल विज्ञान समिति

†*३२. **श्री श्रीनारायण दास : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल विज्ञान समिति के हाल में भारत में हुए अधिवेशन की कार्यवाही के विवरण का अध्ययन किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) समिति की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें अथवा निष्कर्ष हैं जिनका हमारी राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थाओं अथवा संगठनों के कार्य पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी नहीं। कार्यवाही का विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या भारत सरकार ने इस समिति की कार्यवाही में भाग लिया था, यदि हां, तो किस रूप में भाग लिया था ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** सम्मेलन यहां हुआ था और स्वाभाविक रूप में भारत सरकार ने उस में भाग लिया था। सरकार ने अनेक प्रतिनिधि भेजे थे जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन की व्यवस्था की।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने उस सम्मेलन में कोई विशेष बात उठाई थी, यदि हां, तो वह क्या बात थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** साधारणतया इन सम्मेलनों में वैज्ञानिक अनुसन्धान, तकनीकी जानकारी की पारस्परिक लेन देन, राष्ट्रमण्डल देशों के वैज्ञानिकों में निकट सम्पर्क और तकनीकी कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने की व्यवस्था पर विचार-विमर्श होता है। हमें कार्यवाही-विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिकों के अनुभव से राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास के लिए लाभ उठाया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** स्पष्ट है कि जब ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक इस देश में आते हैं और हमारे वैज्ञानिकों के साथ विचारविमर्श करते हैं, तो सदैव ही पारस्परिक लाभ होता है।

आपातकाल में शिक्षा

+

*३३. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन स्थिति के कारण शिक्षा सम्बन्धी व्यय में क्या कटौतियां की गई हैं ;

(ख) सरकारी सहायता के आधार पर चलने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्यों पर इन कटौतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन कटौतियों का प्रभाव प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा पर भी पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चालू वित्त वर्ष में लगभग २.२० करोड़ रु० की कमी की गई है ।

(ख) स्वभावतः कमी से सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की कुछ कार्यवाही तथा योजनायें संकुचित कर दी गई हैं या स्थगित कर दी गई हैं। उनके अनिवार्य कार्यों पर कटौतियों का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों को पुनः नहीं बनाया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है कि पहिली से चौथी कक्षा तक बच्चों को दाखिल करने की तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाये । राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे दोहरी पारी लगायें और जहां संभव हो वहां शिष्य-अध्यापक अनुपात बढ़ायें ताकि उनके बजट में हुई किसी कटौती का प्रभाव अल्पतम रह जाये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : २.४ करोड़ रु० की बड़ी कटौती के कारण की गई कटौती से किन विशेष विषयों या योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने २३ जनवरी, १९६३ को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या १०३१ के उत्तर में कटौती से प्रभावित होने वाली बातों की सूची दी थी । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह उस विस्तृत सूची को देखने की कृपा करें।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह कटौती केवल इस बजट-वर्ष के लिए है या तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में लागू रहेगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं यह बात इस वर्ष के बारे में कह रहा हूं । और प्रश्न भी इसी वर्ष के बारे में है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या सरकार को विदित है कि इस कटौती के कारण राज्य सरकारें हाई स्कूलों को बहुप्रयोजनी स्कूल बनाने पर यह शर्त लगा रही हैं कि उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रश्न का संबंध केन्द्रीय बजट से है। मैं नहीं जानता कि राज्य सरकारों को बजट पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है ।

†**श्री कोया** : क्या सरकार को विदित है किक कुछ राज्य सरकारें इस कटौती के कारण एक भी प्राइमरी स्कूल की अनुमति नहीं दे रही हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे विदित है, किसी भी राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों का खुलना नहीं रोका है । वास्तव में, हमने राज्य सरकारों से बहुत स्पष्ट प्रार्थना की है कि वे प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यक्रम का विस्तार जारी रखें । यदि माननीय सदस्य मुझे ऐसी कोई मिसाल दें, तो मैं वह मामला राज्य सरकार के पास भेज दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जसवन्त महता :** क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकारों को कोई निदेश दिया है कि नये कालेजों के लिए नया अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** क्या केन्द्रीय सरकार ने कठिन वित्त स्थिति की दृष्टि से राज्य सरकारों को स्कूलों में अतिरिक्त फीस लगाने या शिक्षा शुल्क लेने को कहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि शिक्षा शुल्क लगाने की संभावना की खोज करें। नये कालेजों के बारे में पहिले प्रश्न के संबंध में, मैं कह सकता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग साधारणतया नये कालेज खोलने के लिए अनुदान नहीं देता । वह विकास कार्य के लिए अनुदान देता है और वह समाप्त नहीं की जायेगी । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखकर कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में बड़ा अन्तर है, क्या यह सच है कि लड़कियों को ८वीं कक्षा तक और कुछ स्थानों में मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा की सुविधा समाप्त कर दी जायेगी और राज्यों में विशेष प्रोत्साहनवर्धक कार्यक्रमों में कटौती होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** नहीं । कोई भी सुविधा वापस नहीं ली जायेगी ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या शिक्षा के मामले में राज्य सरकारों को कोई निदेश या सलाह दी गई है जिसे वे मानें और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं बता चुका हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में हम स्पष्ट निदेश दे चुके हैं । मैंने यह बहुत ही स्पष्ट रूप में बता दिया है कि वे प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में हिचकिचाहट न करें और यह सच है कि योजना के पहिले दो वर्षों में उत्पन्न हुई स्थिति को बनाये रखने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री सोनावने :** क्या शिक्षा संबंधी व्यय में ३.५ करोड़ रु० की कटौती का कोई प्रभाव अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य के किस जिले में पाकिस्तानियों ने अधिक संख्या में प्रवेश किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) स्थिति में सुधार हुआ है। अब अवैध रूप में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नहीं आते हैं ।

(ख) वे अधिकतर ब्रह्मपुत्र घाटी के छः मैदानी जिलों में हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या राष्ट्रीय संकट का ध्यान रख कर आसाम में और पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश रोकने के लिए और पहिले आये व्यक्तियों को वहां से निकालने तथा उचित विज्ञा-धारियों को निश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहरना रोकने के लिए अधिक प्रभावी कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो वह कहां तक प्रभावी रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** खेद है मैं प्रश्न को स्पष्ट नहीं समझ सका । कदाचित माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या और अधिक अवैध प्रवेश रोकने के लिए हाल में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है । यदि मेरा अनुमान ठीक है, तो मैं इस ब्यौरा में पड़ना नहीं चाहता कि क्या कार्यवाही की गई है । परन्तु, इसे रोकने के लिए प्रभावी तथा निश्चित कार्यवाही की गई है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार को विदित है कि इस अवैध प्रवेश के लिए स्थानीय जनता उत्तरदायी है और यदि हां, तो सरकार ने यह देखने के लिए क्या कार्यवाही की है कि मैदानों में ऐसी घटनायें न हों ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** निश्चय ही कुछ कार्यवाही की जायेगी । परन्तु, यह सच है कि जब तक आप यह सिद्ध न कर दें कि स्थानीय जनता पाकिस्तानियों को बुलाने का प्रयास कर रही थीं, तब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही करना आसान नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: पिछली बार मंत्री जी ने यह जानकारी दी थी कि असम में आ कर बसे हुए पाकिस्तानियों की संख्या लगभग तीन साढ़े तीन लाख होगी । मैं जानना चाहता हूं कि उन में से अब तक कितने निकाले जा चुके हैं और कितने पाकिस्तानी वहां अभी शेष हैं, और उन को निकालने में इतनी अधिक देरी क्यों हो रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वैसे काफी लोग बाहर गए हैं । फिर भी जिन को भेजना है उन को जांच पड़ताल के बाद ही भेजा जा सकता है । जिन को हम क्विट नोटिस देते हैं उन को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये । हम चाहते हैं कि इस मामले में नीचे के आफिशियल्स ही अन्तिम फैसला न कर दें बल्कि जिन लोगों को बाहर भेजना है उन को बड़े अफसरों से भी अपनी बात कहने का मौका हो ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या यह सच है कि लगभग ७ लाख ऐसे पाकिस्तानी अवैध प्रवेशकर्ता हैं जिनकी गणना वर्ष १९६१ में की गई है और जो वर्ष १९५१ में यहां होना सिद्ध नहीं कर सके हैं और जिनकी गणना वर्ष १९५१ में की जनगणना में नहीं की गई थी और यदि हां, तो सरकार का विचार उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिन के पास उचित उपत्ति नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : खेद है कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है । परन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि दूसरी जनगणना हो चुकी है । माननीय सदस्य दस वर्ष पहिले की जनगणना की बात कर रहे हैं, परन्तु दूसरी जनगणना हो गई है और इस के ठीक आंकड़े ज्ञात हो गये हैं कि अवैध प्रवेशकारियों की संख्या कितनी है । आजकल, संख्या पहिले ही बताई जा चुकी है । हम कह चुके हैं कि यह संख्या साधारणतया २ १/२ और ३ लाख के बीच में है । मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान हाल में आसाम विधान सभा के अध्यक्ष के वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें कहा गया था कि आसाम में ३ लाख विदेशी पाकिस्तानी घुस आये हैं और राज्य सरकार ने तो इन अवैध प्रवेशकारियों का पता लगा सकी है और न ही उनके कार्यों का पता लगा सकी है और यदि हां, तो सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं नहीं जानता । मैं ने वक्तव्य नहीं देखा है जो आसाम विधान सभा के अध्यक्ष ने दिया था . . . . .

†**श्री हेम बरुआ** : वक्तव्य दिया गया है और इस पर टीका टिप्पणी भी हुई है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : परन्तु मैं कह सकता हूं कि पिछले दो महीनों में निश्चित कार्यवाही की गई है । मेरे पास आंकड़े हैं । लगभग १३१५ व्यक्ति पकड़े गये और ९७२ पर अभियोग चलाया गया । लगभग इतने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया । कुछ मुक्त कर दिये गये । और कुछ मामलों की अभी जांच हो रही है । इसका अर्थ है कि प्रति मास उचित जांच की जाती है और आवश्यकता होने पर प्रति मास कार्यवाही की जाती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे प्रश्न का उत्तर आधा रह गया । माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि इतनी संख्या में पाकिस्तानी आसाम में आ कर बस गए । इस संख्या का उन को निश्चित रूप से पता लगा था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई निर्धारित संख्या है कि उन में से अब तक कितने वापस भेजे जा चुके हैं और शेष कितने आसाम में रह गये हैं और उनको वापस भेजने का आप क्या उच्च स्तरीय प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा मैं ने कहा उनको वापस भेजने में हम को सावधानी से कार्य करने की जरूरत है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संख्या कितनी है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी संख्या कैसे बतला दी जाये । आप उत्तर तो सुन लीजिये । माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम उनको कह दें तीन लाख लोगों में से पौने तीन लाख चले गए । हम यह एक दम नहीं कह सकते । हम चाहते हैं कि ऊंचे अफसर भी उन लोगों की दरखास्तों को देख सकें । वे लोग अपील करते हैं और उन को सुनने में समय लगेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने बहुत थोड़े लोगों को क्विट नोटिस दिया लेकिन उसके बाद बावजूद भी हम ने देखा कि पिछले दो महीनों में करीब १२ हजार

---

†मूल अंग्रेजी में

आदमी अपने आप चले गए बगैर किसी नोटिस के। वे लोग इल्लीगल इन-फिल्ट्रेटर थे। उन्हों ने देखा कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है, इसलिए वे अपने आप चले गए।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी नए लोग भी आ रहे हैं और जो लोग अभी वापस नहीं भेजे जा सके हैं इन को किस तारीख तक वापस भेज दिया जायेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह आना जाना तो दोनों तरफ से लगा रहता है। उधर से मुसलमान इधर आते हैं और इधर से हिन्दू उधर जाते हैं। इंडियन मुस्लिमम्स भी उधर जाते हैं . . . .

†**श्री हेम बरुआ** : यह विदेशियों का मामला है, मुसलमानों का नहीं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : और उधर से पाकिस्तानी मुस्लिम आते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन अवैध प्रवेश करने को वहां नहीं रोका जा सकता, तो मैं देखता हूं कि यहां भी माननीय सदस्य वैसी ही कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। यह नाजुक सवाल है। यदि माननीय मंत्री कुछ बातें नहीं बता सकते, तो वर्तमान परिस्थिति में उन पर आग्रह नहीं करना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती। उदाहरणार्थ, माननीय सदस्य इस बात पर आग्रह नहीं कर सकते कि इस विशेष मामले में आंकड़े अवश्य दिये जाने चाहियें। यह संभव नहीं है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*३५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सोनावने :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री मरंडी :
श्री हेडा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या शिक्षा मंत्री २३ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर के स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना को लागू करने का जो निश्चय किया गया था उसे कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) : अब तक हुई प्रगति निम्न है :—

(१) नये कार्यक्रम में सेवारत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के लिए नये प्रोग्राम में १०५० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए दो केन्द्र खोल दिये गये हैं जिन में से एक पंचकुला (पंजाब) में और दूसरा मेरठ (उत्तर प्रदेश) में है।

(२) प्रोग्राम के अधीन नये अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए संभवतः इन्दौर और राजपिपला (गुजरात) में खुलने वाले अन्य दो केन्द्र बहुत जल्द कार्य करने लगेंगे।

(३) राष्ट्रीय अनुशासन तथा शारीरिक शिक्षा के आपातकालीन एकीकृत प्रोग्राम के अधीन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के लिए नवीनीकरण पाठ्यक्रम ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् माननीय मंत्री जी के इस उत्तर से यह स्पष्ट है कि जिस तेज़ी से सारे देश में इस योजना को फैलाने का निश्चय किया गया था उतनी तेज़ी में सफलता नहीं मिली है तो क्या यह आशा की जा सकती है कि सब से पहले कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों के जो स्कूल हैं उन में इसे लागू किया जाय और बाद में सब जगह इसे फैलाया जाय ?

†श्री मं० रं० कृष्ण : मंत्रालय की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ। हमें राज्य सरकारों से पूछना होता है कि वे अपने राज्यों में योजना लागू करना चाहती हैं या नहीं। आजकल हम सेवा-युक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और हम ६०,००० नये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं जो यह कार्य कर सकें। अतः हमारी ओर से कोई देर नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया गया था कि इस योजना में ए० सी० सी० का भी जो खास कार्यक्रम है उस को सम्मिलित कर लिया जायेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यहां एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने बतलाया कि ए० सी० सी० को शामिल नहीं किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): इस मामले में डिफेन्स मिनिस्टरी और एजुकेशन मिनिस्टरी में मशविरा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स से भी इस मामले में सलाह ली गई है। परिस्थिति यह है कि हम ने राज्य सरकारों को लिखा है कि हम पूरा खर्चा देने को तैयार हैं अगर वह इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहें। इसलिए अभी तो दोनों स्कीमों को चलाने के लिए गुंजाइश है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं उन सब को फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम मिले चाहे वह नेशनल डिसिप्लन स्कीम के अन्तर्गत हो और चाहे ए० सी० सी० के अन्तर्गत हो। अभी परिस्थिति यह है कि काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। वहां काफ़ी तादाद में लड़के लिये जाते हैं और दो, तीन साल तक अगर इस के लिए काम किया जाय तो स्कूलों में दस वक्त दोनों स्कीमें तेज़ी से विस्तार कर सकती हैं। लेकिन जैसा मैं ने बतलाया इस मामले में डिफेंस मिनिस्टरी के साथ मशविरा हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही कुछ न कुछ निर्णय इस मामले में हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इतनी होगी कि उन राज्यों में, जिन्होंने यह प्रोग्राम स्वीकार कर लिया है, प्रशिक्षण आरम्भ किया जा सके?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : यह कार्य करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त, ६०००० और व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना है और बाद में संख्या बढ़ सकती है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : संसदीय सचिव के वक्तव्य से मैं समझता हूँ कि केवल चार केन्द्र खोले गये हैं और वे सब पश्चिमी भारत में हैं। भारत के पूर्वी भाग में ऐसे केन्द्र खोलने में सरकार को क्या कठिनाई है?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : ये केन्द्र हमें राज्य सरकारों के परामर्श से खोलने होते हैं। पश्चिमी बंगाल और बिहार जैसी राज्य सरकारें अपने यहां यह योजना लागू करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं हैं। वे पुरानी ए० सी० सी० और एन० सी० सी० की योजना जारी रखना चाहती हैं। अतः हम इस समय सभी राज्यों में केन्द्र नहीं खोल सके हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राष्ट्रीय अनुशासन योजना की लोकप्रियता और आवश्यकता को अनुभव करते हुए शिक्षा मंत्री महोदय ने पिछले अधिवेशन में यह बतलाया था कि सरिसका के अतिरिक्त भारतवर्ष के कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों पर उसका शिक्षण देने के केन्द्र खोले जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि उस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां इस बारे में कोशिश की जा रही है कि देश के अन्य भागों में भी यह केन्द्र खोले जायं। पंजाब में झजर में एक केन्द्र खोलने की योजना है। राजस्थान में चित्तोड़गढ़ में एक केन्द्र खोलने का विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी एक केन्द्र खोला जा रहा है। हमारी कोशिश यह है कि हम को ऐसी इमारतें मिल जायं जिसमें खर्चा भी ज्यादा न करना पड़े। खाली इमारतें इस तरह की जहां जहां मिल सकती हैं उनको लेने की कोशिश की जा रही है। इस दृष्टि से जगह जगह यह केन्द्र खोले जा रहे हैं और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया हमारी कोशिश यह है कि स्कूलों में छठी क्लास से ग्यारहवीं क्लास तक एक भी बच्चा ऐसा न रहे जिसको कि यह राष्ट्रीय शारीरिक श्रम का प्रोग्राम उपलब्ध न हो।

श्री बड़े : क्या यह बात सच नहीं है कि एक प्रश्न के जवाब में शासन ने यह आश्वासन दिया है कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कम्पलसरी की जायेगी, यदि हां, तो क्या केन्द्र से इस बारे में मध्यप्रदेश की सरकार को लिखा गया है?

डा० का० ला० श्रीमाली : सबको लिखा गया है और सभी का जवाब संतोषजनक है। इस योजना को प्रसारित करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। इस योजना के विस्तार के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ६ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या एन० सी० सी० की योजना से इसमें कुछ लाभ नहीं उठाया जा सकता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक एन० सी० सी० का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को मालूम है कि इसका कार्यक्षेत्र यूनिवरसिटीज और कालिजों में है। कहीं कहीं हाई स्कूलों में भी है लेकिन अधिकतर उसका कार्यक्षेत्र युनिवरसिटीज और कालिजों में है। नेशनल डिसिप्लन स्कीम छठी क्लास से लेकर हाई स्कूल तक है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इस बात को ध्यान में रखकर कि ए० सी० सी० और एन० सी० सी० सुविधाओं को सर्वप्रिय बनाने के लिए काफी समय लगेगा, और इस दृष्टि से भी कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना बहुत कम व्यय वाली है और साथ ही बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने का उत्तम उपाय है, क्या सरकार पश्चिमी बंगाल या बिहार जैसे राज्यों के बारे में, जहां इस योजना को लागू करने में कुछ कठिनाइयां प्रतीत होती हैं, कुछ विशेष कार्यवाही करेगी?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं जानता हूं कि इस योजना को साधारणतया संसत्सदस्यों तथा अन्य लोगों ने पसन्द किया है। योजना का विस्तार करने के लिए सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है और हम ए० सी० सी० तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श कर रहे हैं। अन्तिम निर्णय होते ही सभी शिक्षण संस्थाओं में छटी कक्षा से लेकर ग्यारहवीं कक्षा तक शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप में लागू करने की व्यवस्था की जायेगी। यह सच है कि एन० सी० सी० विश्वविद्यालयों में लागू की जा रही है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान का समन्वय

+

†*३६. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान के समन्वय सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति ने प्रतिरक्षण के लिए तत्काल अपेक्षित वस्तुओं के उत्पादन का कार्यक्रम बनाने के लिए एक विशेष समिति बनाई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या समिति ने तीनों राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रतिरक्षा उपभाग बनाने का भी निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)**: (क) संचालन समिति ने प्रतिरक्षा मदों पर विचार करने तथा अनुसन्धान, विकास अथवा उत्पादन के लिये उचित उपाय सुझाने के लिये कार्यवाहक दल बनाने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) जी हां। जब जब आवश्यकता पड़ेगी इन्हें बनाया जायेगा।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : वैज्ञानिकों की तालिकाएं या समूह बने दो महीने हो चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब तक उन्होंने कोई ठोस काम किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वे सारा समय काम कर रहे हैं। वास्तव में इस समय प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखने वाली १०० से भी अधिक समस्यायें विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में परीक्षाधीन हैं।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस काम में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की सहायता लेने के इलावा क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं की सेवाओं का प्रयोग करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है उनकी मुख्य रुचि आधारभूत तथा सैद्धान्तिक अनुसन्धान में है और सामान्यतः यह काम वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से सम्बद्ध विभिन्न प्रयोगशालाओं में किया जाएगा।

†**श्री फ० गो० सेन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को प्रतिरक्षा मदों के उत्पादन के बारे में राज्यों से कोई आवेदन मिला है, और, यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मेरे विचार में यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रयोजन के लिए वैज्ञानिकों का कोई विशेष दल चुना गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है, प्रत्येक प्रयोगशाला में, जहां भी आवश्यक होगा, ऐसे दल बनाये जायेंगे और वास्तव में प्रयोगशालायें उन समस्याओं पर काम कर रही हैं जो उन्हें प्राप्त हुई हैं।

डा० क० ल० राव : जबकि आधुनिक प्रतिरक्षण अनुसन्धान में प्रौद्योगिकीय प्रविधियां भी सम्मिलित हैं, क्या हैं मैं जान सकता हूं कि सम्बन्धित इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं के साथ क्या प्रबन्ध किये गए हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ठीक यही बात तो मैंने कही है।

---

†मल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रतिरक्षा अनुसन्धान शाखा है। यह समन्वय किस प्रकार से होगा ? क्या यह वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत होगा या प्रतिरक्षा मंत्रालय के ?

†श्री हुमायून् कबिर : किसी के अन्तर्गत होने या न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम मिल कर काम कर रहे हैं। परन्तु हमने एक समिति बनाई है जिसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय के विविध एककों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक मंत्रणाकार जो इस अनुसन्धान के मुखिया हैं, प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियंत्रक, आयुध कारखानों के मुख्याध्यक्ष, सेना मुख्यालय के महाभक्त-यात्रिक[1] सभी इस समिति के सदस्य थे।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†*३७. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :
श्री कजरोलकर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवार्य निशुल्क शिक्षा योजना को कुछ राज्यों में लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ;

(ग) अन्य राज्यों में इसके चालू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वर्तमान आपातकालीन स्थिति को देखते हुए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना को सिमित करने अथवा छोड़ देने का कोई विचार है ?

†शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८०४/६३]

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या विकलांग बच्चों की शिक्षा को भी अनिवार्य बना दिया गया है या नहीं ?

†श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् : इसे अनिवार्य तो नहीं किया गया है परन्तु हमने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि ६ से १४ वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों को भी इस योजना के अन्तर्गत ले आया जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Quarter-Master-General.

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या विशेषत: विकलांग बच्चों के लिये बनाई गई योजनाओं में कोई कटौती कर दी गई है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् :** जी नहीं ।

†**श्री पु० र० पटेल :** हमारे संविधान में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध है । उसे देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने राजस्व पर २० प्रतिशत का एक कर शिक्षा कर के रूप में लगाया है और क्या यह हमारे संविधान के अनुरूप है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो राय देने के बराबर होगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि राज्यों के शिक्षा आय-व्ययक में अपेक्षित उग्र कटौती के कारण १९६३–६४ में दाखिले के लक्ष्यों में भारी कमी होने अथवा उन लक्ष्यों के पूर्ण परित्याग होने की संभावना है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् :** जी नहीं । हमें दाखिलों में कमी होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में ही वे लक्ष्यों के ५० प्रतिशत तक पहुंच गये हैं और हमें पूरी आशा है कि तीसरी योजना की समाप्ति पर वे लक्ष्यों से भी आगे निकल जायेंगे । अधिक अध्यापकों के लिये अतिरिक्त धन जुटाने की कठिनाइयों के कारण ऐसा विचार किया जाता है कि अध्यापकों के पीरियड ३०–३५ की बजाये ४० कर दिये जायें तथा जहां कहीं आवश्यक हो पारी प्रणाली को अपनाया जाये ताकि कुछ समायोजन के साथ लक्ष्यों को बनाया रखा जा सके ।

श्री रामेश्वरानन्द : पंजाब में करनाल जिले में बीसियों हायर सैकंडरी स्कूलों और मिडल स्कूलों की इमारतें बनी पड़ी हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निःशुल्क शिक्षा का यह अर्थ तो नहीं है कि पंजाब सरकार हायर सैकंडरी स्कूलों और मिडल स्कूलों को स्वीकृति न दे । क्या इस का कारण निःशुल्क शिक्षा तो नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्टेट से जिले में चले गए और जिले से वह कांस्टीट्यूएन्सी में चले जायेंगे ।

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : ऐसा नहीं हो सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह देखते हुए कि कलकत्ता नगर तथा उसके उपनगरों में, कुछेक निगम के स्कूलों को छोड़कर, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा नहीं है, क्या मैं जान सकती हूं कि हाल ही में की गई कटौती से ....

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कलकत्ता नगर के बारे में पूछ रही हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** सारे भारत में यही एक नगर है जहां अनिवार्य शिक्षा नहीं है...... **(अन्तर्बाधायें)**

†**अध्यक्ष महोदय :** वह किन्हीं विशेष नगरों के बारे में नहीं पूछ सकतीं । प्रश्न क्या है वह प्रश्न पूछें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं जानना चाहती हूं कि क्या सभी राज्यों में शिक्षा आयव्ययक में की जाने वाली कटौतियों से इसमें और रुकावट पड़ेगी--मेरा मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् :** जी नहीं, क्योंकि बंगाल उन राज्यों में से एक है जिन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया था। वे लक्ष्यों का अनुसरण कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उनकी जानकारी बिल्कुल गलत है ...... (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों महिलायें अपने स्थान बदल सकती हैं।

†**श्री बड़े :** क्या सरकार को राज्यों से ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि आपात स्थिति के कारण व्यय में कटौती हो गई है इसलिये पर्याप्त स्थान या भवन न होने के कारण वे अनिवार्य शिक्षा की योजना को कार्यान्वित न कर सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य जानते हैं कि भवनों के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया था क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के भवन के लिये समुदाय के लोगों द्वारा अंशदान दिये जाने की प्रत्याशा थी। वही स्थिति अभी तक चल रही है। मैं ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् और शिक्षा मंत्रालय दोनों में हमने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को छिन्न-भिन्न न होने देने की सामान्य नीति अपनाई है। हमारी यह इच्छा है कि यह यथाशीघ्र फैले। हां, दो—एक राज्यों में कुछ विशेष समस्यायें हो सकती हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना पूरा प्रभाव डालेंगे ताकि अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी

*३८. **श्री रामेश्वरानन्द :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तृतीय श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों को कहीं पर भी उचित स्थान नहीं मिल पाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तृतीय श्रेणी में पास करने की विधि को समाप्त कर देने का है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) यह सही है कि बहुत से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी में पास होते हैं और उन्हें उपयुक्त रोज़गार मिलने में बड़ी कठिनाई होती है परन्तु तृतीय श्रेणी समाप्त करने के बारे में निर्णय सरकार नहीं, बल्कि बोर्ड आफ़ एजूकेशन और विश्वविद्यालय जैसी परीक्षा लेने वाली संस्थाएं ही कर सकती हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इन विद्यार्थियों को न तो नौकरियों में और न उच्च-विद्यालयों में, कहीं भी नहीं, प्रवेश मिलता है, तो क्या सरकार उनके भाग्य के विषय में कुछ सोच रही है।

डा० का० ला० श्रीमाली : बराबर सोच रही है। हम भी सोचते हैं और माननीय सदस्य भी सोचते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन के बारे में क्या सोचा जा रहा है ?

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास होते हैं, उन को उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी स्थान नहीं मिलता है और इस

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में भी सब जगह एक सी नीति नहीं है ? यह देखा गया है कि एक ही विश्वविद्यालय में कुछ तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों को स्थान मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता है । क्या इस सम्बन्ध में कोई एक सी नीति निर्धारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को मालूम है कि यह प्रश्न विश्वविद्यालयों में तय किया जाता है और विश्वविद्यालय इस प्रश्न के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं । उन को यह स्वतंत्रता राज्यों और भारत सरकार से दी गई है । सो इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग समस्यायें हैं और उन्हीं की वजह से बहुत कुछ यह फ़र्क़ रहता है । उदाहरण के लिए उड़ीसा जैसी स्टेट में ग्रैजुएट्स बहुत कम मिलते हैं, इसलिये वहां पर तृतीय श्रेणी का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है । कुछ स्टेट्स में ग्रैजुएट्स काफ़ी तादाद में मिलते हैं । अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी समस्यायें हैं । विश्वविद्यालयों को ही इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री ने कहा है कि बोर्ड तथा विश्वविद्यालय इसे तय करेंगे । परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसे महत्वपूर्ण तथा सामान्य नीति सम्बन्धी मामलों पर अपन तौर पर विचार नहीं करती और क्या सरकार ने अपने निजी स्तर पर इस प्रश्न की जांच की है और किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस प्रश्न की जांच की गई थी तथा इसे ११ और १३ अक्तूबर, १९६२ का उपकुल ति सम्मेलन के सामने भी रखा गया था । उस सम्मेलन में यह मत व्यक्त किया गया था कि विभिन्न परीक्षाओं में नम्बर देने की वर्तमान प्रणाली को बदलने अथवा एम० ए० की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थी एम० ए० में थर्ड डिविज़न में पास हो जाते हैं, क्या उनको बाद में सैकंड डिविज़न में पास होने के लिये कोई मौका दिया जाता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो विद्यार्थी थर्ड डिवीज़न में पास हो जाते हैं, उनका क्या किया जाय? अगर वे ज्यादा परिश्रम करते, तो वे ऊंची श्रेणी में आ सकते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे दूसरी बार परीक्षा दे सकते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि मैंने कहा, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कि निर्णय सरकार ने करना है । इसका निर्णय तो विश्वविद्यालय ही अपने अपने स्थान पर करेंगे।

भ्रष्टाचार निरोध मन्त्रणा समिति

+

†*३९. {
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मरंडी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार-निरोध मंत्रणा समिति ने क्या परामर्श दिया है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : भ्रष्टाचार-निरोधी समिति ने अनुच्छेद ३११ के क्षेत्र से पंक्तिच्युत करने के दंड को निकालने तथा कारण दिखाने के अवसर को हटाने के लिये संविधान के अनुच्छेद ३११ का संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया था। उसने सिफारिश की थी कि प्रस्तावित संशोधन कर दिये जायें तथा एक ऐसा उपयुक्त उपबन्ध किया जाये जिससे कि संसद् सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित सभी मामलों पर तथा ऐसे मामलों में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर वैध रूप से नियंत्रण रख सके। सरकार ने पहली सिफारिश मान ली थी और दूसरी सिफारिश पर निर्णय और अधिक विस्तृत सोच-विचार के बाद होगा। समिति की एक अन्य सिफारिश के अनुसार भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (२) में खंड (३६) और (३७) जोड़ दिये गये हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अभी यह समिति नियुक्त भी नहीं की गई थी कि माननीय गृह-कार्य मंत्री कुछ निष्कर्षों पर पहुंच चुके थे और जो कुछ उपमंत्री जी ने अब कहा है उसका संकेत हमें इस समिति की नियुक्ति से भी पहले दे दिया गया था। क्या इसका अभिप्राय यह है कि गृह-कार्य मंत्री ने जो कुछ पहले ही सोच रखा था उसका समर्थन करने के अतिरिक्त इस समिति ने और कुछ नहीं किया है अथवा इसने निजी रूप में भी कुछ सोचा है और भ्रष्टाचार मिटाने वाले संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ नये निर्णय किये हैं या नये सुझाव दिये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी हां। समिति ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है परन्तु अभी तक उसने अपनी सिफारिशें नहीं भेजी हैं। वह इस प्रश्न की विस्तारपूर्वक जांच कर रही है। वह विभिन्न मंत्रालयों के सतर्कता संगठनों की जांच भी कर रही है—कि वे कैसा काम कर रहे हैं तथा उन्हें और सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है। परन्तु ये दोनों सिफारिशें हमें हाल ही में मिली हैं और हम ने उन पर कार्यवाही करने के बारे में सोचा। समिति को हम ने यह सुझाव दिया कि वह अपनी अन्तरिम सिफारिशें भेजती रहे ताकि हम कार्यवाही कर सकें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय भ्रष्टाचार को कम करने के लिये कुछ प्रभावशाली और ठोस उपाय करने में पर्याप्त रुचि रखते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके पास इस समय कोई ऐसा प्रशासी तंत्र है या वह शीघ्र ही कोई प्रशासी तंत्र स्थापित करना चाहते हैं जिसे सर्वोच्च पदाधिकारियों, जिनमें मंत्री भी सम्मिलित हैं, के विरुद्ध शिकायतों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे विचार में मंत्री सर्वोच्च पदाधिकारियों में सम्मिलित नहीं हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वे संसद् के कार्यकर्ता हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम संसद् के कार्यकर्ता हैं परन्तु सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अपने और उनके बीच हमें प्रभेद करना है। जो कुछ भी, हम सरकारी कर्मचारियों पर शासन तो करते हैं परन्तु हमें उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वह एक अलग बात है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : मंत्री स्वतंत्र हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मंत्री स्वतंत्र नहीं हैं। वे सदा संसद् के सम्मुख हैं और संसद् जैसा भी चाहे उनसे व्यवहार कर सकती है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि केवल संसद्

---

†मूल अंग्रेजी में

ही मंत्रियों के साथ निपट सकती है। (**अन्तर्बाधायें**) इस बात में मैं मुख्य प्रश्न को भूल ही **गया हूं**। श्री माथुर ने पूछा था कि क्या कार्यवाहक अधिकारियों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों **को** निपटाने के लिये हम कोई संगठन बनाने का विचार रखते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सर्वोच्च अधिकारी। यदि मैं, उदाहरण के रूप में, आपके सचिव, गृह-कार्य विभाग के सचिव, के विरुद्ध शिकायत करना चाहूं तो मुझे किसके पास जाना होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न किया जा चुका है और उसका उत्तर दिया जा रहा है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि उन्हें सचिव या किसी अन्य बड़े अधिकारी के विरुद्ध शिकायत हो, तो माननीय सदस्यों को चाहिये, और वे ऐसा कर भी सकते हैं कि वे सीधा सम्बन्धित मंत्री को लिखें या, यदि वे चाहें, वे गृह-कार्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को लिख दें। वे जैसा भी चाहें कर सकते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है।

श्री म०ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय ने बतलाया कि करप्शन कमेटी का काम चालू है और वह समय समय पर अपनी रिकमेन्डेशन्स देगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कितने समय के लिये बिठलाई गई है और उस के अन्तिम निर्णय कब तक हमारे सामने आ जायेंगे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस कमेटी के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, और न हम करना चाहते हैं। वह अपने काम को करें। उस में काफी हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर हैं जोकि गम्भीरता से काम कर रहे हैं। वे अपनी सिफारिशें भेजते जायेंगे और हम उस पर कार्रवाई करते जायेंगे।

†**श्री हरी विष्णु कामत** : क्या सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव है कि नौकरी में आने और उसे छोड़ने के समय अथवा निर्धारित अवधि पर अपनी आस्तियों और धारणों के बारे में शपथ-सहित घोषणा करना सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों के लिये अनिवार्य बना दिया जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसी विषय पर एक अन्य प्रश्न भी है; अच्छा हो यदि वह यह अनुपूरक प्रश्न तभी पूछें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह एक अतारांकित प्रश्न है। वह प्रश्न को टालना चाहते हैं; यह अच्छी बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब जबकि उन्होंने बता दिया है कि यह अतारांकित प्रश्न है तो वह उत्तर अवश्य देंगे। माननीय सदस्य को शीघ्र ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सरकारी अधिकारियों के बारे में तो एक विशेष नियम है परन्तु मंत्रियों के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्यों नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। श्री महीड़ा।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** : इस मंत्रणा समिति के सदस्य कौन से हैं ? (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। यदि माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना प्रश्न पूछने लग जायेंगे तो मैं कार्यवाही को कैसे नियंत्रित रख सकता हूं ? जब तक मैं किसी विशेष

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य को पहचान न लूं, किसी माननीय सदस्य को एकदम से प्रश्न नहीं कर देना चाहिये। श्री महीड़ा।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मंत्रणा समिति के सदस्य कौन हैं और मंत्रियों को इससे बाहर क्यों रखा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वे इस मामले पर तर्क कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न के लिये खड़ा हुआ हूं। यह तर्क कैसे हो सकता है ? क्या मैं आप से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये निवेदन कर सकता हूं ? यह तर्क कैसे हो सकता है यदि मंत्री . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इसका निर्णय कौन करेगा ? यदि मैं युक्तियुक्त कारण नहीं बता सकता और यदि वे कारण माननीय सदस्यों को नहीं भाते, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, इस पर पुनर्विचार करने के लिये हम आप से अपील कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पूरे सोच-विचार के बाद ही अपने निर्णय करता हूं और विनिर्णय देता हूं। यदि माननीय सदस्य तर्क-वितर्क करने लग जायेंगे तो इस में अनावश्यक रूप से सदन का समय लगेगा तथा हम कोई उपयोगी निर्णय नहीं कर पायेंगे।

†**श्री रंगा** : श्रीमान्, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? यह एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया है कि जब एक मंत्री कोई विशेष उत्तर देता है और प्रश्नकाल में उठाई गई किसी विशेष बात के उत्तर में "न" कहता है तो सम्बन्धित माननीय सदस्य को "क्यों नहीं" पूछने की आज्ञा होती है। कारण बताना मंत्री का काम है। इसमें तर्क की तो कोई बात ही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : और यदि किसी विशेष मामले में—मैं सामान्य रूप से नहीं कह रहा हूं—मैं यह निर्णय कर देता हूं कि माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिये ?

†**श्री रंगा** : स्वयं ही एकमात्र निर्णायक होने के कारण आपको ही अपने मत का पुनरीक्षण करना है, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो दुर्भाग्य की बात है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, क्या मैं इसे नियम समझ सकता हूं कि कारण पूछना तर्क करना नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा है कि "किसी विशेष मामले में"; मैंने यह तो नहीं कहा कि प्रत्येक मामले में ही ऐसा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप की यह राय केवल इसी मामले के बारे में है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तब तो हमें कुछ नहीं कहना है। हमें अन्य ढंगों से इसका अनुसरण करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : तब मुझे चेतावनी देने की क्या जरूरत है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, हम आपके द्वारा मंत्री को सचेत कर रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : हां, चेतावनी मुझे मिल गई है।

†श्री हरि विष्णु कामत : यह तो मंत्री महोदय को कहना चाहिये, आपको नहीं।

†श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : इस समिति के सदस्य कौन हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री महीड़ा उन सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं जो इस समिति में हैं।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : श्री सन्थानम् सभापति हैं। अन्य सदस्य हैं : श्री खाडिलकर, श्री सीताराम पालीवाल, श्री नाथ पाई, श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी, श्री सन्तोषकुमार बसु— ये सभी संसद्-सदस्य हैं—निदेशक, प्रशासी सतर्कता विभाग, गृह-कार्य मंत्रालय तथा विशेष पुलिस एस्टैब्लिश-मेंट के इन्स्पैक्टर जनरल। मैं श्री कामत से प्रार्थना करूंगा कि जो बात उनके मन में है उसका अनुसरण करने के लिये वह अपने सहयोगी श्री नाथ पाई पर जोर डालें। (अन्तर्बाधायें)

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। डा० सिंघवी।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं आशा करता हूं कि वह भी इसमें रुचि लेंगे।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, इस प्रश्न पर अनुपूरक पूछने के लिये मैं कितनी बार उठा हूं परन्तु मुझे अवसर नहीं दिया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : हां, उन्हें अवसर नहीं मिला है, इसीलिये मैंने उनका प्रश्न लिया है।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अगला प्रश्न नहीं, मैं इसी पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—डा० सिंघवी · प्रश्न संख्या ४०।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, मैं कितनी बार इस प्रश्न पर अनुपूरक पूछने के लिए खड़ा हुआ था।

†अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी ऐसा हो सकता है।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कभी-कभी नहीं। दूसरों द्वारा दिये गये प्रश्नों पर जब कोई व्यक्ति अनुपूरक पूछने के लिये उठता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती। जब वह अपने ही प्रश्न पर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो फिर भी उसे अनुपूरक पूछने की आज्ञा नहीं मिलती। एक ओर तो ऐसा होता है और दूसरी ओर उन लोगों को, जिन्होंने प्रश्नों की सूचना नहीं दी होती, बार-बार प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।

†अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य का नाम किसी अन्य माननीय सदस्य के साथ जोड़ देने मात्र से कोई निहित अधिकार उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न सारे सदन के सामने रख दिया जाता है, फिर भी मैं उन माननीय सदस्यों से, जो प्रश्नों की सूचना नहीं देते, कि वे बार-बार उठ कर प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का प्रयत्न न करें। कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो इसका भी प्रयत्न करते हैं। जब वरिष्ठ सदस्य स्वयं प्रश्नों की सूचना न देकर दूसरों के प्रश्न लेकर उन पर अनुपूरक प्रश्न

---

†मूल अंग्रेजी में

पूछने का प्रयास करते हैं तो मुझे बड़ी कठिनाई होती है । उन्हें कुछ संयम से काम लेना चाहिये । मैं कोई नियम निर्धारित नहीं कर रहा हूं ।

†**श्री रंगा :** श्रीमान्, क्या आप स्वयं ही कुछ अधिक समय नहीं दे सकते ? आप जो कुछ कह रहे हैं उससे हमें बड़ी परेशानी हुई है । हम तो यहां अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये हैं । जो सदस्य प्रश्नों की सूचना देते हैं, केवल उन्हीं से अनुपूरक प्रश्न पूछने की आशा करना उचित नहीं हैं । तब तो शेष सदस्यों को सदन से बाहर जाना पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । आजकल हम केवल १० या १५ प्रश्न ही पूरे कर पा रहे हैं । यदि सदन का यह इच्छा हो कि इससे भी कम प्रश्न पूरे किये जायें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री रंगा :** श्रीमान्, क्या आप हमें कुछ अधिक समय नहीं दे सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सदन जैसा भी निर्णय कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** साथ ही, ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं होना चाहिये कि केवल प्रश्नों की सूचना देने वाले ही प्रश्न पूछें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं जानता कि यह कड़ा नियम कहां से आ गया या कहां इसका पालन हो रहा है । मैंने तो केवल एक अपील की है ।

†**श्री रंगा :** इस से अनुपूरक प्रश्न पूछने की हमारी क्षमता या इच्छा निरुद्ध होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो सदस्य प्रश्नों की सूचना नहीं देते मैं ने तो केवल उन से संयम रखने की अपील की है कि वे अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये बार-बार खड़े न हों । मैंने तो बस यही कहा था । मैं नहीं जानता कि इस पर क्या आपत्ति हो सकती है ।

†**श्री रंगा :** क्या अनुपूरक प्रश्न पूछना सदस्यों का अधिकार नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । डा० सिंघवी ।

रद्दी अभ्रक[1]

†४०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रद्दी अभ्रक की मात्रा कितनी है और वह खानों से निकाले जाने वाले कुल अभ्रक का कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या इस प्रकार के रद्दी अभ्रक का हमारे देश में किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो कब से तथा किस प्रक्रिया द्वारा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस):** (क) भारत में रद्दी अभ्रक की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया । तथापि यह अनुमान है कि देश में खानों से निकाले गये अशोधित अभ्रक में ७५—८० प्रतिशत के लगभग रद्दी अभ्रक होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Waste Mcai.

(ख) और (ग). देश में रद्दी अभ्रक का थोड़ा भाग बिजली की धारा अवरोधक ईंटें बनाने और रबर, रंग रोगन तथा छपाई के सामान बनाने वालों द्वारा, के प्रयोग में आने वाला अभ्रक चूर्ण बनाने के लिये किया जाता है। बिजली धारा अवरोधक ईंटें बनाना १९५८ में ही आरम्भ किया गया था केन्द्रीय शीशा और मिट्टी के बरतन अनुसंधान संस्था से प्राप्त एक एकस्व के आधार पर। अभ्रक चूर्ण सामान्य पिसाई मिलों में शुष्क प्रणाली से बनाया जाता है और यह पद्धति पिछले बड़े समय से प्रसिद्ध है।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** देश में कुल कितना रद्दी अभ्रक है और इस प्रकार कितने ऐसे अभ्रक को प्रयोग में लाया जाता है?

†**श्री हजरनवीस :** यह सूचना प्राप्त नहीं है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या सरकार ने अपने देश में लाभदायक तरीके से रद्दी अभ्रक का उपयोग करने के मामले में किसी विदेशी विशेषज्ञ से परामर्श किया है?

†**श्री हजरनवीस :** जहां तक मुझे मालूम है इस मामले में किसी विदेशी विशेषज्ञ से परामर्श नहीं किया गया।

†**श्री दाजी :** यह मूल्यवान खनिज बड़ी मात्रा में व्यर्थ नष्ट हो रहा है और देश में इस का उपयोग नहीं हो रहा है इसको देखते हुए सरकार किसी विशेषज्ञ या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से परामर्श करके किन्हीं अन्य उद्योगों में उपयोग में लाने के लिये इस अत्यावश्यक खनिज का संरक्षण करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है?

†**श्री हजरनवीस :** यह कार्रवाई के लिये सुझाव है।

†**श्री दाजी :** यह कार्रवाई का सुझाव नहीं। सरकार ने इस मूल्यवान खनिज का संरक्षण करने के लिये इन सब वर्षों में क्या किया है?

†**श्री हजरनवीस :** जैसा मैंने बताया, केन्द्रीय शीशा और मिट्टी बरतन अनुसंधान संस्था में एक तरीका निकाला गया है, जिसके द्वारा अभ्रक की ईंटें बनाई गई हैं जिन का उपयोग बिजली की तेज धारा अवरोहन के लिये किया गया है। यह एक तरीका है जिस में इस अभ्रक का उपयोग किया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि इन ईंटों की मांग कम हो गई है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सही नहीं है कि अधिकतर अभ्रक बेकार जा रहा है क्योंकि देश में अभ्रक निकालने का तरीका ही खराब है, जिसमें पहली और दूसरी श्रेणी का अभ्रक शामिल है? सरकार ने अभ्रक को खोदने का तरीका सुधारने के लिये क्या कार्रवाई की है ताकि यह मूल्यवान खनिज बेकार न जाये, जैसा कि आजकल बेकार जाता है?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** हमें पता है कि भारत में अभ्रक खोदने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है। हम यही कर सकते हैं कि समय-समय पर खनन उद्योग को सलाह देते रहें कि व अपने खोदने के तरीके को सुधारें। कुछ उद्योगपतियों ने हमारे सुझाव स्वीकार कर लिये हैं। ये खानें अधिकतर गैर-सरकारी हाथों में हैं। रद्दी अभ्रक का प्रयोग करने का वैकल्पिक ढंग निकालने के बारे में सरकार ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को इस मामले में कार्रवाई करने को

†मूल अंग्रेजी में

कहा है और उन्होंने यह मालूम किया है कि अभ्रक का चूर्ण बनाया जा सकता है और उसे कुछ उद्योगों में फिलरों के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। किन्तु मुझे आशा है कि ज्यों-ज्यों देश में उद्योगीकरण की गति तेज होगी, इस खनिज का उपयोग करने के लिये वैकल्पिक तरीके निकाले जायेंगे।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** : क्या सरकार ने अभ्रक का निर्यात करने की संभावव्यता का विचार किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभ्रक का निर्यात किया जा रहा है। यहां अभ्रक भी विदेश में भेजा जाता है।

आदिम जातीय खंड (ट्राइबल ब्लाक्स)

*४१. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आदिम जातियों की उन्नति के लिये आदिम जातीय खंड (ट्राइबल ब्लाक्स) खोलने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से नैनीताल जिले की खटीमा तहसील, जहां थारू और भुक्सा नामक आदिम जातियों के लोग रहते हैं, के अविकसित क्षेत्रों में कोई विकास योजना चालू करने के लिये कह रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) जी हां, अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आदिम जाति विकास खण्डों की एक योजना है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित आदिम जाति विकास खण्डों की संख्या की एक सूची संलग्न है। उत्तर प्रदेश को कोई आदिम जाति विकास खण्ड आवंटित नहीं किया गया है, क्योंकि उस राज्य में कोई अनुसूचित आदिम जाति नहीं है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	आवंटित संख्या
१. आन्ध्र प्रदेश	१६
२. आसाम	३७
३. बिहार	४६
४. गुजरात	४१
५. केरल	२
६. मध्य प्रदेश	७१
७. मद्रास	२
८. महाराष्ट्र	१८

†मूल अंग्रेजी में

राज्य/संघीय राज्य-क्षेत्र	आवंटित संख्या
९. उड़ीसा	६०
१०. पंजाब	२
११. राजस्थान	१३
१२. हिमाचल प्रदेश	५
१३. मणिपुर	७
१४. त्रिपुरा	४
१५. नागालैंड	२
१६. दादरा और नागर हवेली	२
योग	३३१

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मोहन स्वरूप : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो ब्लाक खोले जा रहे हैं इन की संख्या क्या है और इन पर कितना रुपया खर्च होगा ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : कुल मिला कर हमारा तीसरी योजना में ३३१ खंड खोलने का विचार है ?

†**श्री विश्राम प्रसाद** : सरकार थारू, कोल, मझवार और अन्य जातियों की हालत सुधारने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है, जिन को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में अनुसूचित आदिम जाति नहीं माना जाता ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : यद्यपि उन को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित आदिम जाति नहीं माना जाता, तथापि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ राशि उन के लिये पृथक रखी है लगभग १९० लाख रुपये अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिये जिनमें ये आदिम जातियां भी सम्मिलित हैं । उन को शिक्षा सम्बन्धी लाभ तथा आर्थिक उन्नति की सुविधाएं दी जाती हैं । उनके लिये स्वास्थ्य एवं आवास सम्बन्धी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : मैं राशि तो नहीं बता सकती, किन्तु मध्य प्रदेश में इस योजना अवधि में ७१ आदिम जाति विकास खंड खोले जाने वाले हैं ।

श्री कछवाय : हिन्दी में उत्तर दिलवा दिया जायें ।

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यह तो मुश्किल है ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि आदिवासियों की जहां जहां जितनी संख्या है उस के अनुपात से ये विकास खंड नहीं खोले जा रहे हैं, विशेष कर मध्य प्रदेश में ? और जहां उन की संख्या कम है वहां पर अधिक विकास खंड खोले जा रहे हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मैं इस सभा में एक पहले प्रश्न के उत्तर में बता चुकी हूं कि ये आदिम जाति विकास खंड उन स्थानों पर खोले जायेंगे जहां की संख्या २५००० या अधिक है तथा उस २००—२५० वर्ग मील क्षेत्र में कम से कम ६६/२/३ प्रतिशत तक आदिमजाति के लोग जमा हैं ; और जहां इन आदिमजाति खंडों के लिए एक प्रशासी इकाई स्थापित करना संभव है । अतः इस का यह अर्थ नहीं कि मध्य प्रदेश के समान स्थानों पर, कम संख्या वाले आदिमजाति स्थानों पर हम आदिमजाति खंड खोलेंगे । मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां हम ने देश में सब से अधिक आदिमजाति खंडों की अनुमति दी है ।

†**श्रीमती अक्कम्मादेवी** : मद्रास राज्य में, विशेष कर नीलगिरि में अनुसूचित आदिम-जातियों की बड़ी भारी संख्या होते हुए, मद्रास राज्य के लिये केवल दो आदिमजाति खंड ही क्यों मंजूर किये गये हैं ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : वहां कम संख्या में लोग होने के कारण मद्रास राज्य में दो खंड हैं । ये दो खंड उन स्थानों पर खोलने हैं जहां उन की संख्या अधिक है । किन्तु पश्चिम बंगाल में एक भी इकाई नहीं है, क्योंकि यद्यपि वहां अनुसूचित आदिमजातियां हैं, वे किसी विशिष्ट क्षेत्र में इकट्ठी नहीं हैं । मद्रास में उन के इकट्ठा होने के कारण दो खण्ड हैं और हमें उस के लिये कृतज्ञ होना चाहिये ।

चीनी राष्ट्रजनों की नजरबन्दी

†*४२. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या यह सच है कि आपात की घोषणा के पश्चात् निरुद्ध अथवा नजरबन्द किए गए राष्ट्रजनों को, भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध भारतीय नागरिकों की अपेक्षा अधिक दैनिक भत्ता तथा उत्तम भोजन दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे मामले में भत्ते और भोजन का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). विवरण में सूचना दी गई है जो सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८०५–६३]**

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पटल पर रखे गये विवरण से प्रतीत होता है कि चीनी निरुद्ध व्यक्तियों और भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द हमारे अपने नागरिकों को दिये जाने वाले भोजन

†मूल अंग्रेजी में

में कुछ अन्तर है। मैं आप को ब्यौरा दे कर अधिक परेशान नहीं करूंगा किन्तु उन में एक यह है कि चीनी लोगों को चावल और गेहूं दोनों दिये जाते हैं और भारतीयों को केवल आटा या गेहूं। और चीनियों को २० औंस तथा भारतीयों के लिए १६ औंस आटा। यदि मच्छी उपलब्ध हो तो चीनी अपने गोश्त को बदल कर मछली ले सकते हैं। किन्तु भारतीय लोगों के लिए ऐसा प्रबन्ध नहीं कि यदि उन को आवश्यकता हो तो वे मछली और चावल ले सकें। क्या चीनी लोगों को इस भोजन के अतिरिक्त भारत में से या चीनी सरकार द्वारा विमान द्वारा पेकिंग से भेजे गये पैकेट भी प्राप्त हो सकते हैं ? क्या भारतीय लोगों के लिये भी ऐसी कोई व्यवस्था है कि वे इस प्रकार अतिरिक्त भोजन प्राप्त कर सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक इतना लम्बा नहीं होना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं ने दोनों प्रश्न रखे हैं। आप मूल सदस्य के लिये दो प्रश्नों की अनुमति देते हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्री कामत इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे कि विदेशी लोग आगंतुक . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आगन्तुक ? वे खतरनाक लोग हैं। यह क्या रवैया है ? वे इस देश में भेदिये हैं, उन में से कुछ लोग आकाशवाणी में काम कर रहे थे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता था कि मा० सदस्य परिहास को पसंद करेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह यदि परिहास था तो ठीक र।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं यह बताने वाला था कि स्थानीय तथा विदेशी आगन्तुकों में कुछ अन्तर होना चाहिये। माननीय सदस्य को यह अनुभव करना चाहिये कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्दी के कुछ नियम हैं और इस अधिनियम के अधीन नजरबन्द व्यक्ति से, चाहे वह विदेशी है या स्थानीय, समान व्यवहार किया जायेगा। यहां स्थिति सर्वथा भिन्न है। उन्हें किसी बुरे कार्य को करने के लिये गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्हें केवल विदेशी होने के कारण नजरबन्द किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर भी कुछ नियम और विनियम हैं, और उन को पालन करना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास को उस शिविर में जाना था। उन्होंने ऐसी मांग की। हम ने स्वीकार किया। उन्होंने उन की हालत देखी और कुछ सिफारिशें कीं। हमें उन को मानना था। मा० सदस्य अनुभव करेंगे कि अन्तर बहुत ही कम है। चीनी राण्ट्रजन पर १.५० रुपये तथा भारतीय राष्ट्रजन पर १.३५ रुपये व्यय होता है। मांस को मछली में बदलने आदि जैसे छोटे परिवर्तन या अन्तर मा० सदस्य द्वारा मुझे अनौपचारिक तौर पर बताये जा सकते थे और मैं उन पर विचार करने को तैयार था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या चीनी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रौस को उन के पास नजरबन्द हमारे कैदियों से मिलने की अनुमति देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल पूरा हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत प्रतिरक्षा नियम

†*४३. श्री अ० क० गोपालन :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री गोकर्ण प्रसाद :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री ज० ब० सिंह बिष्ट :
श्री मरंडी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में भारत प्रतिरक्षा नियमों की विभिन्न दण्ड-धाराओं के अनुसार अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, निरुद्ध किया गया तथा उन पर मुकद्दमा चलाया गया; और

(ख) आसंचयन तथा चोरबाजारी के अपराध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

†गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें दिखाया गया है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों १९६२ के नियम ३० के अधीन कितने व्यक्ति नजरबंद किये गये थे और कितने रिहा किये गये थे। मांगो गई शेष सूचना विविध राज्य सरकारों आदि से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर दे दी जाएगी। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८०२/६३]

प्रो० ब्लेकट का भारत का दौरा

†*४४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० ब्लेकेट, हाल में ही भारत आये थे;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्होंने सरकार को विज्ञान और भौतिक प्रयोगशालाओं (साइन्स और फिजिक्स लेबोरेटरीज) के संबंध में अपने विचार बताये थे, और

(ग) यदि हां, तो प्रो० ब्लेकेट की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नयी दिल्ली के अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में कुछ सुझाव दिये थे।

(ग) जब तक कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च रिपोर्ट पर विचार नहीं कर लगी, उनकी बाबत नहीं बताया जा सकता है।

दक्षिण भारत में चौथा तेल शोधक कारखाना

†*४५. **श्री प्र० ना० विद्यालंकार :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती विमला देवी :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री मंत्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० ब० राघवन :
श्री पोटेकाट्ट :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मणियंगाडन :
श्री कजरोलकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प० कुन्हन् :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत दक्षिण में स्थापित किये जाने वाले चौथे तेल शोधक कारखाने के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है; और

(ग) स्थान निर्धारण के विषय में किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) विदेशी सहयोजकों के साथ करार होने की तारीख से लगभग दो महीनों के अन्दर।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) स्थान का फैसला साधारणतया संगत प्रविधिक आर्थिक तत्वों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

संध्याकालीन कालिज

*४६. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा सम्बन्धी विशेष समिति अपने प्रतिवेदन में संध्याकालीन कालिज चलाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार संध्याकालीन कालिज शिक्षा को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का है; और

(ग) उक्त समिति ने संध्याकालीन कालिजों के बारे में और कौन-कौन सुझाव दिए हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशों के आधार पर उन विश्वविद्यालयों और कालेजों को, जो सायंकालीन कालेज या पाठ्यक्रम चलाना चाहें, अनुदान देने का विचार है ;

(ग) समिति की सिफारिशों का विवरण सारांश में संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८१०/६३]**

खानों का सर्वेक्षण

†*४७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने कोयला बोर्ड को आदेश दिये हैं कि कोयले की श्रेणी तथा किस्म का निर्धारण करने के उद्देश्य से स्थानों का सर्वेक्षण किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला उद्योग की कोयले के मूल्यों का पुनरीक्षण करने की मांग की जांच करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ;

(ग) अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के लिए कोयला बोर्ड को कितना समय चाहिए; और

(घ) क्या सरकार का विचार कोयले में राख की मात्रा के आधार पर कोयले का श्रेणीकरण करने की पद्धति बदलने का है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). एक विशेषज्ञ समिति ने, जिसने हाल ही में कोयलों के नमूने और वर्गीकरण के लिये प्रक्रिया की जांच की थी, सिफारिश की है कि कोकिंग या गैर कोकिंग सब प्रकार के कोयले का वर्गीकरण क्लोरीफिक मूल्य के आधार पर किया जाए। कोयले के वर्गीकरण का वर्तमान आधार इसकी राख और सील के आधार पर किया जाता है तथा तदनुसार विभिन्न प्रकार के कोयलों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्लोरिफिक मूल्य के आधार पर कोयलों के वर्गीकरण की रूपांकता पर विचार किया जा रहा है, जिसकी समिति ने सिफारिश की है। पहले कदम के तौर पर, नमूने प्रतिनिधि कोयला खानों के वर्ग से ली जाएगी और तब विश्लेषण किया जाएगा यह पता लगाने के लिये नवीन वर्गानुसार उत्पादन का अन्तिम स्वरूप क्या होता है। यह फैसला किया गया है कि यह विश्लेषण कोयला बोर्ड द्वारा ३० अप्रैल ६३ तक पूरा कर लिया जाएगा। कोयले के नवीन वर्गों में वर्तमान मूल्यों को जोड़ने के ढंग पर उसके बाद विचार किया जाएगा।

कुछ समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

†*४८. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** २३ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन भारत में किन्हीं समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं को सरकार ने कोई और चेतावनियां दी हैं ;

(ख) क्या भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन किसी अन्य समाचारपत्र के अधीन कोई अन्य कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है और उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित समाचारपत्र कौन-कौन से हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

होम गार्ड

†*४६. { **श्री हेम बरुआ :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री जेना :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में १० लाख जवानों का होम गार्ड दल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) टिप्पण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० ८०३/६३]**

योग्य छात्रों को ऋण

†*५०. { **श्री हेम राज :**
श्री कोया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बिशन चंद्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **शिक्षा** मंत्री १० नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धन योग्य छात्रों को ऋण देने की योजना का ब्यौरा पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी?

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) हाल ही में यह योजना अनुमोदित की गई है। विस्तृत नियम और विनियम बनाये जा रहे हैं और उनकी शीघ्र ही घोषणा की जाने की आशा है।

(ख) योजना की एक प्रति सभा पटल पर, ब्यौरा पूर्ण होने पर, रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के मामलों का पुनर्विलोकन

†*५१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामलों का पुनर्विलोकन कर लिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो यह पुनर्विलोकन कब तक हो जाने की आशा है ; और

(ग) क्या किन्हीं बन्दियों को रिहा कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन पश्चिम बंगाल के सभी नजरबंदियों का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। छः महीनों से अधिक समय पर राज्य-सरकार नजरबंदी के आदेशों पर पुनर्विचार करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी विस्तार पूर्वक पुनर्विचार आरंभ नहीं किया किन्तु उन्होंने बहुत से मामलों की जांच की है, जो उन के पास अभ्यावेदन पर या अन्यथा पहुंचे।

(ग) अभी नहीं।

अंकलेश्वर का तेल

†*५२. **श्री मुरारका :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र से बम्बई में 'बर्मा शैल' तथा 'एस्सो' तेल शोधक कारखानों को कच्चे तेल का संभरण बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा कब से ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) संभरण की मात्रा १५-२-६३ से १५०० टन प्रति दिन से बढ़ कर प्रति दिन १८०० टन हो गई है।

पारिभाषिक शब्द संग्रह

*५३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा निकाले गये 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अभी तक पूर्णतया नहीं किया जाता है ?

(ख) क्या यह 'शब्द संग्रह' इतना दुरूह है कि उसका प्रयोग प्रतिदिन के काम में करना असम्भव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो भाषा को सरल बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा मन्त्री (डा०का०ला० श्रीमाली): (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे शिक्षा तथा विधि मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई हिन्दी शब्दावली से परिचित हो जाएं और अपने अपने प्रकाशनों तथा अन्य राजकीय कार्यों में इसका यथा-सम्भव प्रयोग करें ।

(ख) इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले के संग्रहागार[1]

†*५४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में कोयले के संग्रहागार स्थापित करने की प्रस्तावित योजना लागू कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में कितने संग्रहागार स्थापित किये गए हैं ?

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) (क) और (ख) ईंटें जलाना "छोटे पैमाने के उद्योग" और "सौफ्ट कोक" श्रेणियों के लिए कोयला ढोने की संग्रहागार योजना अधिकांश राज्यों में अब कुछ समय से चल रही है । १५०० टन से कम मासिक अभ्यंश वाले उपभोक्ताओं को संग्रहागारों से औद्योगिक कोयला देने का भी विचार किया गया था । अब इस प्रस्ताव पर एक छोटी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसमें उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के प्रतिनिधि हैं । समिति का प्रतिवेदन अप्रैल १९६३ में मिलने की आशा है ।

राजस्थान में भारत-पाक सीमा

†*५५. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दाजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा तथा गश्त के प्रबन्ध सुदृढ़ कर दिए गए हैं ;

(ख) गत चार महीनों में पाकिस्तान के कितने गिरोहों ने डकेतियां डालीं ; और

(ग) कितनी हानि हुई तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coal dump.

†गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) पुलिस की गश्त को सघन एवं सबल बना दिया गया है ताकि वे सीमांत क्षेत्रों में फैले हुए डाकुओं को प्रभावशाली ढंग से सुलझा सकें।

(ख) और (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण संस्थाएं

†५१. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पहले खोले गए १३ के अतिरिक्त, देश में तीसरी योजना के अन्त तक कितनी ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं स्थापित की जायेंगी ; और

(ख) क्या वर्तमान योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य में ऐसी संस्थाएं खोली जायेंगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) दो ग्रामीण संस्थाएं मंजूर की गई हैं और तीसरी विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या

†५२. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणीयों की सेवाओं में १९५९, १९६०, १९६१ और १९६२ में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नौकर रखे गये थे; और

(ख) क्या ये सब नियुक्तियां आरक्षित पदों पर की गईं थीं या सामान्य पदों पर ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। केन्द्रीय सचिवालय संबंधी पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते ; **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल० टी० ८०६/६३।]**

(ख) अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के अभ्यर्थी आरक्षित रिक्त स्थानों पर लगाए गए हैं, कितने लोग योग्यता के आधार पर नियुक्त हुए हैं, इस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

लक्कादीव द्वीपों में फास्फेट नमक

†५३. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि लक्कादीव द्वीपों से फास्फेट नमक प्राप्त करने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां तो इस को खोजने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का इरादा करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) इस आशय की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(ख) विशेषज्ञों द्वारा स्थान पर जाकर जांच की जा रही है ।

बिहार में खनिज सर्वेक्षण

†५४. **श्री मारंडी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार के संथाल परगनों में कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या और यदि हां, तो सरकार वह जांच कब आरंभ करने का विचार करती है ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) संथाल परगना क्षेत्र का समय समय पर खनिजों के लिये सर्वेक्षण किया गया है और भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खोज के परिणामस्वरूप कोयला, मिट्टी, ऐगेट, लोहा, कंकर, ओभहरे, फायरक्ले, फैलसपर और क्वार्टज होने का पता चला है । उनके संबंध में विस्तृत जानकारी भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के प्रकाशनों में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

कोयले का वितरण

५५. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा जो कोयला आदि राज्य सरकारों को भेजा जाता है उस का व्यापारियों को सही वितरण नहीं होता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सीधे ही व्यापारियों को कोयला वितरण करने की कोई योजना बना रही है ?

खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपभोक्ताओं के लिये कोयले का कोटा विपुल मात्रा में राज्य सरकार को निपटाने के लिए दिया जाता है । अपने राज्य में उस कोटा को विभिन्न उपभोक्ताओं में वितरण करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है । केन्द्रीय सरकार के पास सीधे ही व्यापारियों को कोयलावितरण को अपने हाथ में लेने की कोई योजना नहीं है । ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि राज्य सरकारें सहीं रूप में वितरण नहीं कर रही हैं ।

कर्मचारियों द्वारा उनके अन्य पदों पर नियुक्त हो जाने पर त्याग पत्र देना

५६. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जब बाहर किसी पद के लिए कोई आवेदन पत्र भेजते हैं तो उनसे यह लिखवाया जाता है

†मूल अंग्रेजी में

कि यदि वे उस पद के लिये चुने गये तो उन्हें उस पर जाने से पूर्व अपने वर्तमान पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा ;

(ख) क्या त्याग पत्र पर इन कर्मचारियों के वर्तमान पद पर की गयी सेवा का कोई लाभ उन्हें दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यवस्था को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा के सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८०७/६३ ।]**

विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग की इमारत

†५७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मंत्री २३ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० जी० सी० की नई इमारत पूरी हो चुकी है और उस में दफ्तर चला गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). इमारत पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा यू० जी० सी० को १९ फरवरी, १९६३ को दी जानी थी । आयोग ने अपना पुस्तकालय तथा अन्य स्टोर नई इमारत में ले जाना शुरू कर दिया है और इस महीने की समाप्ति से पहले ही दफ्तर वहां चला जायेगा ।

डिगबोई तेल शोधक कारखाना

†५८. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ में डिगबोई तेल शोधक कारखाने का उत्पादन उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है; और

(ख) यदि हां, तो डिगबोई से प्राप्त अनुभवों का लाभ भारत के अन्य तेल शोधक कारखानों में उपलब्ध करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) इस का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि भारत के अन्य तेल शोधक कारखानों में पहले ही उन की मूल क्षमताओं से अधिक उत्पादन हो रहा है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

हायर सैकेंडरी शिक्षा की रूसी प्रणाली

†५९. { श्री रा० शि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा हायर सैकेंडरी स्कूलों में जो रूसी प्रणाली, जिसमें मशीनों द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया जाता है, से शिक्षा देने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, क्या उस की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर, अन्य क्षेत्रों में इसे लागू करने की दृष्टि से, विचार किया गया है ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में भिक्षा मांगने की रोकथाम

†६०. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम को राजधानी में पूर्ण रूप में लागू नहीं किया गया है, तथा भिखारियों की संख्या प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में संगठित भिखारियों के विरुद्ध अधिक कड़ी कार्यवाही करने में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). १ मार्च, १९६१ से बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, १९५९, संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में लागू किया गया था । जनवरी, १९६३ तक ४,९४८ भिखारियों को बन्दी बनाया गया था । राज्य-क्षेत्र के सभी भागों में नियमित रूप से छापे मारने के उद्देश्य से एक भिक्षा निरोधक पुलिस दस्ता बनाया गया है । राजधानी में भिखारियों की संख्या का व्योरा उपलब्ध नहीं है, परन्तु भिखारियों की संख्या अब बहुत कम है ।

हवाई हमले से बचाव

†६१. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में लागू असैनिक रक्षा योजना से हवाई हमले से बचाव की मद निकाल दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस के कारणों का विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

†गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वह अभी खाइयों आदि का निर्माण न करें, अथवा रोशनी-प्रतिबन्ध न लगायें ।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर यह उपाय अल्प सूचना पर किये जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति

†६२. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर दिसम्बर, १९६२ में स्टेनोग्राफरों की एक सूची तैयार की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस सूची में से नियुक्तियां नहीं हुई तथा उस सूची के व्यपगत होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा १९६३ में नई परीक्षा ली जायेगी ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) परीक्षा के परिणामों की सूची सितम्बर, १९६२ में प्राप्त हुई थी। दिसम्बर, १९६२ में केवल आपात से उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों की अनुपूरक सूची मिली थी।

(ख) तथा (ग). आवश्यकताओं के उत्पन्न होने पर नियुक्तियां की जायेंगी।

(घ) जी हां ।

संगीत नाटक अकादमी

†६३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी के उन कार्यों में नियमितता लाई गई है जिन के फलस्वरूप धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों का परिणाम क्या है; और

(ग) इस के लिये कौन कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). अकादमी के तीन भूतपूर्व अधिकारियों के विरुद्ध विशेष रक्षा दल स्थापना द्वारा दिल्ली न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है, परन्तु इस बीच में अकादमी प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न पग उठाये गये हैं।

प्राइमरी तथा सैकेंडरी स्कूल अध्यापकों के लिए वेतन आयोग

†६४. श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइमरी तथा हायर सैकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाहों तथा काम की शर्तों पर विचार करने के उद्देश्य से किसी वेतन आयोग के स्थापित होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले से गैस बनाने का संयन्त्र

†६५. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से गैस बनाने का संयंत्र स्थापित करने की योजना का, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासकीय निकाय ने, अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) इस संयंत्र के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां। यह एक अग्र-संयंत्र होगा ।

(ख) लगभग २$^{1}/_{2}$ वर्षों में ।

लौह अयस्क चूर्ण[1]

†६६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में लौह अयस्क चूर्ण धोकर और संपुंजन करके किसी प्रकार प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके प्रयोग के लिए कोई योजना बनाई गई है और यह चर्ण किस मात्रा में हमारे देश में धोये जाते हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) :** (क) तथा (ख). इस्पात के उत्पादन में लौह अयस्क चूर्ण के प्रयोग के लिए संपुंजन संयंत्र स्थापित किये गये हैं और अन्य स्थापित किये भी जा रहे हैं । उनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) **टाटा आयरनएण्ड स्टील कम्पनी :** जमशेदपुर में स्थापित एक संपुंजन संयंत्र मार्च, १९५९ से कार्य कर रहा है ।

(२) **भिलाई स्टील प्लांट**—हिन्दुस्तान स्टील लि० की रजहरा खानों में उत्पादित लौह अयस्क चूर्ण के प्रयोग के लिए १० लाख टन वार्षिक क्षमता का एक संपुंजन संयंत्र भिलाई में स्थापित किया गया जिस में कार्य जुलाई, १९६१ से आरम्भ हुआ ।

(३) **मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती**—२५० टन प्रति दिन की क्षमता वाला एक संपुंजन संयंत्र खान के स्थान के ऊपर १९६२ में स्थापित किया गया ।

(४) **रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र**—४,००० टन साऊंड ब्लास्ट फर्नेस सिंटर प्रति दिन (दो पारियों के आधार पर) की क्षमता वाला एक संपुंजन संयंत्र रूरकेला में लगाया जा रहा है और उस में १९६५ तक उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Iron ore Fines.

(५) **दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र**—दुर्गापुर में एक संपुंजन संयंत्र स्थापित किया जाना है जिस पर काम १९६५ तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†९७. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण हो चुका है और क्या यह सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं; और

(ख) आगामी चार वर्षों में राजस्थान के कौन-कौन से क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जाना है ?

†**खान और इंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) समस्त राजस्थान के भूतत्वीय मान-चित्र तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है, तथा सर्वेक्षण, प्रतिवेदन ४ मील से एक इंच के तथा कम माप के भूतत्वीय मान-चित्रों सहित, प्रकाशित कर दिये गये हैं।

(ख) भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण का केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक का, आगामी ३ वर्षों का, कार्यक्रम निश्चित किया गया है। राजस्थान में उन में निम्न सर्वेक्षण सम्मिलित हैं :—

पाली, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बंसवाड़ा, झुनझुनू और उदयपुर जिलों के कुछ भागों में, वर्तमान क्षेत्र काल (अक्तूबर, १९६२ से सितम्बर, १९६३ तक) के दौरान, आधुनिक टोपो-शीट्स पर (लगभग ४६३५ वर्ग किलोमीटर आधुनिक टोपो-शीट्स पर १:६३,३६० माप तथा इस से बड़े मापों पर किया जायेगा) अग्रेतर भूतत्वीय मान-चित्र तैयार किये जायेंगे। मान-चित्र तैयार करते समय टिन, चूने के पत्थर, लौह अयस्क, बैराईट्स, अभ्रक, गार्नेट तथा कांच बनाने की रेत का सर्वेक्षण भी जारी रखा जायेगा। झुनझुनू, अलवर, जयपुर, उदयपुर तथा सवाई माधोपुर जिलों में तांबा, सिक्का तथा जिस्त जैसी धातुओं का, खुदाई करके, क्षेत्रीय खनिज निर्धारण किया जायगा।

बांसवाड़ा—उदयपुर क्षेत्र में कच्चे मैंगनीज़ का तथा जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में शैलखटी निक्षेपों का विस्तृत सर्वेक्षण ततीय योजना के अन्त तक जारी रहेगा।

माही संग्रहागार तथा जलविद्युत् योजना से सम्बन्धित इंजीनियरिंग भूतत्वीय अनुसंधान, चम्बल घाटी परियोजना, खेतरी बन्ध-स्थान तथा क्षेत्रवार इंजीनियरिंग भूतत्वीय अनुसन्धान तृतीय योजना के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, सीकर, जिलों में जहां समन्वेषी खुदाई का कार्य होता है, अजमेर तथा भीलेवाड़ा जिलों के जावाजा—तारघढ़ क्षेत्र में, तथा राज्य के उन क्षेत्रों में जहां मजबूत चट्टानें हैं, क्रमबद्ध भू-जल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किये जायेंगे। अजमेर तथा नसीराबाद में जल सम्भरण का अनुसंधान तथा खेतरी तांबा खान विकास परियोजना के लिए भूमिगत जल के संसाधनों का अनुसंधान भी किया जायेगा।

नल्लादेश्वर—थाना गाजी क्षेत्र में प्रतापगढ़, जिला अलवर, खेतरी तांबा क्षेत्र (बैल्ट), जिला झुनझुनूं, देलवारा क्षेत्र, जिला उदयपुर, में तांबे के लिए तथा तारागढ़ पहाड़ी क्षेत्र, जिला

---

†मूल अंग्रेजी में

अजमेर में तांबे तथा सीसे के लिए; तथा ज़ावर बैल्ट, ज़िला उदयपुर में सीसे तथा जस्ते के लिए भू-भौतिकी अनुसन्धान भी किये जायेंगे।

पाली, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, झुनझुनूं, उदयपुर, बाड़मेड़, जालौर, टोंक तथा बूंदी ज़िलों में तृतीय योजना के आखिरी तीन वर्षों के दौरान आधुनिक टोपो-शीट्स पर अग्रेतर भूतत्वीय मान-चित्र तैयार करने की योजना है। झुनझुनूं, उदयपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, पाली, बाड़मेड़, कोटा और बूंदी ज़िलों में तांबा, सीसा और जस्ता आदि निम्न कोटि की धातुओं, तथा शैलखटी, मैंगनीज़, अभ्रक, जिप्सम और चूने के पत्थर के अनुसन्धान के लिए क्षेत्रीय खनिज निर्धारण के साथ-साथ २६,३५० मीटर की खुदाई के कार्य की योजना है।

बाड़मेड, चुरू, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, बीकानेर तथा राज्य के पक्की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में तृतीय योजना के अन्त तक भू-जल विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन जारी रहेंगे।

ज़ावर सीसा-जस्ता बैल्ट में तथा भीलवाड़ा तथा अलवर ज़िलों के तांबा क्षेत्रों में भू-भौतिकी अनुसन्धान जारी रहेंगे।

जैसलमेर में तेल की खोज

†६८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर में तेल की खोज के विकास की क्या स्थिति है; और

(ख) इन खोजों के परिणाम क्या हैं?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भूतत्वीय मान चित्रण, वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण तथा भूमि पर अभिदर्शन आकर्षण-शक्ति तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण के कार्य पूरे हो चुके हैं। कुछ भूकम्पीय कार्य भी हो चुका है।

खोज के काम में शीघ्रता लाने के लिए दी फ्रैंच पैट्रोलियम इन्स्टीट्यूट के साथ एक संविदा किया गया है, जो क्षेत्र में खुदाई के काम में निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के लिए कुछ फ्रांसीसी विशेषज्ञ उपलब्ध करेंगे। ऐसा विचार है कि भूकम्पीय, संरचनात्मक खुदाई तथा गहरी खुदाई के कार्यों में फ्रांसीसी ठेकेदारों की सेवाओं का प्रयोग किया जाय। भूकम्पीय तथा संरचनात्मक खुदाई के कार्यों के लिए कुछ ठेकेदारों के प्रस्ताव तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन हैं।

(ख) खुदाई के अब तक के कार्यों से यह विदित है कि जैसलमेर के रेतीले क्षेत्र के नीचे एक काफी मोटी चट्टानी परत जिसकी संरचना काफी दिलचस्प प्रतीत होती है की उपस्थिति का संकेत मिला है। फिर भी पूर्व इसके कि इस क्षेत्र में तेल/गैस की उपलब्धता के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जाये काफी मात्रा में भूकम्पीय, संरचनात्मक खुदाई और गहरी खुदाई के कार्यों का करना आवश्यक होगा।

उत्तर प्रदेश में थारू और भुक्सा जातियां

६९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बसे हुए थारू और भुक्सा लोगों को अनुसूचित आदिम जातियां घोषित किये जाने की सरकार से प्रार्थना की गई है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आसाम, उड़ीसा और बिहार राज्यों में थारूओं को अनुसूचित आदिम जाति माना गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन करने के लिये राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं ।

मन्त्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा अस्तियों आकी घोषणा

†७०. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अनुसार मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक हो जायगा कि वह पद ग्रहण करते समय, उसे छोड़ते समय, अथवा किन्हीं अन्य उल्लिखित समयों पर, अपनी आस्तियों तथा सम्पत्ति के बारे में शपथ ले कर घोषणा करें;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमों के उपनियम ३ और ४, तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४ के उपनियम ३ तथा ४ के अनुसार, उन को चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण देना पड़ता है। मंत्रियों के सम्बन्ध में ऐसा विवरण दिये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

दिल्ली पुलिस के धन का दुरुपयोग

†**७१. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस बैंड तथा कल्याण निधि के धन का दुरुपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने धन का;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). दिल्ली पुलिस ब्रास बैंड निधि तथा दिल्ली पुलिस परस्पर लाभ निधि के लेखों से यह विदित है कि क्रमशः ४७,००८.५५ रुपये तथा ६,७१९.७२ रुपये गुम हैं और स्पष्टतः इनका गबन हो गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) तथा (घ). जी, हां। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा ५(२) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४०९ के अनुसार मुकद्दमा दर्ज हो गया है और मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध कर्मचारियों को कैद कर लिया गया था और वह इस समय जमानत पर हैं। उन्हें नौकरी से बरखवास्त भी कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा के लिए ग्यारह वर्ष का पाठ्यक्रम

†७२. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई हैं कि पहली कक्षा से स्नातक कक्षा तक का १४ वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्राथमिक (प्राइमरी) से ले कर प्रथम डिग्री के अन्त तक किसी भी राज्य में १४ वर्ष से कम शिक्षा का उपबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या

†७३. **श्री सोनावने** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ की जनगणना में महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों के जनसंख्या आंकड़े बहुत कम होने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों के जनसंख्या आंकड़ों में इस कारण कमी आ गई है क्योंकि बहुत से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

†७४. **श्री सोनावने** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय १९६३ के विद्या संबंधी वर्ष में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम का ब्योरा क्या है और उसकी अवधि कितनी होगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). पत्रकारिता का दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम जुलाई, १९६२ से चालू करने का प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

विकलांग बच्चे

७५. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग बच्चों को पढ़ाने तथा उन्हें काम सिखाने की संस्थायें कहां-कहां पर हैं और सारे देश में ऐसी शिक्षा संस्थाओं की संख्या क्या है ;

(ख) इन विकलांग बच्चों को सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना के बारे में विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८०८/६३]

पंजाब में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†७६. **श्री हेम राज** : क्या खान और ईंधन मंत्री २१ अगस्त, १६६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने पंजाब के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और स्पिती क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, नहीं । अनुसन्धान कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) अभी तक किए गए अनुसन्धान के निम्नलिखित परिणाम निकले हैं :—

पार्वती घाटी जिला कांगड़ा :

किसी भी खनिजीकृत कटिबन्ध की स्थिति का पता नहीं चला ।

गार्शा घाटी, कुल्लू उप-विभाग, जिला कांगड़ा :

क्षेत्र के विस्तृत तथा प्रादेशिक मानचित्र तैयार किए गए थे । एक ताम्र-कोबाल्ट निकल खनिजीकृत कटिबन्ध[1] का पता चला है । ताम्र लौह सल्फ़ाइड मुख्य धातुक खनिज[2] है और यह कणिक[3] तथा अंशतः कतित[4] मिश्रपिंडाश्मित[5] क्वॉर्टज़ाइट[6] में विकिर्णनों[7] तथा टुकड़ों के रूप में जगह जगह पर फैला हुआ मिलता है । और भी अनुसन्धान चल रहे हैं ।

लाहौल तथा स्पिती क्षेत्र :

बारा शीगरी के निकट स्टिबनाइट[8] मिलने की प्रारम्भिक जांच पड़ताल कर ली गई है जो नमूने प्राप्त हुए हैं उन की जांच की जा रही है ।

कटिहार सबडिवीजन में पैट्रोल तथा तेल की खोज

†७७. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के कटिहार सब-डिवीजन में पैट्रोल तथा तेल की खोज को तीव्र करने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mineralised zone.

[2]Ore mineral

[3]Gritty.

[4]Partly sheared.

[5]Conglomeratic.

[6]Quartzite.

Disseminations.

[8]Stibnite.

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'पासी' जाति का अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

†७८. **श्रीमती विमला देवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में निवास करने वाली 'पासी' जाति के लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का संशोधन कराने के लिये राज्य सरकारों से आये हुए विभिन्न प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन हैं ।

(ख) जी, हां ।

उत्तर प्रदेश में तेल का अनुसन्धान

†७९. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और साथ ही गोरखपुर जिले की महाराजगंज तथा फरेंदा तहसीलों में तेल के संसाधनों का कोई अनुसन्धान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त प्रदेश में सरकार का और भी अनुसंधान प्रयत्न करने का विचार है ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) भूकम्पीय सर्वेक्षणों से यह परिणाम निकला है कि तलछट[1] पहाड़ों की तलहटी की ओर धीरे धीरे मोटी होती जाती है । फिर भी, सर्वेक्षणों से मिट्टी के धुस्स[2] के साथ साथ किसी अनुकूल निर्माण विशेषता का पता नहीं चलता ।

(ग) इस क्षेत्र में अब और तुरन्त भूकम्पीय सर्वेक्षण करने की कोई योजना नहीं है ।

विदेशों को भेजे जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल

†८०. **श्री हेडा** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि आपात काल के दौरान कोई सांस्कृतिक शिष्टमण्डल विदेश नहीं भेजा जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)**: जी, नहीं ; परन्तु आपात के कारण सरकार ने इस प्रकार के प्रतिनिधिमण्डल भेजने के कार्यक्रम को कम करने का निश्चय किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sediment s.

[2]Profi l.

अवाडी में प्राकृतिक गैस

†८१. { श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मद्रास से लगभग १५ मील दूर अवाडी में प्राकृतिक गैस खोज ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) खोजी गई गैस के गुणों तथा मात्रा सम्बन्धी विश्लेषण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

†खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जिस रिसन[1] के समाचार प्राप्त हुए हैं उस का अनुसन्धान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है।

(ग) आगे और अनुसन्धान का कार्यक्रम क्या रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रारम्भिक अनुसन्धान किया जा रहा है उस का क्या परिणाम निकलता है।

दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय और स्कूलों के पुस्तकालय

८२. श्री ब्रजराज सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन सार्वजनिक पुस्तकालयों और विद्यालयों के पुस्तकालयों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है ;

(ख) इन के लिये पुस्तकों की खरीद करने का क्या तरीका है ; और

(ग) चालू वर्ष में पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों की खरीद पर क्या व्यय किया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली के माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र पढ़ाने की व्यवस्था

८३. श्री ब्रजराज सिंह ; क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ;

(ख) इन में से कितने विद्यालयों में ग्यारहवीं श्रेणी तक नागरिक शास्त्र पढ़ाने का प्रबन्ध है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Seepage.

(ग) नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए नियुक्त किये गये अध्यापकों की क्या योग्यता निर्धारित है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३२५ ।

(ख) १६० ।

(ग) (१) **ग्यारहवीं कक्षा के लिये**

(क) राजनैतिक विज्ञान में एम० ए० की डिग्री ।

(ख) शिक्षा में विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा अथवा किसी कालेज में ३ वर्ष का अध्यापन का अनुभव या किसी हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में ७ वर्ष का अध्यापन का अनुभव ।

(२) **नवीं और दसवीं कक्षा के लिये**

(क) राजनैतिक विज्ञान या इतिहास अथवा राजनैतिक शास्त्र में विश्वविद्यालय की डिग्री (डिग्री परीक्षा में कम से कम ४५ प्रतिशत अंकों के साथ) ।

(ख) शिक्षा में विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा ।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकें

८४. **श्री गोकर्ण प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में हिन्दी और अन्य भाषाओं की कितनी पुस्तकें खरीदी गईं ;

(ख) इस पर इस अवधि में कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इन पुस्तकों का मंत्रालय द्वारा क्या उपयोग किया जाता है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ४,१६,६५७

(ख) ८,३०,४४४.६७ रुपये ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय, और स्कूल पुस्तकालयों, सामुदायिक विकास खण्डों, बाल केन्द्रों और यूनेस्को जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को देने के लिए भी पुस्तकें खरीदी गईं ।

राष्ट्रीय खेल कूद संस्था पटियाला

८५. **श्री कछवाय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटियाला-स्थित राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था में खेल-कूद के किन विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध है ;

(ख) क्या संस्था में कोई नया पाठ्यक्रम चालू करने का विचार किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो वह कब से आरम्भ होगा ; और

(घ) उस पर कितने रुपये खर्च होने का अनुमान है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) व्यायाम, हाकी, कुश्ती, जिमनास्टिक, क्रिकेट, वालिबाल, टेनिस, फुटबाल, बेडमिन्टन और तैरना ।

(ख) वर्तमान छः मासिक पाठ्यक्रम के स्थान पर कुछ खेलों के लिए एक वर्षीय और कुछ के लिए त्रिवर्षीय नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है ।

(ग) जुलाई, १९६३ से ।

(घ) संस्थान पर अनुमानित खर्च १० लाख रुपये है, जिस में १९६३-६४ वर्ष के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल है ।

लड़कियों की शिक्षा

†८६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में लड़कियों और लड़कों की शिक्षा के अन्तर को कम कर दिया गया है ;

(ख) प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों ही शिक्षाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं । (उच्च माध्यमिक शिक्षा को अलग से मिला कर) ;

(ग) कितने राज्यों ने राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित विशेष उत्प्रेरक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए हैं ; और

(घ) कौन कौन सी योजनाएं किस किस राज्य में चालू की गई हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८०९/६३]**

सरकारी कर्मचारियों के लिए विद्यालय

†८८. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा तथा सरकारी कर्मचारी, जिनका कि जल्दी जल्दी स्थानान्तरण किया जा सकता है, के बच्चों के लिए आवासिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह निश्चय किया गया है कि पहिले विद्यमान रेजीमेंटल विद्यालयों को हाथ में ले लिया जाय और उन की स्थिति को दृढ़ किया जाय । जिन साठ स्थानों पर रेजीमेंटल विद्यालय स्थित हैं, उन में से तीस को पहिले वर्ष में ही ले लिया जायेगा । इन विद्यालयों के कार्य संचालन का अध्ययन किया जा रहा है और उन की जिन तुरन्त तथा दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है उन्हें आंका जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के सम्भरण की कमी

†८९. **श्री मरंडी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार १ अक्टूबर १९६२, से लेकर ३१ जनवरी १९६३ तक की अवधि में देश में कोयले के सम्भरण में हुई भारी कमी के तथ्य से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). १ अक्टूबर, १९६२ से ले कर ३१ जनवरी १९६३ की अवधि के दौरान, गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में, कोयले का उत्पादन तथा निकासी नीचे दी गई है :—

	दस लाख टनों में		दस लाख टनों में	
	उत्पादन	निकासी	उत्पादन	निकासी
	१९६१		१९६२	
अक्टबर	४.२९	४.१४	५.०३	४.७५
नवम्बर	४.६१	४.२७	५.८०	४.८७
दिसम्बर	४.८८	४.२५	*५.७७	*४.९६
	१९६२		१९६३	
जनवरी . . .	३.९६	३.१५	*५.९८	*५.०

उक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि अक्टबर, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक की अवधि के दौरान, १९६१–६२ की समान अवधि की तुलना में, कोयले के उत्पादन तथा निकासी दोनों में भारी वृद्धि हुई है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार कोयले के बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास कोयले का पर्याप्त स्कन्ध है और जहां तक उन का सम्बन्ध है कोयले की कोई कमी नहीं है । फिर भी, अगर बड़े उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालने वाले कोयले की कमी के कुछ मामलों को हमारे ध्यान में लाया जाता है तो कोयले का सम्भरण करने के लिए तुरन्त तदर्थ कदम उठाये जाते हैं और कभी कभी पर्याप्त स्कन्ध रखने वाले उपभोक्ताओं से ले कर भी कोयला संभरित किया जाता है ।

कालाकोट कोयला खानें

†९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य की कालाकोट कोयला खानों के कोयले को सस्ता करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

*अस्थायी ।

(ख) पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू प्रदेश को कोयले का सुगमता पूर्वक तथा कम व्यय पर सम्भरण करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). कालाकोट कोयले का खानों पर का मूल्य लगभग वैसी ही भूतत्वीय तथा खनिक दशाओं वाली अन्य खानों से निकलने वाले कोयले के मूल्यों से तुलना करने पर अनुकूल उतरता है। फिर भी जम्मू प्रदेश और पंजाब राज्य में कालाकोट कोयले का मूल्य उपभोक्ता तक पहुंचने में बढ़ जाता है क्योंकि इस कोयले का परिवहन दुर्गम पहाड़ियों तथा तंग पुलों के रास्ते से किया जाता है। जब तक यह सड़कें चौड़ी नहीं की जातीं तथा पुलों को मजबूत नहीं किया जाता जिस से कि अधिक माल ढोने वाली ट्रक उन पर चल सकें तब तक उपभोक्ता की कुल लागत में भारी कमी करना कठिनता से ही सम्भव है। फिर भी पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकारें संयुक्त रूप से इस बात पर विचार कर रही हैं कि कोयले का मूल्य किस प्रकार कुछ सीमा तक घटा दिया जाय।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

†९२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में इंजीनियरी तथा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन के लिए छात्र-वृत्तियां प्राप्त करने के नियमों अथवा प्रक्रिया में कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं ;

(ख) यदि कोई छात्र अपने व्यय पर जाना चाहें तो क्या उन पर भी कुछ प्रतिबन्ध हैं : और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २४ जनवरी, १९६३ को वित्त मंत्री द्वारा दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या १०५८ के भाग (क) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय छात्रों को विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लेने पर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए यदि छात्र स्नातक हो अथवा उसे प्रशिक्षण देने वाली संस्था सार्थ से वृत्तिका प्राप्त होने पर अथवा भारत की परीक्षा में कम से कम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेने पर, विदेशी मुद्रा दी जाती है।

चिकित्सा सम्बन्धी विषयों के प्रार्थियों के पास चिकित्सा विज्ञान की डिग्री होनी चाहिए तथा उन्हें यह सिद्ध करने के लिए लिखित साक्ष्य देना चाहिए कि किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए निश्चित प्रबन्ध कर लिए गए हैं। चिकित्सा विज्ञान में उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए जिस में दन्तचिकित्सा विज्ञान, होम्योपैथी तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान भी सम्मिलित हैं १,००० रुपये के उपकरण भत्ते के अतिरिक्त अधिक से अधिक २,००० रुपये की विदेशी मुद्रा दी जाती है। इंगलेंड में प्राथमिक एफ० आर० एस० सी० परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती क्योंकि भविष्य में यह परीक्षा भारत में भी ली जायेगी।

१९६३-६४ से आगे के वर्षों में विदेशी मुद्रा देने की नीति विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

†**श्री त्रिदिवकुमार चौधरी** (बरहामपुर): मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा यह अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

सोना नियंत्रण आदेश के लाग होने के फलस्वरूप कारीगरों और स्वर्णकारों में कथित बेकारी

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह विवरण चार पृष्ठों का है तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिये। यदि पूर्व सूचनायें प्राप्त होंगी तो इस विषय पर पृथक् चर्चा की जा सकती है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं विवरण को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ७९०।६३]**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७२ में प्रकाशित कोयला खान नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७९९/६३]**

खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : मैं खान और खमिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत, दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४ में प्रकाशित खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८००/६३]**

प्राक्कलन समिति

चौदहववां और पन्द्रां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(१) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) की निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी चौदहवां प्रतिवेदन :—

(एक) सचिवालय, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय और गीत तथा नाटक डिवीजन के बारे में एक सौ अट्ठावनवां प्रतिवेदन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) फिल्मों के बारे में एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन ।

(तीन) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयन के कार्यालय, अनुसन्धान तथा निर्देश डिवीजन और फोटो डिवीजन के बारे में एक-सौ-साठवां प्रतिवेदन ।

(२) योजना आयोग के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के इक्कीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा की गई कार्रवाई सम्बन्धी पन्द्रहवां प्रतिवेदन ।

सभापति तालिका

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह बताना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम सं० ९ उपनियम संख्या १ के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका का सदस्य मनोनीत करता हूं ।

(१) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

(२) श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

(३) श्री तिरुमल राव

(४) श्री खाडिलकर

(५) डा० सरोजिनी महिषी

कार्य मन्त्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति की बारहवें प्रतिवेदन से, जो १९ फरवरी, १९६३ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : समिति के प्रतिवेदन में समिति के सभापति के हस्ताक्षर होने चाहिये न कि अध्यक्ष लोकसभा के । इस प्रतिवेदन में आपके हस्ताक्षर हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर गौर करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा की मन्त्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो १९ फरवरी १९६२ को सभा पटल पर उपस्थित किये गये थे, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री रा० शि० पांडेय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखेंगे। इसके पूर्व मैं एक बात बताना चाहता हूं।

मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विभिन्न दलों की ओर से कई संशोधन प्राप्त हुए हैं यथा संगठित निर्दलीय दल से, १०, मुस्लिम लीग से ६, जनसंघ से २५ इसी प्रकार अन्य दलों से भी कई संशोधन प्राप्त हुए हैं।

अतः संशोधनों को प्रस्तावों या संकल्पों का रूप देने के लिये मेरे विचार से यह अधिक वांछनीय होगा कि प्रत्येक दल एक या अधिक सदस्यों की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

अतः मैं सभी दलों के नेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में निर्णय करके मुझे उसकी जानकारी दे देवें। मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तनों से सहमत होगी मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में सहयोग करेंगे।

†**श्री रामसेवक यादव** (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, अगर पहले से हम लोगों को मालूम होता कि इस तरीक़े से कम अमेंडमेंट्स दिये जाते हैं और एक ही अमेंडमेंट देना है तो हम इसकी व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन अब जबकि यह दिये जा चुके हैं तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि वे सब बातें एक संशोधन में नहीं आ सकतीं।

श्री रा० शि० पाण्डेय : (गुना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।'"

अध्यक्ष महोदय: हमारे गणराज्य के सर्वोच्च अधिकारी और प्रथम नागरिक, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, ने जो भाषण और सम्बोधन हमारे सामने उपस्थित किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति अनुगृहीत होने के प्रस्ताव को आप के समक्ष प्रकट करता हूं। उनके भाषण में तीस सूत्र हैं और उन तीस सूत्री के द्वारा उन्होंने अपनी भावनाओं को इस देश के जन मानस को समर्पित किया।

राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारान्निवोधत"—उठो, जागो, जो अवसंर आप को प्राप्त है, उनको पहचानो और तब तक आगे बढ़ो, जब तक कि लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त न हो जाए। उनके इन शब्दों से निश्चित रूप से राष्ट्र को प्रेरणा मिलना स्वाभाविक है। उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को जिन तीस सूत्रों में सदन के सम्मुख उपस्थित किया, उनमें कुछ प्रधान सूत्रों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आरम्भ में उन्होंने संसद् की रहनुमाई का जिक्र किया और उसके द्वारा देशवासियों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षणके लिए किये गए प्रयत्नों का उल्लेख किया। गणराज्य में समाजवाद के लक्ष्य की सिद्धि और उपलब्धियों की ओर भी उन्होंने सारे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने देश में खेती के विकास की आवश्यकता, विश्व राजनीति में हमारे प्रमुख भाग, संसार में शान्ति स्थापना के लिए हमारे योगदान और हमारी तटस्थता की नीति की सिद्धियों और उपलब्धियों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

प्रकाश डाला। इस देश पर किये गये चीनी आक्रमण और उसकी अन्तर्राष्ट्रीय भर्त्सना का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र की अखण्डता पर हुए इस प्रहार पर दुःख प्रकट किया और देश की एकता और तैयारी की दुंदुभी बजाई। उन्होंने अमरीका, ब्रिटेन और उन तमाम देशों के प्रति आभार प्रदर्शित किया कि हमारे संकट-काल में हमारी सहायता के लिए दौड़े आए। जनता ने राष्ट्रीय रक्षा-कोष में जो योगदान दिया और धन, सोने, मंगल-सूत्र और कंगनों का जो ढेर लगा दिया, उसकी ओर भी उन्होंने संसद् का ध्यान आकर्षित किया। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शान्ति-स्थापना की उन्होंने सराहना की। इसके बाद उन्होंने देश भर में पांच करोड़ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और वैज्ञानिक तथा टैक्निकल शिक्षा पर दिये जा रहे बल की ओर भी संकेत किया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जा रहे चतुर्मुखी विकास के सम्बन्ध में उन्होंने जहाज़रानी की प्रगति और कोयले के उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख किया। इस के साथ ही उन्होंने खर्च में कमी और मितव्ययिता की आवश्यकता पर बल दिया। एटामिक पावर के विकास के सम्बन्ध में हमारे देश में जो एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है, उस की भी उन्होंने सराहना की। इस के साथ साथ देश में पंचायती राज, कम्युनिटी डेवेलपमेंट प्रोग्राम और ग्राम स्वयंसेवक दल की स्थापना का भी ज़िक्र किया।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : राष्ट्रपति ने तो यह सब कहा। माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रा० शि० पाण्डेय : संसार में जो देश हाल ही में स्वाधीन हुए हैं, उनका राष्ट्रपति जी ने स्वागत किया। हमारे देश में अन्य देशों के जो राजा, रानी, प्रधान मंत्री और अन्य नेता पधारे, उन के अभिनन्दन का भी उन्होंने ज़िक्र किया। क्यूबा के सम्बन्ध में एक विध्वंसात्मक युद्ध शुरू होने की आशंका की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन दो सम्बद्ध राष्ट्रों की को-एग्ज़िस्टेंस, सह-अस्तित्व, की भावना ने उस ज्वाला को रोक दिया।

यह उन तीन सूत्रों की संक्षिप्त कहानी है, जोकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में रक्खीं। अब माननीय सदस्य, श्री जसवन्त मेहता, सुनें कि मैं क्या कहता हूं।

राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन की पारिपाटी हमारे गणराज्य और संसद् के निर्माण के साथ ही आरम्भ हुई। हमारे राष्ट्रपति के कार्यकाल का यह प्रथम वर्ष है और अतएव उन के प्रति यह हमारा प्रथम कृतज्ञता-ज्ञापन है। राष्ट्रपति हमारे प्रजातंत्रीय जीवन के श्रेष्ठतम नागरिक एवं अधिकारी हैं। उन के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन का अर्थ संपूर्ण राष्ट्र, संसदीय प्रणाली एवं शासन के द्वारा किये गये कार्यों और नेता-मंडली के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करना है।

हमारे राष्ट्रपति विश्व के माने हुए मानव-दर्शन के आचार्य, शिक्षा-शास्त्री, अनेक भाषाओं के उद्भट विद्वान, शील तथा नम्रता से मुखरित पावन गम्भीर व्यक्तित्व से सम्पन्न, राजनीति के महापंडित हैं और उन के नेतृत्व से हमारा गणराज्य धन्य है।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज़िक्र किया। विशेषकर चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में उन्होंने जो विचार प्रकट किये, उन को दृष्टि में रखते हुए यदि हम झांक कर उनकी मनःस्थिति को देखें, तो हम पाते हैं एक अवसाद और दुःख से भरा हुआ हृदय और मानवता के प्रति हो रहे षड्यंत्र से विचलित मानस। इस बीसवीं सदी में, जब कि संसार

का प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपने नागरिकों को राजनीतिक न्याय, वाणी-स्वातंत्र्य, पूजा की आजादी, बराबरी का दर्जा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता की गारण्टी देते हुए, नैसर्गिक मूलभूत प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के सहारे मानव-मात्र के सुख-शान्ति का वातावरण निर्माण कर रहा हो, उस समय यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर हाथ उठाये या उसको पराधीन बनाने की कुत्सित चेष्टा करे, तो राष्ट्रपति के कथनानुसार, उस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे अवसर पर, जब कि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमें राष्ट्रपति के नेतृत्व से बड़ा बल मिला। क्यों नहीं ? वह हमारे प्रजातंत्र के मुखिया हैं। उन से लगी हुई हमारी शुभ आशायें "तमसो मा ज्योतिर्गमय" के मार्ग-दर्शन के रूप में फलवती हुई।

राष्ट्रपति जी ने संसद् के कार्य की सराहना की और उसकी कठिनाइयों की समीक्षा। हमारी संसद् शाश्वत-जीवी संसद् है। यह हमारी ज्ञान-गंगोत्री है। देशवासियों के हृदय-तटों को स्पर्श करती हुई, "न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि लोके" के गीत को गुनगुनाती हुई, प्रधान मंत्री के शब्दों में लिहाज़ और बर्दाश्त का संदेश देती हुई, अपने आप में सर्वसत्तावान्, शाश्वत रूप से विद्यमान है और रहेगी।

राष्ट्रपति जी के भाषण के लिए उनके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के प्रस्ताव को इस सदन के सम्मुख रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा हूं। राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकारी, डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रात:स्मरणीय डा० राजेन्द्र प्रसाद, द्वारा डाली गई संयम, सद्भाव और दृढ़ता की भाषा की परम्परा का आदर किया है। राष्ट्रपति जी ने अपने संक्षिप्त से भाषण में देश की आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति, स्वास्थ्य साधनों का विस्तार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा प्रसार, टैक्नीकल व्यवस्था तथा अनेक क्षेत्रों की उपलब्धियों का साधन और सामर्थ्य से समन्वय करते हुए जो विशुद्ध चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है, वह न केवल वास्तविक है वरन् प्रेरणाप्रद, उत्साहवर्धक एवं कर्तव्य बोधक भी है।

श्रीमन्, राष्ट्रपति जी ने गणराज्य निर्माण के बाद लोकतंत्रीय समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित करने और इस व्यवस्था को सिद्धियों से मंडित करने की दिशा में दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने और तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य में जो हम हैं, उसका उल्लेख करते हुए अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में हुई प्रगति को स्वीकार करते हुए कहा है कि हमें इस तरक्की, हमें इस प्रगति से सर्वथा संतोष नहीं हुआ है। हमें बड़े आदर के साथ उनकी इस भावना को आत्मसात करना है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जो उन्होंने ये विचार प्रकट किये हैं इनसे उनका आशय और उनका संकेत वह है कि हमारी योजनायें द्रुतगति से आगे बढ़ें और उनको वेगवान बनाया जाये ताकि जनता इनके फलस्वरूप लाभान्वित हो।

श्रीमन्, हमारी आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने स्वयं ही कृषि उत्पादन, औद्योगिक उन्नति, शिक्षा प्रसार, कुटीर उद्योगों और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो आंकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत किये हैं वे प्रमाणित करते हैं कि हमने देश की चतुर्मुखी उन्नति की है। आज देशवासी चाहे नगरों में रहते हों और चाहे देहातों में रहते हों और चाहे छोटी छोटी झोंपड़ियों में ही क्यों न रहते हों, हमारे कठोर भागीरथ प्रयत्नों से विकास रूपी गंगा जल से यदि स्नान नहीं कर सके हैं तो आचमन से पावन और लाभान्वित अवश्य हुए हैं।

श्रीमन्, आज प्रत्येक गांव किसी न किसी योजना से आबद्ध है, चाहे वह कम्युनिटी डेवेलपमेंट हो, चाहे छोटे बड़े डैम हों, चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट हो, चाहे स्टील प्लांट हो, बिजली का उत्पादन हो, सड़कों का निर्माण हो, किसी न किसी योजना से हमारे गांव लगे हुए हैं। आज गांवों

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

में शहरों की अपेक्षा अधिक सड़कें बन रही हैं और ट्रांस्पोर्ट और कम्युनिकेशन के साधनों की वृद्धि से गांवों की आर्थिक स्थिति में विकास हुआ है। जहां हमारे ग्रामवासी तार और चिट्ठी के आधुनिक साधनों से अनभिज्ञ थे, वहां आज हमारे ग्रामवासी चाहें तो टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं, बैलगाड़ी के स्थान पर साइकिल, बस, ट्रेन और चाहें तो बोइंग से भी सफर कर सकते हैं। जिन्होंने रेल भी नहीं देखी थी वे आज लेंडिंग और टेक आफ देखने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

श्रीमन्, हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था का यह टेक आफ है। चाहे विश्वकर्मा ही क्यों न हो, भवन निर्माण के पहले नींव डालनी होती है। हम ने नींव डालने का काम समाप्त किया, नींव डालने की प्रक्रिया समाप्त हुई। दो मंजिलें भी हमारी पूरी हुईं। तीसरी मंजिल का काम हमने शुरू किया है। चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं और इससे भी अधिक जब हमारी मंजिलें पूरी होंगी हम अपने ग्रामवासियों को, हम अपने देशवासियों को बसाते हुए आगे बढ़ते जायेंगे। यह है हमारी प्रगति, यह है हमारी निष्ठा।

श्रीमन्, खेती के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने बड़ा ही गहरा अनुराग, बड़ी ही गहरी दिलचस्पी बताई है। हम जानते हैं कि हमारे समूचे राष्ट्र की जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत गांवों में बसा हुआ है। हमारे पास ३५० मिलियन एकड़ धरती है। इस पर खेती होती है, श्रम होता है। ३५० मिलियन एकड़ धरती में से कितनी धरती पर सिंचाई होती है, जिस को जल से प्लावित करने की व्यवस्था है, वह बहुत कम है। केवल ५८ मिलियन एकड़ में ही सिंचाई होती ह। ८० मिलियन एकड़ में एश्योर्ड रेनफाल होता है, यानी इसको जो ऊपर से पानी गिरता है, वह प्राप्त होता है। बाकी ज़मीन यानी दो तिहाई के करीब है जिसके लिए हम सिंचाई के साधन अभी तक उपलब्ध नहीं कर पाये हैं। इस धरती के लिए सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करने में भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस प्रकार से हमें एहसास हो सकता है कि हम जो भी आधुनिक साधन हैं खेती के सम्बन्ध में, उनके प्रति जागरूक हैं। छोटे बड़े डैम, नहरों की खुदाई, बंड निर्माण, सायल कंज़र्वेशन की व्यवस्था इत्यादि की ओर ठोस कदम उठाने की प्रक्रिया हमारे यहां आरम्भ है।

श्रीमन्, खाद्य की समस्या भी है। यदि आप १९४९-५० के आंकड़े लें तो आप को पता चलेगा कि हमारे यहां केवल ४९ मिलियन टन अनाज होता था। और अब १९६१-६२ के जो आंकड़े आप के सामने हैं, उन से पता चलता है कि करीब ८० मिलियन टन हमारे यहां अन्न का उत्पादन हुआ है। खेती एक बायोलोजिकल प्रासैस है। यह इंडस्ट्रियल प्राडक्शन से बिल्कुल भिन्न है। इंडस्ट्रियल प्राडक्शन में कच्चे माल से पक्का माल बनाना आसान है क्योंकि वह मैकेनिकल प्रासैस है। मशीन की गति तथा मनुष्य की टैक्नीकल दक्षता दोनों के संग—साथ से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन खेती का काम असंगठित है। वह सात करोड़ परिवारों में बंटा हुआ है। ३५० मिलियन एकड़ में खेती होती है। सात करोड़ परिवारों के हाथों उसका काम होता है। फिर इसके लिए हमें चाहिये कई चीजें, पानी, खाद, अच्छा बीज, कर्ज, नहरें, बंड, सायल कंज़र्वेशन इत्यादि और साथ ही साथ पौधे की रक्षा। ज़मीन को खोद कर जब बीज को हम धरती में गाड़ते हैं तो उसका फल हमको लम्बे समय के बाद मिलता है और तब तक उसकी रक्षा करनी पड़ती है। यह इंडस्ट्रियल प्राडक्शन की तरह नहीं है। यह प्राकृतिक है। इसको उतने ही दिन लगेंगे, उतनी ही पैदावार होगी, इसको चाहिये, पानी, इसको चाहिये खाद, इसको चाहिये परवरिश, इसको चाहिये अनुकूल वातावरण और जब यह सब कुछ हो जायेगा तब जा कर वह सात या आठ महीने के बाद फल देगी। खेती की तरफ हमारा ध्यान गया है, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। दूसरी चीज़ों के आंकड़े भी आप देखें। हमारे यहां १९५० में क्रिस्टल शुगर १० लाख टन

होती थी और अब करीब तीस लाख टन शक्कर पैदा होती है। पहले का इतिहास हमें बताता है कि हम को शुगर का इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन इस समय हमने २.५ लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट किया है और इतना होने के बावजूद भी हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए सरपलस शक्कर बची हुई है। १९४९–५० का अनाज का उत्पादन अगर आप लें तो आप को पता चलेगा कि १९६०–६१ में वह ३५ प्रतिशत के करीब बढ़ा है। कमर्शियल क्राप को आप लें। कमर्शियल क्राप्स का उत्पादन करीब ४८ प्रतिशत बढ़ा है। कमर्शियल क्राप्स और अन्न के उत्पादन को अगर मिला दिया जाये तो इन दस ग्यारह बरसों में उत्पादन में ४० परसेंट की वृद्धि हुई है। इसका नतीजा यह निकला है कि फारेन एक्सचेंज की अर्निग्ज़ में हम वृद्धि कर सके हैं।

जहां तक जूट के उत्पादन का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह लक्ष्य हमने तृतीय योजना के आरम्भ में ही प्राप्त कर लिया है। ६२ लाख गांठें हमारी इस सफलता की प्रतीक हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस तृतीय योजना के दौरान हमारा उत्पादन और भी बढ़ेगा।

तृतीय योजना के मध्य में ८० मिलियन टन अनाज हमने पैदा किया। इस योजना के अन्त तक हमें सौ मिलियन टन अनाज चाहिये। पहले और अब उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उस की हम ने सराहना की है। लेकिन कभी कभी बच्चों की वृद्धि देख कर हमें आश्चर्य होता है। हमारे यहां ८६-८७ लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं। हमारी यही कामना है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, वे चिरंजीवी हों। हमने तृतीय योजना के जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य हैं, उन को अगर प्राप्त भी कर लिया और सौ मिलियन टन अनाज हम पैदा करने में सफल भी हुए, तो फिर अगर इसी गति से हर साल अगर ८६-८७ लाख बच्चे आते गये तो पता नहीं कि हमारे नंदा साहब या पाटिल साहब कौन सी आधुनिक प्रक्रिया के द्वारा अनाज की पैदावार में वृद्धि कर सकेंगे। यद्यपि हम निराश नहीं हैं और न ही निराश होने का कोई कारण है। जिस गति से हमारी योजना सफलतायें और सिद्धियां तथा उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं, उस के महत्व को हम भली भांति समझते हैं और जो हमारे दायित्व हैं, उन को भी हम समझते हैं और उन का हम बड़ी कर्मठता के साथ पालन करेंगे।

श्रीमन्, जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। पंचायती राज की कल्पना ले कर हम आगे बढ़े हैं और नौ राज्यों में पंचायती राज आरम्भ हुआ है। हम आशा कर सकते हैं कि बहुत शीघ्र ही उन प्रान्तों में भी जहां पर इस का श्रीगणेश नहीं हुआ है, वहां पर भी हो जायेगा। पंचायती राज के जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन को अगर आप देखें तो एक आशाप्रद चित्र आप के सामने उपस्थित हो जायेगा। २ लाख ३० हजार पंचायतें हमारे यहां काम कर रही हैं, २ लाख कोआपरेटिव सोसायटीज़ हैं, इसी वर्ष हम ने २५० करोड़ रुपये किसानों को कर्ज देने की योजना की और वह सफल हुई। इन कोआपरेटिव सोसायटीज़ में कोई २ करोड़ सदस्य हैं। ५२०० डेवेलपमेंट ब्लाक्स १९६३ में पूरे होंगे। इन सब पर यह दायित्व है कि वे हमारे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करें। हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ देश की परकैपिटा, अर्थात् व्यक्तिगत आमदनी भी बढ़ी है। वह ३३० के करीब है।

हमें यह स्वीकार करने में तनिक संकोच नहीं है कि हमारा देश गरीब है, किन्तु हीनता के भाव से हम ग्रसित नहीं हैं। हमने अपने यहां ऐटमिक एनर्जी, मशीनों और आधुनिक तत्वों को प्रोत्साहन दिया है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सेल्फ जेनरेटिंग हो जाये। ऐटमिक पावर का उत्पादन हमारे देश में एक क्रान्तिकारी कदम है।

हम योजनाबद्ध संगठन के साथ ४२ करोड़ जनसंख्या के काफिले को ले कर अपनी विकासमयी तीर्थ यात्रा के दो चरण समाप्त कर तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे थे। सारा देश अनुशासन के साथ,

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

निष्ठा और श्रद्धा के साथ आदरणीय नेहरू के दो पैरों के साथ ८४ करोड़ पैरों को मिला कर चलना सीख रहा था—आखिर हमारी स्वतंत्रता की तरुणाई केवल पन्द्रह वर्ष की है—हमारे अपने इतिहास की काली मसि, अर्थात् स्याही, अभी भी सूखी नहीं है । फूट, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, फिरके परस्ती, छूआ छूत, छोटे बड़े की विभीषिका की कहानी से, जोकि हमारी गुलामी का कारण बनी थी, इतिहास भरा पड़ा है । पिछली कहानी हमें बताती है कि उन्हीं तुच्छ जघन्य पापों के कारण हमें दासता के बन्धन में फंसना पड़ा था । इतिहास के वे काले पन्ने खोलते ही शर्म से गर्दन झुक जाती है ।

बापू अवतार नहीं थे, लेकिन वे हमारे राष्ट्र के जीवन में अवतरित हुए । गुलामी और दासता के बन्धन से मुक्ति दिलाने के लिए बापू ने बड़ी कीमत अदा की । उन्होंने अपने आप को बलि के कुंड में स्वाहा कर दिया । "गणराज्य" यह उन की फूंकी हुई शक्ति का वरदान हमें मिला और हमें उन के उत्तराधिकारी मिले हमारे प्रधान मंत्री । आज उसी गणराज्य की रक्षा का प्रश्न है । इसलिए मैंने अतीत की कहानी आप की सेवा में उपस्थित की । कांग्रेस जो हमारी पार्टी है, जिस का हमें एक सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, उस की आत्म बलिदान और त्याग ही धरोहर है । राष्ट्रपति जी ने देश के शासन संचालन का दायित्व श्री नेहरू जी और उन के साथियों के सबल हाथों में सौंपा है । हमारे राष्ट्र को नेहरू जी के नेतृत्व में शांति, मैत्री, नैतिकता, एकता, समता तथा युद्ध की तैयारी और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिली, जो हमारे लिए एक वरदान का द्योतक है । इस संकट काल में यह हमारे प्रधान मंत्री का अनुपम साहस है कि वे प्रजातंत्र, योजना और ननअलाइनमेंट को बगैर विचलित हुए एक साथ चला रहे हैं । मैं आप से निवेदन कर रहा था कि पंडित जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ा । तीन चुनावों के महान् मन्थन से अपनी राय देने के प्रति जनता में एक निष्ठा का प्रादुर्भाव हुआ । संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियों ने स्वीकार किया कि हम प्रजातंत्र के मूलभत सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में सक्षम हैं ।

हमारे सम्बन्ध प्रायः सभी देशों से मैत्रीपूर्ण हैं । हमारा दृष्टिकोण दूसरे देशों से सम्बन्ध रखने के माध्यम के रूप में पंचशील, सहअस्तित्व, तटस्थता अर्थात् नानअलाइनमेन्ट और शान्ति का था । हम नेहरू जी के नेतृत्व में समाजवाद की रचना, सत्ता के विकेन्द्रीकरण, आर्थिक विकास तथा "वसुधैव कुटुम्बकम्" के कार्य में तल्लीन थे कि चीन ने हम पर आक्रमण किया । कोलम्बो प्रस्ताव के सुझाव हमारे सामने आये । प्रधान मंत्री ने नेतृत्व में हम ने बड़ी सफलता और कुशलता के साथ स्थिति का मुकाबला किया । परिणाम यह हुआ कि चीन ने हम पर जो आक्रमण किया संसार के तमाम राष्ट्रों ने उस की भर्त्सना की, आलोचना की ।

राष्ट्रपति जी ने जैसा जिक्र किया, चीन ने हमारी मैत्री को चुपके चुपके शत्रुता का रूप दिया । चोरी से हमारी सीमाओं को लांघता हुआ, उसने २० अक्तूबर, १६६२ के दिन हमारी उत्तरी और पूर्वीय सीमाओं पर आक्रमण कर दिया । इस आक्रमण से हम को दुःख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ । दुःख और आश्चर्य होना स्वाभाविक भी था । किन्तु उस के कुछ अच्छे परिणाम भी निकले ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर)**: एक औचित्य प्रश्न के हेतु । क्या माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण पढ़ सकते हैं । वह अपना लिखित भाषण पढ़ रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई माननीय सदस्य अपना भाषण पढ़ नहीं सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी (देहरादून) : चूंकि वह स्टेन्डर्ड हिन्दी बोल रहे थे इसलिए शायद आप की समझ में नहीं आया ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जनाब मैं आप से ज्यादा अच्छी हिन्दी बोलता हूं । आप मेहरबानी कर के अपने वर्ड्स विदड्रा कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को २७ मिनट हो चुके हैं मेरा खयाल है कि अब उन को दो तीन मिनट में अपनी स्पीच खत्म करनी चाहिये ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : यह जो पांच मिनट का मेरे स्पीच में इंटरप्शन हुआ है उस को उस में से निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इंटरप्शन भी स्पीच का हिस्सा है ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : जब हम पर चीन का आक्रमण हुआ तो हम ने देखा कि गोली का जवाब हमारे जवानों ने गोली से दिया । इस चीन के आक्रमण के कारण एक मोड़ पर खड़े हो कर पृष्ठभूमि में भविष्य वर्तमान और भूतकाल के दिनों को सामने रख कर हमें कुछ निर्णय करने पड़े । किसी से छिपा नहीं है कि हमारे जवानों ने लद्दाख और चुशूल में घमासान युद्ध कर के जिस रणबांकुरेपन को दिखलाया उस से हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है यद्यपि नेफा में हमें कुछ पीछे भी हटना पड़ा । यदि मैं एक देहाती की ग्रामीण भाषा को आप के सामने प्रस्तुत करूं तो उस ने मुझ से यह कहा कि जब वह आगे बढ़े तो हम पीछे हटे और जब हम आगे बढ़ना चाहते थे तो वह पीछे हटे और पीछे हटे और हट गये । हम दुबारा पीछे नहीं गये ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : चाइनीज हट गये ? क्या बात है ?

श्री रा० शि० पाण्डेय : हमारा और चीन का झगड़ा केवल सीमा का झगड़ा नहीं था । यह झगड़ा है सिद्धान्त का प्रजातंत्र और साम्यवाद का । और उस का निर्णय होगा । सारे संसार के जितने शक्तिवान राष्ट्र हैं वे इस बात को तय करेंगे कि **माइट इज राइट और राइट इज माइट ।** इस का निर्णय संसार के लोग करेंगे । इस समय हम पर जो संकट आया उस में जिस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री ने संयम और दूरदर्शिता से काम लिया है उस के लिये हम उन के कृतज्ञ हैं । राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए जब उन्होंने जनता का आह्वान किया तो सारा देश एक हो गया तमाम पार्टियों के झंडे झुक गए और उस समय वेद के शब्दों में सारा राष्ट्र एक हो गया ।

संगच्छध्वम्, सं वदत्वम्, सम्वो मनांसि जानिताम्, अभिराष्ट्रंने वर्धता, अर्थात् एक साथ चलो, एक साथ बैठो, एक मन से विचार करो और इस प्रकार राष्ट्र की उन्नति करो ।

कुछ राष्ट्र हमारी सहायता के लिए सामने आए । हमने उन का अभिनन्दन किया । उनमें अमरीका और ब्रिटेन प्रधान हैं । कुछ तटस्थ देश सन्धि के प्रस्ताव को ले कर हमारे पास आए । हमने उस को स्वीकार किया और उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं महाभारत की एक आख्यायिका को आप के सामने रखना चाहता हूं । युद्ध आरम्भ होने के पूर्व कौरव कुल पूज्य धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि तुम जा कर धर्मराज से कहो कि हम युद्ध नहीं चाहते शान्ति चाहते हैं । जब संजय धर्मराज के पास पहुंचे तो उन्होंने संजय से कहा कि तुम को दुर्योधन के वे शब्द याद हैं जो उस ने हमारे सन्धि प्रस्ताव पर कहे थे :

शूंच्याग्रे न केशव

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

अर्थात् मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के न दूंगा। उस समय श्री कृष्ण जी भी वहां उपस्थित थे। उन की ओर इंगित करते हुए धर्मराज ने कहा कि संजय सन्धि का प्रस्ताव लाए हैं। तो श्री कृष्ण ने संजय से कहा कि तुम कौरवों और पांडवों के सम्बन्धों से परिचित हो। अब सन्धि का समय नहीं है। धृतराष्ट्र से जा कर कह दो कि अब हमारी नीति यह है कि :

न दैन्यम न पलायनम्

अब देर हो चुकी है। अब सन्धि का समय नहीं है युद्ध का समय है। उन्हों ने संजाय से कहा कि अब वे यद्ध और संग्राम के लिए तैयार रहें। हम अब न दैन्य दिखलाना चाहते हैं और न पीठ दिखलाना चाहते हैं।

आज आप देखें कि चीन के इस कृत्य की निन्दा सारी दुनिया के देश कर रहे हैं। यही नहीं साम्यवादी देश भी पूर्वी यूरोप के देश और एशिया और अफ्रीका के वे तमाम देश जो साम्यवाद को मानते हैं उन्हों ने चीन की भर्त्सना की है। जब श्री टीटो मास्को गए और उन की श्री ख्रुश्चेव से बात चीत हुई तो उन्हों ने प्रधान मंत्री जी को संदेश भेजा कि वे उन की नानएलाइनमेंट की पालिसी की और दृढ़ता की सराहना करते हैं और चीन की निन्दा करते हैं।

जो व्यक्ति और पार्टियां यह कहते हैं कि हम पराजय की भावना से ग्रस्त हैं वे असत्य कहते हैं। हम इस युद्ध में कामयाब हुए हैं। हमारी विजय हुई है। हमारे सिद्धान्त की विजय हुई है और सिद्धान्त से राष्ट्र का सम्बन्ध है।

जहां तक नानएलाइनमेंट की पालिसी का सम्बन्ध है उसकी हमने पिछले १५ वर्षों से पूजा की है और उसको आज संसार मानता है। यदि कोई इस स्थिति में सारे देश को सामने रख कर कहे कि हमारी पराजय हुई है तो हम कहेंगे कि या तो उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं देती और अगर ऐसा नहीं है तो हमको उसकी बुद्धि पर तरस आता है।

जिस समय अभी हाल में क्यूबा का प्रश्न खड़ा हो गया और एक ध्वंस लीला होते होते बची, उस समय जरमनी की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में श्री ख्रुश्चेव ने कहा कि सहअस्तित्व के सिद्धान्त के बिना सरवाइवल आफ पीस नहीं हो सकता। हमने इस सिद्धान्त को किसी से नहीं सीखा वरन् हमारे देश के मसीहा श्री जवाहरलाल ने इस सिद्धान्त को इस देश और संसार के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मगर हमको संसार में शान्ति को अक्षुण्ण रखना है और मानव कल्याण को अक्षुण्ण रखना है तो ससार को सहअस्तित्व के सिद्धान्त को मानना होगा। हम चाहते हैं कि न केवल हमारा देश बल्कि सारा संसार इससे शिक्षा प्राप्त करे।

हम आत्म निर्भरता चाहते हैं। यह ठीक है संकट काल में हम दूसरों की सहायता ले सकते हैं लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए स्वावलम्बी होना चाहते हैं। हमने अभी सहायता ली, लेकिन पंडित जी ने एअर अम्ब्रेला के सम्बन्ध में कहा कि हम नहीं चाहते कि इसके लिए हमारे यहां कोई अपने अड्डे बनाए। हमारी धमनियों में रक्त है। हमारे पास जवान हैं, हमारे पास शक्ति है और भावना है। हम चाहेंगे कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। हम चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी की ओर आशा भरी दृष्टि से न देखें। अगर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम उसका हाथ मरोड़ देंगे। यदि कोई हमको धक्का देगा तो उसका उत्तर देने की शक्ति हम में है। फिर भी अगर हमारे संकट के समय हमको कोई सहायता देने के लिए आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिए। ३५ मिनट हो चुके।

श्री रा० शि० पाण्डेय : पांच मिनट और दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको ३५ मिनट हो गए हैं। एक दो मिनट में खत्म कीजिए।

श्री रा० शि० पाण्डेय : कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी दरख्वास्त सुनी गयी ?

श्री रा० शि० पाण्डेय : सन्धि की बात को हमने स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य जो शब्द आखिर में कहना चाहते हैं वे कह दें और एक दो मिनट में खत्म करें।

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं उन तमाम राष्ट्रों के प्रति जिन्होंने हमारे साथ सैद्धान्तिक मतैक्य प्रकट किया और हमारी सहायता की तथा इस संकट काल में जिन्होंने हमारी तटस्थता और नान-एलाइनमेंट की पालिसी को सराहा, अपने अनुग्रहीत होने का भाव प्रकट करना चाहता हूं।

श्रीमन्, परसों के दिन हिन्दी के नाम पर जो एक वितंडावाद हमारे सेंट्रल हाल में उपस्थित हुआ अगर मैं उसका जिक्र न करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया . . .

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : वह हिन्दी का झगड़ा नहीं था बल्कि राष्ट्रभाषा का झगड़ा था।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री रा० शि० पाण्डेय : हमारे गणराज्य के सबसे बड़े पुजारी, सबसे बड़े साधक जब विधान के अन्तर्गत हमें सम्बोधित करते हों उस समय हिन्दी के नाम पर, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, यदि इस प्रकार का बवण्डर खड़ा किया जाए और इस प्रकार का उद्दण्ड व्यवहार किया जाय तो उससे सारे राष्ट्र की गरदन झुकती है, हमारी गरदन झुकती है और हिन्दी की भी गरदन झुकती है।

श्री राम सेवक यादव : चीन से निपटिए।

एक माननीय सदस्य : आज जो सरकार है वह संविधान का पालन नहीं करती उसको बन्द किया जाए। आज जितना कानून संविधान में है वह काफी है उसी पर अमल किया जाए . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनको बोलने देंगे या नहीं। उनकी स्पीच का समय है।

श्री रा० शि० पाण्डेय : भाषा और संस्कृति राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। सदन की एक छोटी सी पार्टी के नेता, जिस पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी है, उन्होंने राष्ट्र के नाम पर और हिन्दी के नाम पर इस प्रकार का कुत्सित व्यवहार किया, जिससे प्रधान मंत्री को दुःख हुआ और सारे राष्ट्र को दुःख हुआ और जिन लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है उनको राष्ट्र कभी क्षमा नहीं करेगा।

हम पुनः राष्ट्रपति का आभार प्रगट करते हैं।

डा० का० ला० राव (विजयवाड़ा) : मैं श्री रा० शि० पांडे द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। इस प्रसंग में मैं आपका ध्यान विजयवाड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है तथापि अभी तक वहां जल सम्भरण और स्वच्छता की उचित व्यवस्था नहीं है।

[डा० का० ला० राव]

यह सौभाग्य का विषय है कि हमें कर्मयोगी डा० राजेन्द्र प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में डा० राधाकृष्णन् प्राप्त हुआ है। आप विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक हैं।

डा० राधाकृष्णन् ने अपने अभिभाषण में यह आशा प्रगट की है कि चीन के आक्रमण के बावजूद भी कृषि, उद्योग, परिवहन और वाणिज्य, विद्युत् तथा टैक्नीकल शिक्षा तथा अनुसन्धान के क्षेत्र में प्रगति जारी रखी जायेगी। उक्त क्षेत्रों में प्रगति के बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्र को उपलब्ध शक्ति की मात्रा में वृद्धि की जाये।

भारत में इस समय शक्ति की प्राप्ति लकड़ी, कोयले, तेल, गैस, पानी के झरनों तथा आणविक शक्ति से प्राप्त होती है। इसमें सबसे सस्ता स्रोत बिजली है।

भारत में प्रतिव्यक्ति केवल ४३ किलोवाट घंटे बिजली उपलब्ध है जबकि पश्चिमी राष्ट्रों में यह २००० या इससे अधिक है। यह आवश्यक है कि बिजली के उत्पादन को योजना काल में केवल दुगुना करके ही नहीं बल्कि कई गुना करके बढ़ा या जाये। देश भर में विद्युत् उपकरण कारखाने स्थापित किये जाते रहने चाहिये।

हमें चाहिये कि हम औद्योगिकीय विकास के मामले में विदेशियों पर निर्भर न रहें। भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को विकास क्षेत्रों में विकास कार्य सम्भालने के सम्बन्ध में अधिकाधिक उत्तरदायित्व दिया जाये।

आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या पर नियन्त्रण रखना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार बढ़ती रहेगी तो जो भी आर्थिक प्रगति होगी उसका प्रभाव जाता रहेगा। वस्तुतः सरकार को चाहिये कि परिवार नियोजन के महत्व के बारे में भारतीय जनता में यथावश्यक प्रचार किया जाये।

देश में खाद्यान्न की कमी पूरी करने के लिये विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को अधिक तेजी से क्रियान्वित किया जाये। लोग निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों में स्वतः सहयोग करें ताकि जब ऐसी सम्भावना प्रगट हो तो उसके पैदा होने और प्रयोग होने के बीच में कमी न रहे।

नदी के पानी आदि के इस्तैमाल के बारे में विभिन्न विवादों को समझौतों के द्वारा निपटाया जाये। इन संसाधनों का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के हित के लिये इस्तैमाल किया जाना चाहिये।

यह स्मरण रखना चाहिये कि भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग अभी भी कृषि है। इसको स्थिर रखने तथा इसकी प्रगति करने के लिये हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जलसम्भरण, विद्युतीकरण, उपागमन सड़कों आदि की व्यवस्था करनी चाहिये।

भारत को नेपाल और पाकिस्तान के साथ जिनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से बहुत कुछ मिलती जुलती है मैत्री को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। भारत नेपाल के बीच कई ऐसी नदियां हैं जिनके जल को दोनों देशों की जनता के समान लाभ के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारी वर्तमान वार्त्ता सफल होगी। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत और चीन दोनों देशों में बहती है। निस्सन्देह चीन ने हमारे साथ ज्यादती की है तथापि मुझे विश्वास है कि चीन अपनी इस गलती को महसूस करेगा।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि देश की प्रतिरक्षा के प्रश्न पर जो एकता दिखाई दी है वह अप्रत्याशित है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अनुमोदित हो गया है । इस पर बहुत से संशोधन हैं ।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर): अपने दल की ओर से हम संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करेंगे . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : आप उसे पटल पर रख दें । मैं उन्हें प्रस्तुत हुआ समझूंगा । प्रस्ताव तथा संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड़) : राष्ट्रपति के अभिभाषण का उद्देश्य देश की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों तथा हमारे विदेशों से सम्बन्धों पर प्रकाश डालना होता है । मुझे खेद है कि इसके सार तथा भाषा दोनों ही से मुझे निराशा हुई है ।

आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों के बारे में आत्मतुष्टि की भावना देख कर मुझे आश्चर्य हुआ है । जिन गम्भीर स्थितियों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है उनके प्रति जागरुकता नहीं पाई जाती । उदाहरणार्थ, यह कहना कि हमारा कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया है तथ्यों पर निर्धारित नहीं है । मैं स्वयं कृषि तालिका का सदस्य हूं, अतः मैंने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों तथा योजना आयोग के सदस्यों को बहुधा यह कहते हुए सुना है कि तृतीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा है और खाद्यान्नों के १००० लाख टन के लक्ष्य पूरे नहीं हो पायेंगे । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि कृषि उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ा है । १९६०–६१ में खाद्यान्नों का उत्पादन ८ करोड़ ९७ लाख टन था; १९६१–६२ में यह घट कर ७ करोड़ ८६ लाख टन रह गया; वर्तमान वर्ष की फसल अच्छी होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि चावल तथा गन्दम की रबी फसल पर, समय पर वर्षा न होने का बुरा प्रभाव पड़ा है ।

एक बात का वर्णन अभिभाषण में नहीं किया गया । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भूमि सुधार सम्बन्धी विधान एक महत्वपूर्ण बात है । इसीलिये सरकार यह चाहती थी कि सभी राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार सम्बन्धी विधान १९६० तक बना लिये जायें और कार्यान्वित भी किये जायें । परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार केरल, मैसूर आदि भारतीय राज्यों के भूमि सुधार सम्बन्धी विधान अमान्य घोषित हो चुके हैं । केरल उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार केरल सरकार द्वारा पारित खेती संबंधी अधिनियम अमान्य हो चुके हैं । इस के परिणामस्वरूप किसानों को बहुत कठिनाई हो रही हैं । इसलिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है योजना आयोग ने वर्त्तमान अधिवेशन में संविधान (संशोधन) विधेयक लाने का वादा भी किया है कृषि सम्बन्धी अथवा किसी अन्य प्रकार के सुधार लाते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उन की कार्यान्विति के लिए संवैधानिक संशोधन शीघ्रता से लाये जायें । अब मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वर्तमान अधिवेशन में संशोधन ला रही है ? क्योंकि किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

औद्योगिक उत्पादन भी गत दो वर्षों से कम हो गया है । आपात-काल में इस क्षेत्र में अधिक विकास की संभावना थी, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । इस बारे में स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दि कामर्स मेनुअल, १९६२ ने कहा है कि चीनी आक्रमण से पूर्व, वर्ष १९६२ में, हमारी आर्थिक दशा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

बहुत असन्तोषजनक थी। चीनी आक्रमण के पश्चात् जिस प्रकार अपनी उत्पादन क्षमता का प्रयोग हम कर सकते थे उस प्रकार नहीं किया गया। इंजीनियरिंग उद्योग में हमारी क्षमता का ३५ प्रतिशत बेकार पड़ा है। भारतीय इंजीनियरिंग संस्था के अनुसार ७९ इंजीनियरिंग स्कूलों में ३,४१,८५३ मशीनी-घंटे प्रति मास तक हमारे साधन बेकार पड़े हैं। आपात-काल में यह आवश्यक है कि हम अपनी इस क्षमता का पूरी तरह प्रयोग करें।

आपात के कारण बेकारी की समस्या अधिक उग्र रूप धारण कर रही है। आपात के कारण, समस्त भारत में, विशेषतया केरल में, दस्तकारी उद्योग में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाखों की संख्या में बुनकर बेकार हो गये हैं। केरल में विशेषतया बहुत से कारखाने बन्द हो चुके हैं, उदाहरणार्थ, इल्मेनाइट कारखाना। आपात-काल में जनशक्ति का अधिक प्रयोग होना चाहिये था, परन्तु स्थिति वास्तव में बिगड़ रही है।

अभिभाषण में कहा गया है कि आपात की घोषणा के तुरन्त पश्चात् एक संकल्प द्वारा श्रमिकों और नियोजकों ने परस्पर झगड़े समाप्त करने और उत्पादन बढ़ाने की प्रतिज्ञा कीं। परन्तु वास्तव में श्रमिकों ने तो उत्पादन बढ़ाने में अधिक से अधिक सहयोग दिया, परन्तु नियोजकों ने आपात से अपने व्यक्तिगत लाभों को बढ़ाने तथा मजदूर वर्ग का दमन करने की चेष्टा की। इस के अतिरिक्त कारखानों के बन्द करने तथा छंटनी के प्रश्न भी उठे हैं, अतः कई स्थानों पर औद्योगिक विवादों को निबटाने से इन्कार भी किया जा रहा है। परन्तु सरकार ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय श्रमिकों के आन्दोलन को कुचल कर तथा कार्मिक संघ नेताओं को बन्दी बना कर नियोजकों को प्रोत्साहन दिया है आपात-काल का इस प्रकार लाभ उठाया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा निधि तथा स्वर्ण बांड्स योजना की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि केवल निचली श्रेणी के लोगों ने ही इन कार्यों में सहयोग दिया है। यह बात फ्री प्रैस जनरल बम्बई, के सर्वेक्षण से भी विदित होती है कि कम आय वाले वर्गों पर ही इनका समस्त बोझा पड़ा है। धनी लोगों ने इनमें बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। केरल के मुख्य मंत्री ने भी इसी तथ्य का संकेत किया है। मैसूर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में भी इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार दबाव डाल कर सरकारी कर्मचारियों से सुरक्षा निधि के लिए रुपया एकत्रित किया जा रहा है। फ्री प्रैस जनरल के अनुसार मैसूर में ३०० रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले लोगों से एक मास का वेतन पाने वालों से आधे मास का वेतन वसूल किया जा रहा है। मेरा विचार है कि सारे देश में ऐसे बलपूर्वक धन प्राप्त करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। आपात का दुरुपयोग इस प्रकार किया जा रहा है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। कांग्रेस दल द्वारा इस आपात का प्रयोग अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिये किया जा रहा है। श्री ई० के० जोसेफ के एक वक्तव्य में, जो कि थोजीलाली में प्रकाशित हुआ था, कहा गया है कि किस प्रकार आपात-काल कुछ कांग्रेसियों के लिये अपने खोये हुए सम्मान को फिर से प्राप्त करने का साधन बन गया है, और किस प्रकार सुरक्षा निधि के लिये एकत्रित किये गये रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। उस में यह भी बताया गया है कि थोड़ूपुज्हा तहसीलदार द्वारा गठित तालुक तथा वार्ड समितियों में समाज-विरोधी तत्वों को स्थान दिया गया और किस प्रकार चोर-बाजारी करने वालों को उस में सम्मिलित किया गया है, जिस के परिणामस्वरूप लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की अनियमिततायें एक वकील द्वारा प्रकाशित हुई थीं तो उन पर उचित कार्यवाही नहीं की गई।

†श्रीमती यशोदा रेड्डी (कुरनूल) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य की इस प्रकार की बातों का संसार के लोगों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†श्री अ० क० गोपालन : ऐसे ही कालीकट के नगराध्यक्ष ने एक सुरक्षा समिति संगठित की और धन इकट्ठा करने के लिये आदेश भी दिया, परन्तु सरकार ने यह कह दिया कि उन्हें ऐसी समिति संगठित करने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार वडाकारा नगरपालिका के सभापति ने नागरिकों की एक समिति बनाई और उस ने ६००० रुपया एकत्रित भी किया, परन्तु सरकार ने उस समिति को समाप्त करने का आदेश दे दिया। मैं यह उदाहरण केवल इसलिये दे रहा हूं कि आप को बता सकूं कि किस प्रकार दमन का प्रयोग किया गया, लोगों को पोलिस स्टेशनों पर बुलाया गया, उन पर मुकदमे भी चलाये गये परन्तु इस का परिणाम क्या निकला कि अपने निहित हितों तथा स्वार्थ के लिये आपात-काल का प्रयोग किया गया, और हर प्रकार लोगों को, जो धन दे भी रहे थे, उनको भी तंग किया गया।

स्वयंसेवक दल के कार्यों के सम्बन्ध में भी मुझे घोर विपत्ति है। अभी अभी मुझे जिसीलेरी, उत्तर विनाद, का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। जनवरी, १९ को पंचायत के कार्यपालिका अधिकारी द्वारा, एक दलपति तथा ९ उपदलपतियों सहित, एक ग्राम्य दल संगठित किया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश वह दलपति शासक वर्ग का नहीं था, जिस के परिणामस्वरूप दूसरे ही दिन उन की बैठक की तमाम कार्य-वाहियों को एक राजकीय पत्र द्वारा रद्द कर दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह चाहती है कि इस प्रकार के स्वयं सेवक दलों आदि, में केवल एक ही वर्ग के लोग भाग लें। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिये। इस प्रकार के कई और मामले भी अवश्य होंगे। एक व्यक्ति के श्रमदान को इसलिये नहीं ठुकराया जा सकता कि वह किसी एक वर्ग से सम्बन्ध रखता है। परन्तु आज इसी प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। सरकार को या तो खुले तौर से घोषित करना चाहिये कि सुरक्षा समितियों, स्वयंसेवक दलों तथा श्रम बैंकों आदि में केवल एक वर्ग विशेष के व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं, अथवा इस प्रकार के भेदभाव करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये।

आपात-काल में रक्षा प्रयत्नों को संगठित करने, अथवा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को अधिक पुष्ट करने की बजाय व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन कर उस की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं; और इसका प्रयोग मुख्यतया साम्यवादी दल का विरोध करने के लिए किया जा रहा है जो कि संसद् में मुख्य विरोधी दल है। हमारे दल के ८ सदस्य इस समय जेलों में हैं। त्रिपुरा को संसद् में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वहां से दो सदस्य आते हैं और वह दोनों चूंकि साम्यवादी दल के हैं इसलिये वह जेल में हैं। भारतीय सुरक्षा नियमों का प्रयोग चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध न हो कर ८०० साम्यवादी व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया है। इस के अतिरिक्त कार्मिक संघों तथा किसान सभाओं के विरुद्ध आपात-शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है।

हमारी मांग है कि इन सब बन्दियों को मुक्त किया जाय, या कम से कम संसद-सदस्यों को अधिवेशन में भाग लेने के लिए छोड़ दिया जाय। मूल अधिकारों को तथा स्वतन्त्रता को छीनना और आपात को जारी रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि सरकार के पास अन्यथा शक्तियों की कमी नहीं है। कैदियों के साथ जेल में साधारण कैदियों से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है।

स्वर्ण नियंत्रण नियमों का हम स्वागत करते हैं। केवल इस क्षेत्र में आपात का प्रयोग ठीक प्रकार किया गया है। इस से देश की पूंजी गहनों के रूप में दबी नहीं रहेगी और उस को उचित ढंग से प्रयोग में लाया जा सकेगा। इन नियमों से सिद्धान्त रूप से सहमत होते हुए मैं इनकी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

कार्यान्विति के ढंग को ठीक नहीं समझता । मेरे विचारानुसार इस योजना से सोने का चौर्यानयन बन्द नहीं हो सकेगा । परन्तु इनसे बड़े पैमाने पर बेकारी फैल गई है । अनुमान है कि लगभग ५० लाख लोग, इन आदेशों के परिणामस्वरूप, बेकार हो गये हैं ।

अनुमान के अनुसार लगभग ४००० करोड़ रुपये का सोना देश में लोगों ने दबाया हुआ है । स्वर्ण नियंत्रण योजना तथा स्वर्ण बांड्स योजना से सरकार के पास किस मात्रा में यह सोना पहुंचा है । यह हमें बताया जाय । हमारे विचारानुसार उन योजनाओं से केवल निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं, चौर्यानयन करने वाले तथा संचय करने वाले नहीं ।

दबाये हुए सोने को निकालने तथा बेकारी की समस्या को हल करने के लिए हमारा सुझाव है कि किसी भी प्रकार के सोने को रखने की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाय; उस सीमा से अधिक सोने को स्वर्ण बांड्स के लिए ले लिया जाय । उस निश्चित सीमा तक १४ कैरट के गहने बनाने का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । गहनों के अतिरिक्त किसी प्रकार भी सोने को रखना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जाय । इन सुझावों को यदि मान लिया जाय तो सब प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

वैदेशिक नीति तथा रक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी तटस्थ रहने की नीति तथा शांतिपूर्वक बातचीत की नीति की साम्राज्यवादियों तथा देश में उन के सहयोगियों द्वारा कटु आलोचना हुई है, परन्तु यह हर्ष का विषय है कि वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाये । परन्तु यह कल्पना करना कि उन का प्रभाव बिल्कुल नहीं हुआ, गलत बात होगी ।

पश्चिमी सैनिक मिशनों की प्रैस में बहुत चर्चा हो रही है । अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा हमारे ऊपर हवाई हमले से बचाव के प्रबन्धकों की भी चर्चा हो रही है, जिस का खण्डन स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा किया गया है । हम यह समझते हैं कि हमारे देश की रक्षा केवल आंतरिक प्रयत्नों से, स्वयं अपनी सेना तथा वायु बल को सशक्त बनाने के प्रयासों से ही हो सकती है । किसी प्रकार की विदेशी सैनिक सहायता पर निर्भर करना तथा गुट बन्दी करना देश की स्वतंत्रता को बेच डालना होगा ।

कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में हमने सरकार की नीति का अनुमोदन गत अधिवेशन में कर दिया था । चीन द्वारा उन पर स्पष्टीकरणों सहित, स्वीकृति न देने से उलझन उत्पन्न हो जाती है । हमें आशा है कि चीन उन्हें मान लेगा और भारतीय युद्ध-बन्दियों को लौटा देगा ।

देश की रक्षा को सुरक्षित करने के लिए बलिदानों की आवश्यकता है, परन्तु यह बलिदान हर प्रकार के लोगों द्वारा किये जाने चाहिएं, केवल गरीबों द्वारा ही नहीं । देश की अर्थ-व्यवस्था तथा प्रतिरक्षा में सुदृढ़ता लाने के लिए एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है । रक्षा के लिए साधन जुटाने के लिए नशाबन्दी की नीति में परिवर्तन करना चाहिए । बड़े पैमाने पर वस्तुओं का व्यापार राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए । बैंकों आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । इस प्रकार रक्षा के साधन बढ़ सकते हैं ।

†श्री ना० गो० रंगा (चित्तूर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से सन्तोष प्रकट नहीं कर सकता । साथ ही साथ, मैं राष्ट्रपति राधाकृष्णन की सेवाओं की प्रशंसा

†मूल अंग्रेजी में

करता हुआ, यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा मतभेद केवल सरकार से जिस के द्वारा यह अभिभाषण तैयार किया गया है, तथा उसकी नीतियों से है ।

राष्ट्रपति के इस कथन से कि चीनी आक्रमण आज हमारे सम्मुख सब से महत्वपूर्ण विषय है, अतः देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हमें सभी साधन इस के लिए जुटाने हैं, मैं पूर्णतया सहमत हूं । परन्तु इस कथन से, कि देश की सभी प्रकार की गतिविधियां आज इसी समस्या पर केन्द्रित हैं, मैं असहमत हूं । इस का उदाहरण प्रस्तुत संशोधन ही है, और सरकार का कथन तथ्यहीन है । एक संशोधन द्वारा इस आश्वासन के न दिये जाने पर खेद प्रगट किया गया है कि आपात का प्रयोग पक्षपात, अकार्यकुशलता, आदि पर परदा डालने के लिए नहीं किया जायगा । दूसरे संशोधन द्वारा निजी आवश्यकताओं की वस्तुओं की फुटकर कीमतों के बढ़ने पर चिन्ता प्रकट की गई है । एक संशोधन द्वारा यह शिकायत की गई है कि राज्यों की नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित बहुप्रयोजनीय जल विवादों को हल करने की नीति का अभाव है । एक अन्य संशोधन द्वारा कृषि उत्पादन के घट जाने की शिकायत की गई है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिये गये तथ्य जून मास से पूर्व के हैं । उस के पश्चात् उत्पादन अत्यधिक कम हो गया है । बड़ी मात्रा में उपयुक्त क्षमता का लाभ न उठाये जाने की भी शिकायत की गई है । विशेषतया सिंचाई के क्षेत्र में, इतनी मात्रा में जल बेकार गया है जिससे कि कई लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी । अन्य संशोधनों द्वारा आपात शक्तियों का, सरकार द्वारा, लोगों का दमन करने, तथा इन्हें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाने के आरोप लगाये गये हैं । एक अन्य संशोधन देश की बिगड़ती हुई अर्थ-व्यवस्था तथा बेकारी के संबंध में है ।

बेकारी की समस्या भीषण रूप धारण कर रही है । सरकार यही कहती रही है कि वह श्रमिक नियोजनालयों द्वारा बेकारी की समस्या का हल करेगी, परन्तु १७ लाख नौकरी ढूंढ़ने वालों में से केवल ३ लाख को काम दिलाया गया । दूसरी ओर, अपनी नीति के कारण सरकार ने ५० लाख सुनारों को बेकार कर दिया जो कि अपने काम में दक्ष थे और कारोबार के लिए आत्म-निर्भर थे । जब यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई तो वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि सामाजिक क्रांति लाने के लिए लोगों को ऐसे बलिदान देने ही होंगे ।

सभी स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की मांग करने पर सदस्यों को यह उत्तर मिला है कि इसे केवल स्कूलों तथा कालेजों में लागू किया जा रहा है । सरकार द्वारा प्रशासन के कार्यों में मितव्ययिता उपायों का वर्णन ही नहीं किया गया है । सभी क्षेत्रों में आत्मपुष्टि की भावना विदित है ।

सरकार ने आपात-काल में भी साम्यवादी दल की ओर एक निश्चित रुख नहीं अपनाया है । साम्यवादी दल के चीन तथा रूस के साथ तथा संसार के अन्य साम्यवादियों के साथ सम्बन्ध है, इसलिये इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए । सरकार द्वारा इस दल को एक ओर संवैधानिक वर्ग मान कर भी अन्य वर्गों के समान न समझना अनुचित नीति है ।

इस के अतिरिक्त कपड़ा आदि वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं । भ्रष्टाचार, पक्षपात, आदि त्रुटियां देश में अत्यधिक पाई जाती हैं । इसके साथ साथ देश की प्रतिरक्षा तथा विकास की आवश्यकताओं के लिए संसाधन जुटाने के उपायों में भी ढील पाई जाती है ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : हम चाहते हैं कि स्वतंत्र दल के नेता स्वयं अपना कोई योगदान दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : स्वतंत्रता को बनाये रखने के संघर्ष में सफलता प्राप्ति के लिये सरकार कोई योजनाबद्ध कार्य न कर के साम्यवादी आक्रमणकर्ताओं के साथ बातचीत द्वारा सीमान्त विवाद का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रही है । प्रधान मंत्री स्वयं यह कई बार कह चुके हैं कि चोन द्वारा भारत पर हमला किया गया है । परन्तु चीनी आक्रमणकार्ताओं को देश से निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमें यह बताया जा रहा है कि यदि चीनी इन्हें स्वीकार नहीं करते तो इन्हें छोड़ दिया जायगा । चीन ने हम पर आक्रमण किया । विजय भी उन की हुई । उस के पश्चात् शर्तें भी उन्होंने पेश कीं परन्तु हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार उन्हें अपने देश से बाहर निकालें । इस सदन द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी सरकार उसे भी भुला चुकी है और चीनियों को निकालने के लिए तत्पर नहीं है ।

सरकार इस आपात से उचित लाभ उठाने में असफल रही है । उत्पादन बढ़ाया नहीं जा रहा है । देशभक्ति के शत्रु राजनीतिक तत्वों के साथ भी आज अन्य नागरिकों के समान बर्ताव हो रहा है । कृषि मजदूरों की कम से कम वेतन की सीमा अभी तक निश्चित नहीं की जा सकी है । खेती के बीमे को एक असम्भव सुझाव बतलाया गया है । देश में अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है ।

अब बजट पेश किया जाने वाला है मेरे माननीय मित्र साम्यवादी दल के नेता ने यह कहा था कि हमें पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता नहीं लेनी चाहिये । क्योंकि कुछ लोगों का यह विचार है कि ऐसा करना हमारे सम्मान के विरुद्ध होगा ; प्रधान मंत्री भी इस विचार से सहमत थे । किन्तु क्या यह हमारे सम्मान के विरुद्ध नहीं था कि हम अपनो पंचवर्षीय योजनाओ की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता के रूप में अरबों रुपयों के लिये इन पश्चिमी राष्ट्रों पर निर्भर करते रहे? यदि उस समय इन राष्ट्रों से सहायता मांगना, स्वीकार करना और फिर उसकी सराहना करना हमारे सम्मान के विरुद्ध नहीं था तो इस संकट काल में उनसे सहायता प्राप्त करना किस तरह हमारे सम्मान पर चोट पहुंचा सकता है । वास्तव में प्रधान मंत्री ने इस विषय में पहल की, इन सब राष्ट्रों से अपील की और कुछ राष्ट्रों ने सहायता भी दी । राष्ट्रपति ने भी इन राष्ट्रों के प्रति जिन्होंने हमारे मानवीय स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवीय अधिकार और दूसरे मूलभूत अधिकारों के आदर्शों को स्वीकार किया हमारे देश का आभार व्यक्त किया है । उन राष्ट्रों ने हमारी तत्परता से सहायता की और यह भी चीन द्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम घोषित किये जाने का एक कारण हो सकता है ।

जब हमने उस समय इन राष्ट्रों से सहायता स्वीकार कर ली तो क्या अब अपने बजट को सूचित करते समय उन देशों से मिलने वाली सहायता की संभावनाओं पर विचार करना राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं होगा । यह कहना कि हमें अपनी योजना और प्रतिरक्षा कार्यक्रमों के लिये अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये साहस का परिचायक है किन्तु यदि हम इसके औचित्य को सिद्ध न कर सकें तो यह साहस प्रदर्शन गीदड़ भभकी के समान ही होगा । यदि हम आक्रमकों को खदेड़ने और राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के प्रयास में अपने देश को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो हम अनिवार्य रूप से विभिन्न राष्ट्रों से सहायता मांगनी होगी ।

मेरे माननीय मित्र साम्यवादी दल के नेता ने, जैसा कि चीन और श्री ख्रुश्चेव आदि उनके मित्र कहा करते हैं, कहा है कि पश्चिमी राष्ट्र साम्राज्यवादी हैं और भारत को उनसे सहायता मांग कर उनके जाल में नहीं फंसना चाहिये । किन्तु मेरे विचार से वह हमारे पुराने शास्त्रीय पंडितों के समान बीती हुई बातों को दोहराते रहते हैं जिनका वर्तमान प्रसंग

†मूल अंग्रेजी में ।

में कोई महत्व नहीं। अब संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हो चुकी है। बहुत से उपनिवेश स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं और शेष संघर्षरत हैं। आज भारत को पश्चिमी साम्राज्यवाद से नहीं अपितु साम्यवादी साम्राज्यवाद से खतरा है। इस बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हमें इस बात से बहुत सतर्क रहना है कि यह नया साम्यवादी साम्राज्यवाद विश्व की जनता की स्वतंत्रता को न छीन ले।

हमारा सामना किस से है। बौद्ध चीन से नहीं, फारमूसाचीन से भी नहीं, अपितु यह साम्यवादी चीन है जिससे हमें युद्ध करना पड़ रहा है। यह दो विचाराधाराओं में संघर्ष है। हम संसदीय प्रजातन्त्र और मानवीय अधिकारों के लिये संघर्ष करते हैं और साम्यवादी चीन एकदलीय शासनतन्त्र और साम्यवादी तानाशाही और साम्यवाद के विस्तार में विश्वास करता हैं। दूसरे महायुद्ध के पश्चात पुराना साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है और नये साम्यवादी साम्राज्यवाद ने एक के बाद एक राष्ट्रों को हड़पना आरम्भ कर दिया है। दक्षिण पूर्व यरोप के देशों में यही हुआ है, एशिया के छोटे छोटे राष्ट्रों में भी यही हो रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र भी एक एक करके शक्तिशाली चीन के आगे घुटने टेकते जा रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिये और काम छोड़ने पड़ें, तो छोड़ देने चाहिये। हम चाहते थे कि सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ निरर्थक मदों का परिष्कार करके हम तृतीय योजना को चालू रख सकते हैं। मैं औद्योगिक और दूसरी अन्य परियोजनाओं के विकास पर आपत्ति नहीं करता। यह हमारी विजय की योजना के लिये आवश्यक है। किन्तु क्या इसके लिये हम लोगों के मूलभूत अधिकारों और राष्ट्र की भौतिक संस्कृति को समाप्त कर देंगे? क्या हम ४० करोड़ किसानों और कारीगरों और ५० लाख सुनारों के निजी रोजगार को खत्म कर देंगे? यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि सरकार द्वारा बनाई गई योजना उस योजना से भिन्न है जो इस आपातकाल में होनी चाहिये। क्योंकि यह योजना सरकार के समाजवादी आदर्शों और कार्यक्रमों पर आधारित है। यह समाजवादी कार्यक्रम देश में आर्थिक स्वतंत्रता और जनता की स्वाधीनता को समाप्त कर देंगे और हम इसके विरुद्ध हैं। किन्तु यदि सरकार बलिदान करने के लिये तैयार हो, जैसा कि वह इस आपातकाल में जनता से करने के लिये कह रही है, तो उसे अपनी इस विचार पद्धति का, रूस और साम्यवाद के साथ अपने अनुराग का त्याग कर देना चाहिये। यदि वह ऐसा करने के लिये तैयार न हो तो मैं यही कहूंगा कि वह ऐसे संकट काल में उत्तरदायित्व संभालने के अयोग्य है।

हमें इस विजय की योजना के लिये बाहर से सहायता मांगना चाहिये। इसके बाद वित्त मंत्री के लिये यह उचित होगा कि वह कर, उधार अथवा ऐच्छिक अंशदान के रूप में जनता पर अधिक आर्थिक भार डालने की बात सोचें।

प्रतिरक्षा के लिये धन संग्रह करने में कई स्थानों पर अनुचित उपाय अपनाये गये हैं। पदाधिकारियों ने ही नहीं अपितु मंत्रियों ने भी ऐसा किया है। वे अपने को सोने चांदी से तुलवाते हैं। हमें चाहिये की जनता के पास विनयपूर्वक जायें और ऐच्छिक रूप से दिये गये उनके अंशदान का स्वागत करें। रक्षा कोष संग्रह ने एक बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध कर दिया है कि देश की पुकार पर देश की जनता सक्रिय हो उठी है। इसलिये अब मैं चाहता हूँ कि सरकार इस कोष को बंद कर के केवल ऐच्छिक अंशदानों को ही धनादेशों

[श्री रंगा]

आदि द्वारा सीधे केन्द्रीय कोष में स्वीकार करे और युद्ध के व्यय के लिये कर, उधार और विदेशी सहायता का उपयोग करे।

इसके बाद एक प्रश्न स्वर्ण नियंत्रण आदेश का है। मेरा विचार है कि इसका भी वही अन्त होगा जो मद्यनिषेध का हुआ। कोई नहीं जानता कि मद्यनिषेध से लाभ हुआ है अथवा हानि। किन्तु यह निश्चित है कि इससे हानियां भी बहुत हुई है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश का भी देश पर बुरा असर पड़ेगा। मेरे माननीय मित्र ने पूछा था कि आदेश की उद्घोषणा किये हुये २ माह हो गये किन्तु सरकार को अधिक धन क्यों नहीं मिला? इसका कारण है कि यह सारा रुपया काल्पनिक था। जब मैं बच्चा था तब सुना करता था कि भारत बहुमल्य धातुओं की खान है। वही बात किसी ने हमारे अर्थ शास्त्रियां को बता दी और फलस्वरूप इस अप्रिय असामयिक आदेश की घोषणा कर दी गई।

और यह सोना मिलेगा कहां से? इसका कहीं ढेर नहीं मिलेगा। गृहस्थों के घरों में छोटे छोटे जेवरों के रूप में ही यह मिलेगा। हिन्दुओं के धर में स्त्रियां लौंग[1] पहनती हैं। क्या यह उचित होगा कि कोई अधिकारी घरों में जाकर उनसे लौंग मांग कर उनका अपमान करे। इसीलिये मैंने कहा था कि यह आदेश गलत है और यह इस आपात काल में सहायता की भावना उत्पन्न करने के मार्ग में हानिकारक सिद्ध होगा।

और फिर आपातकाल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम चीन के आक्रमण के विरुद्ध फिर से लड़ाई जारी करने और उससे अपना खोया हुआ प्रदेश लौटा लेने के लिये राष्ट्र को तैयार करें। किन्तु कुछ लोगों के हृदय में ऐसी भावना है कि इस आपातकाल का उस प्रयोजन के लिये ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा रहा। सरकार ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। यह उसका दृष्टि कोण है। किन्तु उन्हें चाहियें कि वह अपने प्रशासन को इस प्रकार संचालित करें कि यह आपातकाल वास्तविक आपातकाल समझा जाय। उन्हें अपव्यय समाप्त करके मितव्ययिता करनी चाहिये। उन्हें भ्रष्टाचार और घूसखोरी बंद कर देनी चाहिये। उन्हें दोषी मंत्रियों से भी जवाबतलब करना चाहिये जिससे वह ठीक प्रकार से व्यवहार करें, और उनमें प्रजातंत्रीय और ईमानदारी की भावना बढ़े। किन्तु इसके विरुद्ध वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे आपातकाल हो ही नहीं। शासक दल और इसके सदस्य ऐसा समझने लगे हैं कि वह अपने सामान्य राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। वह ऐसा कर सकते हैं। किन्तु साथ ही यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को अपने उचित व्यवहार से यह बतायें कि हम इस आपातकाल के विषय में उत्सुक है और त्याग करने के लिये तत्पर हैं। किन्तु शासक दल ने कौनसा बलिदान किया? क्या वह अनुज्ञप्ति, अभ्यंश और नियंत्रण के प्रति अपनी अनुशक्ति त्यागने के लिये तत्पर हैं? नहीं, इसके विरुद्ध वह अधिकाधिक नियंत्रण के लिये योजनायें तैयार कर रहे हैं और अपनी प्रिय योजनाओं और सिद्धांन्तों को काफी रूप में परिणित करने में लगे हुये हैं जिससे आपातकाल समाप्त होने के साथ ही साथ वह देश का अपनी तरह से समाजवादी पुनर्गठन करने में सफल हो जायें। यह बात राष्ट्रीय प्रयास के लिये काफी हानिकारक सिद्ध होगी।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रतिरोध की चर्चा करते रहे हैं। किन्तु जब सरकार एक हजार सहकारी खेतों के संगठन में लगी हुई है तब राष्ट्रीय प्रतिरोध की बात कैसे की जा सकती है यह हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिये एक चुनौती हैं। क्या इस समय जब कि राष्ट्रीय

[1]thali

प्रयत्नों को आक्रांमक के विरुद्ध लगाना चाहिये था ५० लाख सुनारों की जीविका छीन लेना उचित था। क्या इस समय सरकार को दलीय आधार पर श्रम बैंक, ग्राम स्वयंसेवक, बल आदि के बारे में सोजना उचित है। मेरे माननीय साम्यवादी मित्र ने कहा था कि इनका संगठन दलीय आधार पर नहीं किया गया। ठीक है, किन्तु यह कैसे कहा जा सकता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा? हर वयस्क को योगदान देना है। इसमें वृद्ध, वृद्धा, रोगी सब आ जाते हैं। इनको विमुक्त करने का विवेक किसके पास रहेगा? निश्चय ही सरपंचों और पदाधिकारियों पर। इसका क्या आश्वासन है कि अल्पसंख्यक वर्ग उत्पीड़िन के शिकार नहीं होंगे? इसीलिये हम इन नये सुझावों के विरुद्ध हैं जो आज आपातकाल की आड़ में किये जा रहे हैं। वास्तव में पिछले दस वर्ष से योजना आयोग इन बातों के विषय में विचार कर रहा था और उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह इन सब बातों को प्रवर्तन में लाकर १० करोड़ से ऊपर किसानों और ३ करोड़ से ऊपर कृषि मजदूरों को नियंत्रण में ला सके। आज उसे वह अवसर मिल गया है।

यदि आपात काल का ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसे समाप्त कर देने की घोषणा कर देनी चाहिये। और फिर हर शांतिमय और कानूनी उपाय से लोगों का सहयोग उस सीमा तक जहां तक वह देने के लिये तैयार हों लेना चाहिये। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो वह इस आपात काल से राष्ट्र का वह प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेगी जिसके लिये इसकी उद्घोषणा की गयी थी। यदि वह ऐसा नहीं करेगी, यदि वह इन कामों को करने के पक्षपातपूर्ण, दोषपूर्ण और हठधर्मी तरीकों का त्याग नहीं करेगी तो अधिक से अधिक मैं यही कह सकता हूं कि उसे विरोधी दलों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

श्री ब्रह्म प्रकाश (बाह्य दिल्ली) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका ख़ास तौर से कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मेरे पुराने दोस्त रंगा जी के बाद बोलने का मौका दिया। आज मैं अपने दोस्त रंगा साहब व उनकी पार्टी के सोचने के तरीके, व अपने जन संघ के दोस्तों के सोचने और काम करने के तरीके के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जो बातें हमारे दोस्तों ने, ख़ास तौर से रंगा साहब ने, और दूसरे दोस्तों ने प्रस्तावों की शक्ल में रखी हैं उनसे उनके सोचने के तरीके का पता चलता है कि किस तरह का वह इस देश को बनाना चाहते हैं और देश के आदर्शों को किस तरह ऊंचा उठाना चाहते हैं।

हमारे राष्ट्रपति ने कुछ मौलिक सिद्धांतों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और हमको यह भी बतलाया है कि उन मौलिक सिद्धांतों को सामने रखते हुए हमारा देश किस तरह से तरक्की कर रहा है और किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने हम को यह भी बतलाया कि किस तरह से हम चीन की तरफ़ से या जहां से भी हो, अपनी आजादी के खतरे से बचना चाहते हैं। उन्होंने बतलाया कि वे मौलिक सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, हमारा स्वतंत्रता का मकसद और हमारा समाजवाद का दृष्टिकोण हैं। उन्होंने बतलाया कि किस तरह से उन सिद्धान्तों पर चल कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

मुझे यह देख कर खेद है और काफी अफसोस है कि हमारे उन स्वतंत्रता इंटरनेशनल पीस और सोशलिज्म के सिद्धान्तों को काफी खतरा है। सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, आज सारी दुनिया में इन चीज़ों को खतरा है और इस वास्ते हमें इन मौलिक सिद्धान्तों पर काफी सोचने की ज़रूरत है।

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

वैसे तो हमारे रंगा साहब कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ़ रहते हैं . . . . .

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या आप कम्युनिस्ट हैं ?

श्री ब्रह्म प्रकाश : हमारे जो कम्युनिस्ट दोस्त हैं और जो हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी है वह कुछ दूसरे मुल्कों से अपने विचार लेते हैं और कुछ दूसरे मुल्कों से सम्बन्ध रखते हैं । जब जब भी इस देश पर संकट का मौका आया, उसूलों के लिए लड़ने का मौका आया, स्वतंत्रता की लड़ाई का मौका आया, तो यहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई अच्छा तरीका अख्तियार नहीं किया । इस दफा पता नहीं कैसे, शायद चीन और रूस के आपसी झगड़े की वजह से, उन्होंने कुछ अक्ल दिखायी है और पहली मर्तबा हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सही नेशनलिज्म और कौम परस्ती की लाइन ली है और उस तरह विचार किया है । मैं उसकी सराहना करता हूं । अभी तक तो मैं समझता था कि हमें कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी से ही खतरा है लेकिन अब इनकी बिरादरी देश में बढ़ रही है । अब लगता है कि हमारी स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ पार्टी भी किन्हीं दूसरे मुल्कों से अपनी प्रेरणा ले रही हैं । वे तो अपनी दूसरे मुल्क से प्रेरणा लेने को अब कुछ खत्म करने की तरफ़ चले हैं लेकिन हमारा यह दोस्त दूसरी जगह से प्रेरणा ले रहे हैं । यह देश को और हमारी बदकिस्मती है कि कुछ अखबार भी हैं जो कि बाहर से प्रेरणा ले रहे हैं ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : इससे उनकी अनभिज्ञता प्रकट होती है ।

श्री ब्रह्म प्रकाश : अब यह तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हुई । चूंकि मेरी यह बात उनको फिट बैठती है इसलिये मेरे कहने का उनको काफी बुरा लग रहा है . . .

एक माननीय सदस्य : मूंछ में तिनका ।

श्री ब्रह्म प्रकाश : इसमें कोई शक नहीं कि इस ख़तरनाक और अचानक चीनी हमले ने हम को एक बड़ी गहरी नींद से जगा दिया है । हम समझते थे कि दुनियां में समाजवाद, शांति और स्वतंत्रता के नये नये विचार आ रहे हैं । कुछ लिबरलिज्म दुनियां में आ रही है । हमें यह पता नहीं था कि अभी भी इस दुनियां के अंदर पुराने तरीकों से दूसरे मुल्कों पर हमला करने वाले और कब्जा करने वाले लोग मौजूद हैं . . .

एक माननीय सदस्य : क्या सो रहे थे ?

श्री ब्रह्म प्रकाश : अजीब बात है कि मैकार्थिज्म खत्म हो रही है, स्टैलिनिज्म खत्म हो हो रही है । कैनेडी और ख्रुश्चेव नये नये रास्ते की तरफ़ सोच रहे हैं लेकिन मुझे यह देख कर हैरानी हो रही है कि मासानी एंड कम्पनी की सरकर्दगी में हमारे देश में एक नयी स्टैनलिज्म और नयी मैकार्थिज्म पैदा हो रही है । जो पुराने मुर्दा, डूबते और टूटते हुए विचार अथवा आदर्श हैं उनके साथ हमारे यह दोस्त चिमटे रहना चाहते हैं । हमारे यह दोस्त शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बदलती हुई दुनियां है और हम दुनियां के एक नये मोड़ पर खड़े हैं । जो पुराना सोचने का हमारा तरीका था एक इम्पीरियलिज्म का, कैपटैलिज्म का और कम्युनिज्म का, वह पुराना तरीका ख़त्म हो रहा है ।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : कम्युनिज्म का तरीका नया है ।

श्री ब्रह्म प्रकाश : इस तरीके से सोचना कि हम कैपटेलिज्म का मुकाबला कर रहे हैं या हम कम्युनिज्म का मुकाबला कर रहे हैं यह बहुत पुरानी बात हो चुकी है । हम एक ऐसे नये यग में

---

†मूल अंग्रेजी में

शामिल हो रहे हैं जिसमें कि खाली ऐंटी-कैपटेलिज्म या खाली ऐंटी-कम्युनिज्म का नारा लगा कर अपने रास्ते को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं । यह देख कर दुःख जरूर होता है कि दुनियां में वे देश जिनको कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी कहते हैं, कुछ हमारे दोस्त उनको कैपटेलिस्ट कंट्री कहते हैं और उधर हम उनको कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं जब कि कम्युनिस्ट दोस्त उनको सोशलिस्ट मुल्क कहते हैं, यह अलग अलग गिरोह बन रहे हैं । यह बात भी देखने में आ रही है कि वह खुद अपने यहां अपने अपने गिरोहों में जा रहे हैं । उन मुल्कों के अंदर ऐसे मुल्क भी हैं जो कि एक नये किस्म की नेशनलिज्म की बुनियाद डाल रहे हैं जैसे कि चीन और एक, दो मुल्क और हैं । जब कि दुनियां कुछ स्वतन्त्रता और कुछ अं ो विचारों की तरफ़ बढ़ रही है जब कि दुनियां में कुछ कोशिश हो रही है ख़ास तौर से यू० एन० ओ० की मार्फ़त कि इस तरीके से दुनियां में भुखमरी को दूर किया जाय, खाली हिन्दुस्तान में से ही नहीं बल्कि उस तमाम तीन चौथाई दुनियां से जिसमें कि अभी तक भुखमरी है, जहां यह विचार आ रहा है, उस जगह हमारे दोस्त अभी तक जो गुटबंदी का एक पुराना तरीका है, जो कभी कभी हमारे गांवों में भी नज़र आता है, जो ख़ास तौर से हमारे आचार्य रंगा जी में नज़र पड़ता है, उस पुराने तरीके से वे चिमटे रहना चाहते हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इन मौलिक सिद्धान्तों के बारे में दुनियां को बहुत गम्भीरता से सोचने की ज़रूरत है । कांग्रेस की पालिसी किसी जगह ऐंटी-कम्युनिज्म की नहीं है और न ही वह ऐंटी-कैपटेलिस्ट है उस माने में जिसमें कि हमारे दोस्त सोचते हैं । हमारी कांग्रेस की पालिसी तो यह है कि किस तरीके से हम स्वतंत्रता के साथ रह सकें, इज्जत के साथ रह सकें, हम इस देश से भुखमरी को मिटा सकें और दुनियां में किस तरीक़े से शांति स्थापित कर सकें । आज की दुनियां इतनी छोटी हो गई है जनाब कि अब कोई यह समझे कि अकेले मैं अपने रिसोर्सेज़ से अपने मुल्क की तरक्की कर लूंगा तो वह बिलकुल ग़ल्ती पर है या वह यह समझे कि मैं खुद ही लड़ाई करके दुनियां पर काबू पा जाऊंगा तो यह भी आज एक ग़ल्ती है । हमारे कुछ मुल्कों ने कुछ दिन हुए दुबारा कोशिश की कि वे स्वेज़ पर क़ब्ज़ा कर लें लेकिन वह नाकामयाब हुए और वह जो पुरानी तरह का सोचने का कैपटेलिज्म का जनाज़ा है वह नहर स्वेज़ के अंदर पड़ा लेकिन रंगा साहब उससे सबक़ लेने के लिये तैयार नहीं हैं । जो एक पुराना तरीक़ा कम्युनिज्म के सोचने का था कि झगड़ा करो और हमला करके क़ाबू करो, किसी तरीक़े से इनफिलट्रेट करके, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करके, डरा धमका कर किसी तरह कमज़ोर करो और फिर हमला करके उसको अपने क़ाबू में करो, उसका जनाज़ा हिमालय की पहाड़ियों में आकर पड़ा । अब इस तरह से पुराने ढंग से चल कर कोई भी मुल्क यह समझे कि हम किसी ग़ैर मुल्क पर छा जायेंगे यह नामुमकिन है ।

आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क के जो मौलिक सिद्धात हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस ने जिन बुनियादी और मौलिक सिद्धान्तों को लेकर इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और वह उसूल यह थे कि हम किस तरीक़े से अपने देश में आज़ादी, इज्जत और अमन के साथ रह सकें और किस तरीक़े से दुनियां के अंदर अमन कायम रख सकें, जिन उसूलों पर हमने चलना शुरू किया, आज ख़ास तौर से १५ साल की आज़ादी के बाद फिर दुबारा एक नये सिरे से सोचने और नये सिरे से उस पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे ख़तरा है कि यह जो दूसरे मुल्क को हड़प करने की और दूसरे के धन को हड़प करने की ताक़तें हैं यह ताक़तें फिर उभरना चाहती हैं और इस एमरजेंसी के नाम पर वह खास तौर से बढ़ना चाहती हैं । रंगा साहब इस बात की बड़ी दुहाई दे रहे हैं कि इस देश पर बड़ा भारी ख़तरा है, बड़ा हमला होने का खतरा है, और सरकार ने यह नहीं किया और वह नहीं किया लेकिन मज़ा यह है कि सरकार द्वारा जो भी कदम उठाये गये हैं रंगा साहब सबकी मुख़ालफ़त करते हैं । जो टैक्स दे सकते हैं उनको टैक्स से वे बचाना चाहते हैं । जो देश को मज़बूत करने के लिये एक वि ेज वालंटियरि फोर्स बनाना चाहती है उस की मुख़ालफ़त करते हैं । जो पुराने

[श्री ब्रह्म प्रकाश]

तरीके गांव को स्वावलम्बी बनाने के हैं और जिसको कि श्रम बैंक का नाम दिया है कि साल में गांव वाले एक दो दफ़ा इकट्ठा होकर गांवों का किस तरीके से बंदोबस्त करें, काम करें और उसके एसेट्स को बढ़ायें, उसकी भी वे मुख़ालिफ़त करते हैं। इसी तरह से सरकार ने सोने पर जो प्रतिबंध लगाया है उसकी भी रंगा साहब मुख़ालिफ़त करते हैं। उन्हें क्या यह मालूम नहीं है कि इस देश में ८० फ़ीसदी के पास तो पैसा है ही नहीं। केवल २० फ़ीसदी लोग जिनके कि पास पैसा है उनकी रंगा साहब रहनमाई कर रहे हैं और उनको वह टैक्सेज से बचाना चाहते हैं।

श्री कछवाय (देवास) : आप किस कैटेगरी में हैं ?

श्री ब्रह्म प्रकाश : जिनके पास कुछ ज्यादा ज़मीन है और सरकार उनके ऊपर कुछ बोझ डालना चाहती है तो उनको वे बचाना चाहते हैं क्योंकि उनको महीने में एक दिन श्रमदान करना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस तरीके से इस इमरजेंसी में इस देश की मदद करना चाहते हैं ? यह जो नया ख़तरा हमारे देश में पैदा हो रहा है मैं समझता हूं कि हमारा कर्तव्य है कि उन नये ख़तरों का मुकाबला करें। इस देश को जो ख़तरा आज तक कम्युनिस्ट पार्टी के सोचने और काम करने के तरीके से रहा है वही ख़तरा आज स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ से पैदा हो रहा है। अगर हम इस देश के अन्दर स्वतन्त्रता को बचाना चाहते हैं, इस देश के अन्दर अगर हम समाज-वादी ढंग की समाज क़ायम करना चाहते हैं और अगर इस दुनियां के अन्दर जो अमन और शांति के लिए कोशिश हो रही हैं उनके साथ अगर हम शामिल होना चाहते हैं तो ऐसी प्रतिक्रियावादी ताक़तों का जो कि इस देश में उभर रही हैं, उनका मुकाबला करना हमारा सबसे पहला धर्म हो जाता है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुल्क के डिफ़ेंस को मज़बत बनाया जा रहा है और आने वाले बजट में ज़रूर इस सम्बन्ध में कुछ क़दम उठाए जायेंगे। लेकिन मि० रंगा एंड कम्पनी इस कोशिश में हैं कि डिफ़ेंस और इमरजेंसी के नाम पर किसी तरह से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और प्राइवेट सैक्टर को और ज्यादा मौका मिल जाय कि वे अपनी ताकत को ज्यादा बढ़ा सकें और ग़रीबों को और पीछे फेंक सकें।

इसमें कोई शक नहीं कि देश ने तरक्की की है और ग़रीबी किसी हद तक कम हुई है। आज़ादी के बाद इस अरसे में देश जितनी तरक्की कर सकता था, उससे ज्यादा तरक्की उसने की है, लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता है कि अमीर अमीर हुआ है और ग़रीब की हालत नहीं सुधरी है (अन्तर्बाधायें) अगर जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी की पालिसी पर चला जाये, तो अमीर तो इतना अमीर हो जायगा कि मेरे ख़याल में ग़रीब फिर इस देश में नहीं बच सकेगा। (अन्तर्बाधायें) मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद और हमारे प्लान को यह जो ख़तरा है, उसका मुक़ाबला कर के हमको उसे ख़त्म करना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि देश की डिफ़ेंस प्राडक्शन के सम्बन्ध में इस बात का ख़याल रखा जाये कि नये लाइसेन्स और नई इंडस्ट्रीज़ सिर्फ पब्लिक सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर में शुरू किये जायें, न कि प्राईवेट सैक्टर में। इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन को किसी तरह से कमज़ोर न किया जाये बल्कि इस बात की कोशिश की जाये कि कौम की नैशनल वैल्थ बढ़े और वह अच्छी तरह से डिस्ट्रिब्यूट हो।

मुझे इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुनासिब वक्त पर मुल्क के अख़बारों की तरफ़ लोगों का ध्यान दिलाया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अख़बारों पर इस तरह का नियंत्रण लाया जाये कि वे रुपया, वैल्थ और कैपिटलिज्म का रास्ता न बन जायें। इस के लिए उन पर काफ़ी कंट्रोल रखने की जरूरत है।

जो लोग यह कहते हैं कि इमर्जेन्सी को ख़त्म कर दिया जाये, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चाइना का ख़तरा कम हो गया है । असल में जो लोग इमर्जेन्सी को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके इरादे कुछ और ही हैं और इसलिए मैं इस नारे की सख्त मुख़ालिफ़त करता हूं ।

अगर हम दिल्ली से बाहर देश की दूसरी जगहों में जायें, तो मालूम होता है कि वाकई देश में इमर्जेन्सी है, लोगों में डिसिप्लिन है और काम हो रहा है । लेकिन अगर हम नई दिल्ली की दुनिया को देखें, तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है । इस वक्त मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि फिर कभी इस में जाऊंगा । मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन के ज़िम्मेदार मेम्बर, जिन पर इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन और प्लान को चलाने की ज़िम्मेदारी डाली गई है, एक दूसरे को पब्लिक में क्रिटिसाइज़ करते हैं । हमारी गवर्नमेंट और उसके नेताओं को पता नहीं है कि इस तरह वे देश में कितनी इनडिसिप्लिन पैदा कर रहे हैं । मैं प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वह गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों पर इस बारे में कंट्रोल रखें, क्योंकि पब्लिक पर और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है । हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन का एक मेम्बर किसी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ करता है और मिनिस्टर उस को क्रिटिसाइज़ करता है । इसी तरह एक सीनियर मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ करता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा (आनन्द) : क्यों नहीं ?

श्री ब्रह्म प्रकाश : माननीय सदस्यों के लिए तो यह ठीक है, लेकिन मेरी राय में गुड गवर्नमेंट और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह बात नुक्सानदेह है । अगर आपस में कोई इख़्तलाफ़ है, तो आपस में बैठ कर उसके बारे में फ़ैसला किया जाये और अगर उनमें ईमानदारी है, तो वे प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट से उठ कर चले जायें ।

मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे मौका दिया । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव के साथ पूरी सहमति प्रकट करता हूं, जिस में प्रैज़िडैण्ट साहब का शुक्रिया अदा किया गया है ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, माननीय सदस्य, श्री ब्रह्म प्रकाश, ने जिसका समर्थन किया है मैं भी उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । मैं पहले एक दो बातें सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं । राष्ट्रपति जी के भाषण में एग्रीकल्ट्रल प्राडक्शन में बढ़ौती की बात कही गई है । अच्छा होता अगर वहां पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने का भी ज़िक्र किया गया होता ।

राष्ट्रपति जी के भाषण में इंडस्ट्रियल ट्रूस रेज़ोल्यूशन का भी उल्लेख किया गया है । मालिकों और मज़दूरों के केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में ३ नवम्बर को स्वत: इकट्ठे हो कर यह तय किया कि मुल्क में औद्योगिक झगड़े पैदा नहीं किये जायेंगे, बल्कि उन को ख़त्म कर दिया जायेगा । जब मैं माननीय सदस्य, श्री रंगा, के भाषण को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्वतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि न हो कर किसी मज़दूर या किसान दल के प्रतिनिधि हैं, जैसेकि पहले वह किसान दल के प्रतिनिधि थे । उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि सोने के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं और उस पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उस के कारण लाखों आदमी

[श्री अ० प० शर्मा]

बेकार हो गए हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी को देश के मालिकों और पूंजी-पतियों का समर्थन प्राप्त है और इंडस्ट्रियल ट्रूस रेज़ोल्यूशन को पास करने में उन लोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैं माननीय सदस्य, श्री रंगा, से यह पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाया है।

उस प्रस्ताव को पास करते समय मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने, और खास तौर पर राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, इस बात पर जोर दिया कि मज़दूर स्वतः यह फ़ैसला कर के कि वे कम से कम एक रुपया अपने वेतन का राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देंगे, तथा कम से कम एक दिन के वेतन के बराबर पैसे से वे डिफ़ेंस बांड्ज़ भी खरीदेंगे और इस के साथ ही अधिक से अधिक काम कर के, पैदावार को बढ़ा कर, देश की सुरक्षा के काम को आगे बढ़ायेंगे। मालिकों के प्रतिनिधियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वे भी अपनी शक्ति भर काम करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री रंगा, ने जिन लोगों की तरफ से बहुत विद्वत्तापूर्ण भाषण इस सदन में दिया, उन का योगदान इस सम्बन्ध में क्या रहा है। हिन्दुस्तान के किसानों और मजदूरों ने जिस अनुपात में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान दिया, क्या मालिकों ने भी उसी अनुपात में दान दिया है ? मज़दूरों और किसानों ने अपने आराम, अपने अधिकारों और अपनी सुविधाओं को देश की सुरक्षा के लिए त्याग कर उत्पादन को बढ़ाने का निश्चय किया। उन्हों ने उस निश्चय के अनुसार काम किया और आज भी कर रहे हैं और वे तब तक करते रहेंगे ,जब तक कि देश को अपनी आज़ादी को बचाने के लिए उन की मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन इस की तुलना में मालिकों के प्रतिनिधियों तथा मालिकों ने आज तक क्या किया ?

माननीय सदस्य, श्री गोपालन, ने कहा कि **वर्कर्ज़ एण्ड ट्रेड यूनियन्ज़ राइट हैज़ बिन सस्पेंडिड।** मैं कहना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ग़लत है। वर्कर्ज़ और ट्रेड यूनियन्ज़ ने स्वतः इस बात का फ़ैसला किया कि वे देश की आज़ादी की सुरक्षा के लिए अपनी फ़ैसिलिटीज़ और सुविधाओं का त्याग करेंगे और तब तक त्याग करेंगे, जब तक कि चीनियों को देश से बाहर नहीं भगा दिया जायेगा। राइट्स और प्रिवेलेजिज़ को ससपेंड करने का आज कोई सवाल नहीं है। आज तो देश के लिए त्याग करने का सवाल है। इंडस्ट्रियल ट्रस का जो रेज़ोल्यूशन पास हुआ था, उस पर मालिकों ने किस प्रकार से अमल किया है, इस के बारे में दो एक दिलचस्प बातें मैं आप को बतलाना चाहता हूं। उस में कहा गया था कि झगड़ों का निपटारा करने के लिए पंचों का सहारा लिया जायगा, पंचों की मदद ली जायगी और मजदूरों तथा मालिकों दोनों की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिस से उद्योगों के चलने में, उत्पादन के बढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत पेश आये या किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा हो। हमारे रंगा साहब ने कहा कि इस एमरजेंसी का इस्तेमाल दो बातों के लिए किया जा रहा है, एक तो गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं, उन को छिपाने के लिए और दूसरे कांग्रेस पार्टी जोकि रूलिंग पार्टी है, उस को मजबूत बनाने के लिए, उस के काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति इस के बिल्कुल विपरीत है। उद्योगों के मालिकों ने, इस एमरजेंसी का इस्तेमाल मजदूरों के हकों को कुचलने के लिए तथा अपने हक़ों को मज़बूत करने के लिए किया है। यह तय किया गया था कि अगर कोई औद्योगिक झगड़ा उठ खड़ा हो तो उन को पंचों के सुपुर्द किया जायगा लेकिन मालिकों ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा कोष में जो दान देने की बात थी, जो पैसा देने की बात थी उस को अगर आप देखें तो आप को पता चलेगा कि सरकारी और गैर सरकारी सभी उद्योगों की तरफ से यह तय किया गया था कि मजदूर स्वतः

अपना डेक्लेरेशन देंगे, आप्शन देंगे और उन को इस दरख्वास्त पर उनके वेतन से पैसे काट कर सुरक्षा कोष में जमा किये जायेंगे। मजदूरों ने तो ऐसा किया। मगर मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, चाहे वह सरकारी महकमा हो या गैर सरकारी महकमा हो, किस मालिक ने और कहां तक कदम उठाया। इस काम को आगे बढ़ाने में और कितने रुपये इस तरह से डिफेंस फंड में जमा किये गये हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस एमर्जेंसी का इस मुल्क में किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, तो मालिकों ने मजदूरों के खिलाफ उठाया है, उन के खिलाफ इस एमरजेंसी का इस्तेमाल किया है, अपने हकों को आगे बढ़ाने के लिए इस का प्रयोग किया है।

श्री बागड़ी (हिसार) : आप को चाहिए था कि धन वालों को आप जेल में डालते और अगर नहीं डाला है, तो क्यों नहीं डाला है ?

श्री आ० प्र० शर्मा : हमारे बागड़ी साहब सोशलिस्ट पार्टी के हैं। इन की पार्टी की तरफ से बहुत लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं। मैं इस पार्टी के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। वह खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि उन की पर्टी का समर्थन कौन करता है, हिन्दुस्तान का मजदूर करता है, किसान करता है या पूंजीपति करता है।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं]

हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में हमारे भाई ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा कि जो हालत स्वतंत्र पार्टी की इस देश में है बिल्कुल वही हालत आज कम्युनिस्ट पार्टी की भी हिन्दुस्तान में है। मैं इस से एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। जब कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि हम देश की सुरक्षा के काम में देश के लोगों का साथ देंगे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम हुआ क्योंकि यह वही पार्टी है जिस ने १९४२ में हमारे देश के साथ गद्दारी की थी, उस वक्त आज़ादी की लड़ाई की खिलाफत की; उस वक्त आज़ादी की लड़ाई को कुचलना चाहती थी जो मुल्क की आज़ादी के खिलाफ थी, इस ने उन का साथ दिया था। आश्चर्य की बात है कि वही कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह का निर्णय आज करती है और कहती है कि वह हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए हम देश का साथ देंगे। जो असलियत है, इसका बाद में पता चल ही गया होगा। जब हम मैदान में काम करने निकले, तब इसका सही-सही हमें पता चला। आज भी गोपालन साहब ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से लोग जेल में बन्द कर दिये गये हैं। और कामत जी ने सवालों के वक्त कहा कि जो कम्युनिस्ट बन्दी बनाये गये हैं,उनको तो कम सुविधायें दी जाती हैं और जो चीनी बन्दी बनाये गये हैं, उनको अधिक सुविधायें दी जाती हैं। इस तरह की बातों को सुन करके मुझे हंसी आती है। जो देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं चाहे वे दूसरे देश के हों या हमारे देश के ही लोग हों, उनको अधिक सुविधायें दी जायें या कम सुविधायें दी जायें, इस तरह की बातें इस सदन में करना अफसोस और दु:ख की ही बात है . . . .

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : आप अपने बीच के गद्दारों के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री आ० प्र० शर्मा : आप के ही सम्बन्ध में मैं कुछ कह रहा हूं। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि क्या यह पार्टी भी हिन्दुस्तान की देशभक्ति के गाने गा सकती है, देश और आज़ादी की रक्षा के लिए कुछ काम कर सकती है और इस चीज़ का पर्दाफाश उस वक्त हो गया जबकि इस ने उन लोगों को भी अपनी पार्टी में रख छोड़ा जोकि एरेस्ट हो गये हैं। एरेस्ट कौन लोग हुए हैं ? एरेस्ट वे लोग हुए हैं जिन पर चीन की मदद करने का चार्ज है। चीन से हमदर्दी रखने का अभियोग है। अब भी यह पार्टी उनको अपने बीच में रखे हुए है, गद्दारों को अपनी पार्टी में रखे हुए है। ऐसी हालत में यह देश की रक्षा कहां तक कर सकती है और देश की सुरक्षा के कामों में कहां तक हाथ

[श्री अ० प्र० शर्मा]

बंटा सकती है, यह सभी लोगों के लिए सोचने की बात है। इस पार्टी ने जो कुछ भी किया है, अपने पुराने ढंग के मुताबिक किया है। इनके कुछ लोग इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ बाहर हैं और कुछ भीतर हैं। यह इसका पुराना तरीका है। मुझ जैसा आदमी जोकि मजदूरां के बीच बीस पच्चीस साल से काम कर रहा है उसका रात दिन मुकाबला इन से होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी से काम ये करने वाले नहीं हैं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जहां पर जिक्र किया गया है :

". . . . हमारे स्कूलों और कालेजों में ५ करोड़ लड़के और लड़कियों से अधिक थे।"

वहां पर हमारे देश में जो बहुत बड़ी समस्या है, बेकारी की समस्या है, उसका भी जिक्र अगर कर दिया जाता तो अच्छा रहता। माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी कांस्टिट्युएंसीज़ में तथा सारे देश में देखा होगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी जो समस्या है, इसका अगर जिक्र कर दिया जाता और किस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है, यह भी बताया गया होता तो बहुत अच्छा होता। अगर इसके सम्बन्ध में कोई संकेत होता तो बहुत ही अच्छा होता।

मैं और अधिक नहीं कहना चाहता। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के सामने जो परिस्थिति आई है, उस में यह सही है कि हम अपने देश की रक्षा करें, अपनी फौज को बढ़ायें, मजदूरों और किसानों को साथ ले कर चलें और इसको भी समझें कि जो एक्स्ट्रा-टैरिटोरियल लायलटी रखने वाले लोग हैं, वे हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं और जो एक एक पैसे के लिए सभी गलत या सही काम करने को तैयार रहते हैं और जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, वे भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, उन से भी हमें मदद नहीं मिल सकती है। आम जनता में देशभक्ति का जोश उमड़ रहा है। चारों तरफ इस जोश को कायम रख कर, देश को पूरी तरह से तैयार करके हमें अपने दुश्मन का मुकाबला करना है।

इन शब्दों के साथ जो राष्ट्रपति के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : हमें कई समस्याओं पर विचार करना है। चीनी-घुसपैठ, मूल्यवृद्धि, अनाज के उत्पादन में न्यूनता और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, स्वार्थाचार तथा स्वजन पक्षपात की समस्यायें हमारे सामने हैं।

इससे सब सहमत होंगे कि मूल्य बढ़ रहे हैं और अनाज के उत्पादन में कमी हो रही है। एक बात और हुई है। परिवहन में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं इससे उन स्थानों से जहां पैदावार अधिक होती है माल का वहन नहीं हो रहा क्योंकि इसके लिये परिवहन उपलब्ध नहीं है। बेचारे किसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा और हम ने अभी तक इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया।

हमारे सामने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का भी प्रश्न है। क्या हम ने इसकी ओर ध्यान दिया है? पिछले ११ वर्षों से हम इस विषय में सोच रहे हैं। इस के लिये बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि हम ने एक बार यह भी कह दिया था कि भ्रष्टाचार और चोर बाजारी करने वालों को गोली मार दी जानी चाहिये। किन्तु इस दिशा में क्या हम ने कोई प्रगति की है?

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे मस्तिष्क में जो प्रश्न उठ रहा है वह यह है कि क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश ने २७ लाख सुनारों को बेरोजगार करने के अलावा देश को कोई लाभ भी पहुंचाया है ? एक दिन में वह ९ अथवा १४ कैरट सोने के जेवरात बनाना नहीं सीख सकते। जैसा जेवर वह अभी तक बना रहे थे उसे बनाना उन्होंने किसी स्कूल में नहीं सीखा। स्कूलों में ऐसा नहीं सिखाया जाता। बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह इस काम को सीखता आया है किन्तु अब हम ने उससे यह रोजगार छीन लिया है और उसके लिये किसी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की नहीं।

इस से लाभ किसे पहुंचा। ९ फरवरी, १९६२ से पहले बनाये गये जेवरात २२ या २४ कैरट के थे। स्वर्ण नियंत्रण आदेश आने के बाद छोटे व्यापारियों को सूचना मिली कि या तो अतिरिक्त धन दो नहीं तो तुम्हारा सोना और जेवरात बेच दिये जायेंगे। बेचारे व्यापारी ने जल्दी में वह जेवरात कम कीमत पर बेच दिये। इससे जो पहले ही धनी था वह चार गुना अधिक धनी हो गया।

यदि स्वर्ण नियंत्रण आदेश की आवश्यकता है तो संसद् के सामने इस प्रश्न को रख कर इस पर विधान क्यों नहीं बनाया जाता ? भारत प्रतिरक्षा नियमों की आड़ में ही इस आदेश की उद्घोषणा क्यों की गई ?

क्या भारत प्रतिरक्षा नियम जिस भावना से बनाये गये थे उसी के लिये उनका उपयोग किया जा रहा है ? हम सब ने संयुक्त रूप से इन नियमों का समर्थन किया था किन्तु अब विरोधी दल को दबाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। हम ने इन नियमों का समर्थन इस आशा से किया था कि इनका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। हमारा देश अब परतंत्र नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारत प्रतिरक्षा नियम बने थे। किन्तु उस समय भी उनका दुरुपयोग नहीं किया गया था। उस समय शिवनाथ बनर्जी के अभियोग के विषय में न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया था कि 'क्योंकि आदेश में यह नहीं लिखा हुआ कि यह राज्यपाल का आदेश है, शिवनाथ बनर्जी को रिहा कर दिया जाये'। लेकिन अब हमारे न्यायाधीश इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि यह कोई आवश्यक नहीं कि आदेश राज्यपाल की ओर से ही हो। एक कागज़ के टुकड़े पर केवल यह लिखा होना कि वह फलाने-फलाने राज्य की सरकार की ओर से है उसे राज्यपाल का आदेश मान लिये जाने के लिये पर्याप्त है।

हम उप-चुनावों के विषय में बात करते हैं। जैसे एक-दो स्थान रिक्त पड़े रहने से देश को बहुत बड़ी हानि हो जायेगी। यदि वास्तव में यह आपातकाल है तो हमें ऐसी बातों पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिये।

इस आपातकाल का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिये कि जिससे ऐसे मनुष्यों को जो अपने हित-चिन्तन में ही लगे रहते हैं स्वार्थ साधन का अवसर प्राप्त हो। ऐसे स्वार्थी मनुष्य लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें जेल में बन्द कर दिया जायेगा। दूसरे दिन पुलिस वाला जाकर कहता है—"हे ! तुम ने साहब को गाली दिया है मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा"। यह क्या हो रहा है ? धन एकत्रित करने के लिये कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर और बिक्री-कर तथा आय-कर पदाधिकारियों की सेवायें क्यों ली जा रही हैं ?

मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपातकालीन उपायों का प्रयोग कांग्रेस दल को लाभ पहुंचाने के लिये किया जा रहा है।

[श्री उ० मू० त्रिवदी]

अब मैं आपका ध्यान "हमारे आर्थिक संसाधन" में प्रकाशित श्री श्रीमन्नारायण के एक लेख की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि :

> "शक्तिशाली प्रतिरक्षा की स्थापना के लिये कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण है ।"

हम सब इसे स्वीकार करते हैं । किन्तु उसी लेख में उन्होंने एक अन्य विषय की ओर विनिर्देश किया है :

> "कार्यक्षम प्रशासन की अनुपस्थिति में केवल धन के आवंटन के द्वारा ही ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सबल नहीं बनाया जा सकता ।"

यह बात एक कांग्रेसी ने कही है । किन्तु क्या हम ने इस ओर ध्यान दिया है ? हम एक प्रकार के आत्म-संतोष में ही रह रहे हैं । हम ने आक्रामक को खदेड़ने के लिये कुछ नहीं किया । हम एक दो लड़ाइयों में चीन से हार गये । कोई बात नहीं । ऐसा होता ही रहता है । किन्तु क्या अब हम अपने को उन से युद्ध करने के लिये तैयार कर रहे हैं ? नहीं । हम कोलम्बो प्रस्तावों की ओर आशा लगाये बैठे हैं । हमें चाहिये था कि कमर कस कर उठते और शत्रु को देश से बाहर निकालने के काम में जुट जाते ।

तिब्बत में जो कुछ हुआ उसे हम भूल नहीं सकते । तिब्बत को भ्रष्ट-भ्रष्ट कर दिया । खम्पाओं को समाप्त कर दिया । क्या हम इस बात को सहन कर लेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा ही किया जाये ? नहीं ।

मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चीन के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया । हमारी लड़ाई चीन से नहीं है । चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और उसकी सरकार तैवान में है । हमारा संघर्ष तो साम्यवादी चीन से है । चीन जिन हथकंडों का दुनिया भर में प्रयोग कर रहा है उन्हें हम जानते हैं । श्री ख्रुश्चेव ने भी हाल ही में पूर्व जर्मनी में हुये सम्मेलन में उसकी निन्दा की थी । किन्तु चीन को इसकी परवाह नहीं । रूस को ही भय हो सकता है क्योंकि १७ करोड़ रूसी ७० करोड़ चीनियों से लड़ने के लिये पर्याप्त नहीं हैं । किन्तु हम ४० करोड़ हैं । और एक एक भारतीय २०–२० चीनियों से लड़ सकता है । इसलिये हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । आज दुनियां में भारत ही एक ऐसा देश है जो साम्यवाद का सामना कर सकता है । दक्षिण-पूर्व एशिया के छोटे छोटे राष्ट्र हमारी ओर आशा लगाये बैठे हैं । हमें नेतृत्व करना है । क्योंकि हम हार गये हैं इसलिये हमें कायर नहीं बन जाना चाहिये । हमें "अशक्तिमान भवेत भीरु" नहीं होना । हमारे पास शक्ति नहीं है और हम अच्छी-अच्छी बातें करते हैं यह गलत है । पहले हमें वीर बनना चाहिये क्योंकि "क्षमा वीरस्य लक्षणम" । इसके पहले कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा । इसलिये मैं आदरपूर्वक यह कहता हूं कि मैं राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव का पूरे दिल के साथ समर्थन नहीं कर सकता ।

राष्ट्रपति का दोनों सदनों के सम्मुख भाषण देने का अभिप्राय यह है कि वह सदनों में की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख करें । अभिभाषण का उद्देश्य सरकार की भावी नीति को दर्शाना है । इसमें यह उल्लेख किया जाना चाहिये था कि बजट कैसा होगा, और कौन-कौन से विधान पेश किये जायेंगे । इसके स्थान पर हमें कुछ आकस्मिक जानकारी दे दी गई, कोई कारण नहीं बताये गये और बजट के प्रश्न को छुआ भी नहीं गया । सभा में रखे जाने वाले विधेयकों

का उल्लेख किया गया, किन्तु यह क्यों आवश्यक है, यह नहीं बतलाया गया। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने 'स्टेटसमेन' में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ी को राष्ट्रीय भाषा बनाये रखने के विषय में भी एक विधेयक पेश होगा। मैं नहीं जानता किसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। मैं पत्र के संपादक को दोष नहीं देता। उसे कहीं से तो खबर मिली ही होगी। किन्तु लोगों को अंधेरे में क्यों रखा जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को पेश नहीं किया जायेगा—इस कारण से कि देश भर में इसके प्रति असंतोष है और इस सांविधानिक कारण से कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया।

एक और बात की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करूंगा। देश के सामने सबसे बड़ी समस्या चीनी खतरे का सामना करना है। हमारा जवानों को भरती करने का तरीका संतोषप्रद नहीं है। हम केवल पंजाब के ही जवान ले रहे हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि से नहीं। गांवों में हमें अच्छे जवान मिल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारे पदाधिकारी विलासी जीवन के अभ्यस्त हो गये हैं। सेना के अधिकारियों द्वारा उच्च नैतिक स्तर कायम किये जाने के विषय में कुछ किया जाना चाहिये। और भरती करने के तरीके में ऐसे परिवर्तन कर दिये जाने चाहियें, जिससे प्रतिरक्षा के लिये सारा राष्ट्र जनशक्ति देने में समर्थ हो सके।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी):** राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे लिये इन परिस्थितियों में अपना दायित्व पूर्ण करने का अनुप्रेरक आह्वान है।

चीनी खतरा हमारे सामने उस समय उपस्थित हुआ जब हम प्रजातंत्रीय और समाजवादी तरीकों से देश की ४४ करोड़ जनता की प्रगति और प्रसन्नता के लिये कार्यरत थे।

सभा में दिये गये भाषणों में साम्यवादी दल के नेता ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह साम्यवादियों को गिरफ्तार कर रही है और आपातकाल के उपबन्धों का विरोधी दल के विरुद्ध प्रयोग कर रही है जब कि स्वतंत्र दल के नेता ने यह मांग की कि साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। इन दोनों ने एक दूसरे की बात को काट दिया है और मैं समझता हूं कि सरकार की नीति दृढ़, उचित तथा दक्ष है।

मैं साम्यवादी दल के नेता से यह कहना चाहता हूं कि हम सचाई के साथ प्रजातंत्र की स्थापना का और व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने तथा उसकी मूल स्वाधीनताओं के स्थायीकरण का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु हम किसी व्यक्ति को यह आज्ञा नहीं दे सकते कि वह न मूल स्वाधीनताओं का प्रयोग अपनी स्वाधीनता को ही नष्ट करने और ऐसी व्यवस्था की स्थापना करने के लिये, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वाधीनता संभव नहीं, करे।

आजकल चीनी साम्यवाद और रूसी साम्यवाद में सैद्धांतिक संघर्ष चल रहा है। हमें चाहिये कि इस स्थिति से लाभ उठायें।

श्री गोपालन ने हम से कहा है कि हम पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता नहीं मांगे जब कि स्वतंत्र दल के नेता ने यह सलाह दी कि पश्चिमी राष्ट्रों से दृढ़ और पूर्ण मैत्री स्थापित कर लें। हम हर राष्ट्र से हर प्रकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिये हमें २५ राष्ट्रों से सहायता मिल रही है और चीनी आक्रमण के बाद भी हमने सब देशों से सहायता ली है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इन देशों, विशेषतया ब्रिटेन और अमरीका के प्रति इस सहायता के लिये आभार प्रदर्शित किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टे० सुब्रह्मण्यम]

रूस ने कुछ एम० आई० जी० जहाज दिये हैं और वह इसके निर्माण के लिये २ कारखाने स्थापित करने में हमा ी सहायता कर रहा है ।

जिस समय हम अपनी जनता की हालत सुधारने में लगे हुये थे चीन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और भाई-भाई के नारे की आड़ में विशाल तैयारियां करने में लगा हुआ था । एकाएक उस बड़े माने पर आक्रमण आरम्भ कर दिया और हमारे देश के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया । बाद में उन्होंने एक पक्षीय युद्धविराम की घोषणा कर ी । सके बाद कोलम्बो प्रस्ताव हमारे सामने आये । कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की किन्तु मेरे विचार से हमने उन्हें स्वीकार कर के दूरदर्शी राजनीतिज्ञता का परिचय दिया ।

चीनी खतरा मूल विषय बन गया है और इस संदर्भ में हमें अपने मानवीय और भौतिक संसाधनों को संगठित कर उनका उचित प्रयोग करना है । हम अपनी प्रतिरक्षा तैयारियां कर रहे हैं । हमारे आयुध कारखानों में अधिक हथियार बनाये जा रहे हैं । सशस्त्र बल का विस्तार किया जा रहा है और दूसरे देशों से भी सहायता ली जा रही है ।

ऐसा भी तर्क उपस्थित किया गया था कि वर्तमान परिस्थितियों में हम अपनी तटस्थता की नीति का परित्याग कर दें । आज से १० वर्ष पूर्व जब यह युक्ति उपस्थित की गई थी हम अकेले थे । किन्तु आज कई राष्ट्रों ने इस नीति को अपना लिया है । दिन-प्रतिदिन इसे अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त होता जा रहा है । ोनों गुटों के नेताओं ने भी, जिन्होंने पहले इस नीति को पसन्द नहीं किया था, अब इस नीति की सुस्थिरता को स्वीकार कर लिया है । विरोधी दल के नेता चाहते हैं कि हम ऐसा रुख अपना लें जिससे रूस चीन की ओर हो जाये । यह गलत है ।

राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक और औद्योगिक विकास हमारी प्रतिरक्षा तैयारियों का आधार है । कृषि राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार और पूर्व-आवश्यकता है और मूल समस्या प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की है जो प्रगतिशील राष्ट्रों की तुलना में अभी बहुत कम है । हमें बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिये । हम तृतीय योजना के अन्त तक १० करोड़ टन अनाज का उत्पादन करना चाहते हैं । अभी हम लगभग ८० लाख टन का उत्पादन करते हैं । सिंचाई के बाद उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है । इस दिशा में उठाये गये कदम संतोषजनक नहीं हैं । प्रत्येक राज्य में एक उर्वरक कारखाना होना चाहिये । इस कार्य में शीघ्रता की जानी चाहिये । तीसरी योजना में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य १० लाख टन है जब कि अभी हम केवल ५.६ लाख टन ही उत्पन्न करते हैं । इससे हमारी तिहाई आवश्यकता की ही पूर्ति होती है । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में शीघ्रता की जानी चाहिये । अच्छे बीज तथा औजार और सुधरी हुई कृषि कार्य प्रणालियां भी सहायक सिद्ध होंगी ।

वर्ष १९६२ के गत ९ महीनों में हमार औद्योगिक उत्पादन में ७·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । भारी उद्योगों से लगभग १२ प्रतिशत राष्ट्रीय आय हुई ।

लोहा और इस्पात संयंत्र हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है । इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित किया जाना चाहिये । कुछ दिनों पूर्व मैंने इस्पात और भारी उद्योग मंत्री से निवेदन किया था कि मैसूर राज्य के बैलनरी जिले में भारी मात्रा में अच्छी श्रेणी का इस्पात उपलब्ध है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह इस से अधिकतम लाभ उठाने के विषय में गंभीरता से विचार कर रहे हैं । मुझे आशा है कि वहां एक बड़ा संयंत्र स्थापित कर दिया जायेगा ।

हम प्रगतिशील राष्ट्रों की तुलना में जहां २००० से ७००० किलोवाट विद्युत् का उपयोग होता है, प्रतिव्यक्ति ५१ किलोवाट विद्युत् उत्पन्न कर रहे हैं। हमें विद्युत् का अधिक जनन करना चाहिये। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अणु विद्यु् का उल्लेख किया था। और कहा था कि तारापुर से हमें काफी सस्ती विद्युत् प्राप्त हो सकेगी। मेरा विश्वास है कि अन्य राज्यों में भी सफलतापूर्वक यह कार्य किया जा सकता है। विद्युत् की कमी से औद्योगिक विकास पिछड़ गया है—इन ोनों का एक साथ विकास किया जाना चाहिये। परिवहन की समस्या पर भी विचार किया जाना चाहिये। हमें परिवहन के सब साधनों—रेलवे, सड़क और जल मार्ग—का उपयोग करना चाहिये। परिवहन का प्रादेशिक ियोजित विकास किया जाना चाहिये।

अब मैं पंचायती राज और सामुदायिक विकास का उल्लेख करूंगा। वे संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे है। यदि हम चाहते है कि ग्राम्य जीवन अधिक प्रसन्नतापूर्ण हो तो हमें इन का उपयोग करना होगा। इनका कोई विकल्प नहीं। हमें ग्राम स्तर पर स्थानीय नेतृत्व और ईमानदार और सच्चे अधिकारियों को उपलब्ध करना है। इन ोनों के सहयोग से ही ाम्य जीवन अधिक सुन्दर हो सकेगा।

साम्यवादी दल के नेता ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन एकत्रित किये जाने के बारे में कुछ कहा था। कुछ अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो जल्दबाज और अधिक उत्साही हों और जिनके निर्णय बिल्कुल ठीक नहीं हों किन्तु मेरा अनुभव यही है कि कोष के लिये अंशदान लोगों ने अपनी इच्छा से ही दिये थे और ग्राम्य क्षेत्रों में अंशदान देने के विषय में काफी उत्साह है।

श्री उ० म० त्रिवेदी कह रहे थे कि राष्ट्रपति ने वर्तमान सत्र के सारे कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं किया। किन्तु मैं कहता हूं कि यह कोपी लिखितम नहीं है जिसमें सारे ब्यौरे दिये जायें।

जहां तक हिन्दी का श्न है, हम दक्षिण भारतवासी इस बात के लिये उत्सुक हैं कि हिन्दी राष्ट्रीय जीवन में अपना कर्तव्य पूरा करें किन्तु यह सब योजनापूर्वक किया जाना चाहिये।

†सभापति महोदय : श्री मणियंगाडन ..... उपस्थित नहीं, श्री रा० गि० दुबे।

†श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर—उत्तर) : मैं राष्ट्रपति महोदय को उनके अनुप्रेरक और बुद्धिमत्तापूर्ण भाषण के लिये धन्यवाद देता हूं। उनके भाषण का अंतिम भाग जिस में उन्होंने राष्ट्र को जाग उठने का आह्वान किया था बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सरकार का यह दावा कि उसने गत दो योजनाओं में कुछ सफलतायें प्राप्त की हैं, बिल्कुल ठीक है। किन्तु इस समय हमें अपनी पिछली सफलताओं की ओर नहीं अपितु अपनी कमियों और कमजोरियों की ओर ध्यान देना चाहिये। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने हम से अपील की है कि हमें उत्साह नहीं खोना चाहिये और न इसे व्यर्थ के कामों में नष्ट करना चाहिये और हमेशा आपातकाल के विषय में सजग रहना चाहिये। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उस प्रकार के उत्साह का अभाव है। यह एक समस्या है। यद्यपि साधारण स्तर के लोगों के लिये राष्ट्रीय रक्षा कोष के अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम नहीं है। हमें नागरिक सुरक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कहा गया था। किन्तु न तो वहां बन्दूकें हैं और न सिखाने वाले। यही हाल और बातों के विषय में भी है।

दूसरी बात यह है कि प्रशासन के विभिन्न भागों में अविलम्बनीयता की भावना नहीं है। राज्य व्यापार निगम वस्तु विनिमय के आधार पर दूसरे देशों से कुछसामान मंगाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने चैकोस्लोवाकिया और कुछ अन्य राष्ट्रों से लोहे अयस्क और अन्य वस्तुओं के बदले में ोड रोलर लेने का प्रस्ताव रखा था। दूसरी बात ट्रैक्टर के सं ध में है। मैं समझता हूं यदि अनाज

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० गि० दुबे]

के स्थान पर ट्रैक्ट ों का आयात किया जाये तो वह किसानों के लिये अधिक लाभदायक होगा । हो सकता है कि देश के कुछ बद्धहित व्यक्ति रोड रोलर्ज का आयात करने के विरुद्ध हों । ऐसी बातें हो रही हैं । यदि अधिकारियों में आपातकाल की भावना उत्पन्न न हो तो लोगों में भी उत्साह उत्पन्न नहीं होगा ।

सभा में चर्चा करते हुए समस्या के दो पहलू हमारे सामने आये । स्वतन्त्र दल के नेता ने कहा कि समाजवाद की ओर ले जाने वले कार्यक्रम उत्साह को समाप्त और प्रगति को कुन्द कर देंगे । साम्यवादी दल का मत था कि सामाजिक पुनर्निर्माण के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आनी देनी चाहिये ।

धनिक वर्ग और व्यापारियों के ति चर्चा करते रहने का कोई लाभ नहीं । मैं तो समाजवाद का समर्थक हूं । किन्तु इस समय सब से महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय एकता है । राजे महाराजे, धनिक वर्ग, उद्योगपति सब ने रक्षा कोष में धन दिया है । और उन्होंने राष्ट्रीय संकट काल में प्रधान मंत्री का समर्थन किया है । नुक्ताचीनी करने का और यह कहने का, कि धनिक वर्ग ने कुछ नहीं किया, कोई लाभ नहीं । इस समय सब से महत्वपूर्ण चीनी आक्रमण को समाप्त करना है यह नहीं कि अभी इसी समयस माजवा ी व्यवस्था को प्राप्त कर लिया जाये । मैं यह बात स्पष्ट शब्दों में इसलिये कह रहा हूं कि इस समय देश में, ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इन दोनों प्रश्नों को एक दूसरे से उलझा कर लोकमत की धारा मोड़ ी जाये । यह बात समुचित युद्ध प्रयत्नों के मार्ग में रुकावट डाल सकती है ।

इस परिस्थिति में रूस और चीन में सैद्धान्तिक संघर्ष चल रहा है । चीन इस बात पर विश्वास करता है कि युद्ध के द्वारा साम्यवाद का प्रसार किया जाये जब कि रूस इस के विरुद्ध है । उस का मत है कि इस आणविक युग में यदि यद्ध का रास्ता अपनाया गया तो पूंजीवादी राष्ट्र ही नहीं अपितु समाजवादी राष्ट्र भी तहस-नहस हो जायेंगे । सोचने का यह ढ़ंग, स्वभावतः, ुद्धिमत्तापूर्ण है । युगोस्लाविया के बारे में भी रूस का मत है कि वह अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपने मार्ग से समाजवाद पर चल रहा है । हमारे देश के साम्यवादी दल को इस बात पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि वह अक्सर कहा करते हैं कि हमारी सरकार पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है ।

राष्ट्रपति ते अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि हम अपने सशस्त्र बल को मजबूत बनाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं हमें इस से प्रसन्नता हुई । नेपोलियन ने कहा था— "चीन को सोने ो, यदि वह जाग गया तो फिर संसार पछतायेगा । उस की भविष्यवाणी सच हो गई है ।

"रेड आर्मी आफ चाइना" नामक पुस्तक में चीन के सशस्त्र बल का वर्णन किया गया है उस के अनुसार चीनी सेना में २५ लाख लड़ने वाले जवान, १० लाख परिवहन कर्मचारी और ७.५ लाख संचार विभाग के कर्मचारी हैं । इस के अतिरिक्त ी सेना और जल सेना के व्यक्ति अलग हैं । यह १९६१ की जानका ी है । इस से यह पता चलता है कि भारत को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।

किन्तु इस से हमें चिन्तित नहीं होना चाहिये । क्योंकि इसी पुस्तक के लेखक के अनुसार चीनी सेना का महत्वपूर्ण भाग फारमूसा के सामने वाले समुद्र तट पर नियुक्त है । और चीन भारत में अपनी सारी सेना नहीं भेज सकता ।

चीन के पास नागरिक सेना है । हम भी हिमालय की सीमा के साथ साथ नागरिक सेना बना सकते है । वहां २० या ३० जिले हैं और हर जिले में हम एक या दो डिवीजन नागरिक सेना बना सकते है ।

कृषि उत्पादन बढ़ रहा है किन्तु पिछले दस वर्षों में हमने जितना समय शक्ति और धन व्यय किया है उसे देखते हुए यह प्रगति संतोषप्रद नहीं है। हमें अपनी कमियों पर विचार कर के उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री नौ० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन) : सभापति महोदय, मैं अपनी संशोधन संख्या नं० १ तथा कुछ अन्य संशोधनों के विषय में कुछ कहूंगा।

देश को प्रतिरक्षा के लिये तैयार करने में सरकार जिस प्रकार की शक्तियों को लागू कर रही है उससे मैं सहमत नहीं हूं। विभिन्न राज्यों का दृष्टिकोण कांग्रेस दल के शक्तिशाली भाग को और अधिक सबल बनाना है और इस प्रकार हमारी प्रतिरक्षा की समस्या देश के एक बहुत छोटे भाग की समस्या बन गई है। और इस प्रकार इसका महत्व भी समाप्त हो गया है।

इस के साथ ही नौकरशाही के दृष्टिकोण का प्रश्न है। भारत प्रतिरक्षा नियम नौकरशाही की शक्तियों को विस्तृत कर देते हैं और वह अपने लाभों और हितों के लिये इनका प्रयोग कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति स्वजनपोषणवाद[1], भ्रष्टाचार और काला बाजारी के विरुद्ध बोलता है उसे ही देश का दुश्मन बतला कर जेल में डाल दिया जाता है। स प्रकार के आपात काल का अन्त कर दिया जाना चाहिये।

भारत भर में पुलिस सर्वशक्तिमान बन गई है। जिसके लिये भी वह कह दें कि यह भारत का दुश्मन है उसे ही वस्तुत: ऐसा मान लिया जाता है। यदि ऐसी बातें चलती रहीं तो इनसे कांग्रेस दल को भी कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जनता के दु:ख उठाने की भी सीमा होती है। यह सीमा पहले ही पार की जा चुकी है। यदि इसे और अधिक बढ़ाया गया तो भीषण प्रतिक्रिया होगी और इससे प्रतिरक्षा प्रयत्नों पर व्याघात पहुंचेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जनता से व्यवहार करने के इस ढंग में परिवर्तन कर दिया जाये।

दूसरी समस्या आत्म-संतोष की है। क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया है इसलिये युद्ध के प्रयत्नों में सक्रियता की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा रुख हमारी प्रतिरक्षा के लिये बहुत हानिकारक है।

बद्धहित धनवान व्यक्ति भी इस स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिये कर रहे हैं। हम ने विविन बोस आयोग का प्रतिवेदन पढ़ा है। सारे पूंजीपति ऐसी ही युक्तियां काम में ला रहे हैं। डालमिया दल की तरह दूसरे पूंजीपतियों के कार्यों की भी यदि जांच की जाती तो हमारे सामने ऐसी ही बातें प्रकट होतीं।

इन सब बातों का क्या परिणाम होता है? योजना आयोग के द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे राष्ट्र की एक तिहाई आय देश के १० प्रति वर्ष वर्ग के पास जाती है और राष्ट्र के कुल उपभोग का एक चौथाई भी इसी वर्ग के हिस्से में आता है।

[श्री तिरुमलराव पीठासीन हुये]

आगे इस में कहा गया है कि देश के निर्धनतम १० प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय आय का २% प्रतिशत और उपभोग का ३ प्रतिशत पहुंच पाता है। और सब से बड़ी बात यह है कि देश की जनता का दो तिहाई भाग भूखे रहने के स्तर पर निर्वाह कर रहा है।

इसलिये चीनियों के साथ ही साथ हमें देश के इन प्रतियात्मक बद्धहित लोगों से भी लड़ना है। समाचारपत्रों का भी यही हाल है। हाल ही में कुछ समाचारपत्रों ने आचार्य भावे को भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nepotism

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

आलोचना की है क्योंकि उनका दृष्टिकोण उदार है। प्रधान मंत्री की भी वह इसी कारण आलोचना करते रहते हैं कि वह उन्नतिशील विचारधारा के समर्थक हैं।

इस प्रकार आन्तरिक और बाह्य दोनों संकटों से लड़ने के लिये हमें कमर कस लेना चाहिये और इसके लिये उन सभी लोगों को संगठित किया जाना चाहिये जो उन्नतिशील विचारों के और देशप्रेमी हों चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हों।

भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिये किया जा रहा है। श्री त्रिवेदी ने अभी कहा था कि इन नियमों का उपयोग स्वर्ण पर नियंत्रण करने के लिये किया जाना बहुत अनुचित था। देश के लाखों सुनारों और कारीगरों के सामने जीविका का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। इस प्रश्न का दूसरा पहलू है। गांवों में सोना रुपया बचाने के लिये बैंक जैसी सुविधायें देता है। गरीब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर सोने का कोई जेवर बनवा लेते हैं जो कठिन समय में उनके काम आता है। उनके पास अन्य लघुबचत योजनायें उपलब्ध नहीं हैं। इस नियंत्रण से इन लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी १४ कैरट सोना खरीदना नहीं चाहता। श्रेणी के स्थान पर यदि मात्रा का नियंत्रण किया जाता तो अधिक उत्तम रहता।

दूसरा प्रश्न इस आपात काल में चुनाव करवाना है। इसका क्या तात्पर्य है? चुनाव लड़ने के लिये विरोधी दल को सरकार के कार्यों की, युद्ध प्रयत्नों की भी आलोचना करनी पड़ेगी और फिर उन पर भारत प्रतिरक्षा नियम लागू किये जायेंगे। इस का क्या उपाय है? यह उपहासास्पद है। यदि सरकार इस समय चुनाव करवाकर कांग्रेस दल को सशक्त बनाना चाहती है तो वह अपने को हास्यपात्र बना रही है। और फिर विरोधी दल में बहुत से व्यक्ति हैं जो भारत प्रतिरक्षा नियमों से भयभीत भी नहीं होंगे। यदि चुनाव करवाने हैं तो वाक् स्वातंत्र्य भी होना चाहिये। जिससे विरोधी दल सरकार के कार्यों का, युद्ध प्रयत्नों का भी, विरोध कर सकें। इससे देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इसलिये इस चुनाव के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि थोक मूल्य लगभग स्थिर रहे हैं। जहां तक देशनांकों का प्रश्न है यह ठीक हो सकता है किन्तु साधारण नागरिक के रूप में मैंने यह अनुभव किया है कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का मूल्य चार अथवा पांच गुना अधिक हो गया है। इससे लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यों की गति को मध्यम करने का भी प्रश्न है। विकास कार्यक्रम छोड़ने से बेरोजगारी बढ़ती है। आंकड़ों से यह सिद्ध किया गया है कि उत्पादन बढ़ रहा है। किन्तु यह पुराने आंकड़े हैं जो आपातकाल के पहले उद्योगपतियों के पास एकत्रित माल पर आश्रित हैं। किन्तु आज की क्या स्थिति है? बहुत से उद्योगों में कच्चे माल और विदेशी विनिमय के अभाव में उत्पादन कम हो गया है। किन्तु छः माह के बाद स्थिति क्या होगी? हम समझ सकते हैं कि यह उतनी आशाप्रद नहीं होगी जितनी इस समय सभा के सम्मुख चित्रित की जा रही है।

केरल में इल्मेनाइट[1] खानों के बन्द किये जाने से औद्योगिक स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो गई है। प्रधान मंत्री ने ट्रावनकोर मिनरल्ज लिमिटेड का संतुलन विवरण सभा पटल पर रखा था। उससे पता चलता है कि इस उद्योग से केन्द्रीय सरकार को २ करोड़ रुपया विदेशी विनिमय उपलब्ध करवाया और केरल सरकार को ७५ लाख रुपया वार्षिक का स्वामित्व देती रही। इसके साथ

[1] ilmenite

ही यह १०,००० व्यक्तियों को रोजगार भी देती रही है । इसके बावजूद भी इसे बन्द कर दिया गया ।

दूसरे उद्योगों में भी कर्मचारियों की अवस्था शोचनीय है । हर स्थान पर कार्य अधिक बढ़ा दिया गया है । देश भक्ति से प्रेरित कर्मचारियों के "हड़ताल नहीं होगी" की नीति घोषित कर दिये जाने के कारण हर स्थान पर परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया गया है । अब कर्मचारी अपनी शिकायतें लेकर श्रम मंत्री के पास भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि वह बहुत से दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं । इसलिये कर्मचारी निःसहाय हैं । उन में अशान्ति फैली हुई है और यह स्थिति बहुत समय तक चालू नहीं रखी जा सकती ।

हम ब्रिटिश राज्य में भारत प्रतिरक्षा नियमों के विरुद्ध लड़े थे । किन्तु अब परिस्थिति दूसरी है । इस समय जब हमारी मातृभूमि पर आक्रमण हो रहा है हम इन नियमों का विरोध करना नहीं चाहते । किन्तु यदि कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की जाती, यदि सरकार दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं रखती तो हमें प्रतिरोध करने पर बाध्य होना पड़ेगा । फिर उत्पादन कम हो जायेगा । मैं सभा से और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय में शीघ्रता से कुछ करे वरना देश में औद्योगिक शान्ति भंग हो जायेगी ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, श्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री पाण्डेय ने धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं ।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के पृष्ठ ४ पर सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह कही है :—

> "हमारे सामने आज चीन के हमले की समस्या सब से बड़ी है और इस को सामने रख कर ही हमें बाकी सब बातों पर विचार करना है ।"

यह बिलकुल सही है कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करते हुए हमें अपनी सभी योजनाओं को बनाना है और उनको कार्यान्वित करना है । देश की रक्षा का सवाल सब से प्रथम है और हमें यह जान कर प्रसन्नता है कि हमारी जो आर्डिनेंस फैक्टरीज़ हैं, रक्षा के काम में आने वाले जो शस्त्रादि बनाने के कारखाने हैं उन में चौबीसों घंटे काम चल रहा है और उस में काफ़ी प्रगति हुई है । लेकिन केवल इस से संतोष नहीं हो सकता है । हमें इस देश की विशाल जनसंख्या को देश के ऊपर आये खतरे का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार करना है और जैसा कि दुश्मन हमारे सामने है उस को देखते हुए यह कारखाने काफ़ी नहीं हैं । इस के लिए नये नये कारखाने बनाये जाने चाहिएं ।

अभी आप ने देखा कि सारे देश की जनता ने नेशनल डेवलपमेंट फंड में जो योगदान दिया और जो सहयोग और उत्साह दिखाया उस से एक बड़ी आशा हम को होती है । इस सम्बन्ध में मेरा एक विनम्र सुझाव है कि जो जनता ने पैसा दिया है जिस राज्य से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, उन रुपयों से उस राज्य में आर्डिनेंस फैक्टरीज या आर्मामेंट फैक्टरीज़ क़ायम की जानी चाहिएं ताकि यह यादगार बनी रहे कि वहां की जनता के पैसे से और उन के सहयोग से यह कारखाने देश की रक्षा के लिए बनाये गये । आप को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं रहा है । और मध्य प्रदेश में भी उज्जैन ज़िला सर्व-प्रथम रहा है । मेरा अनुमान है कि पर कैपिटा के हिसाब से सारे देश में शायद उज्जैन ज़िले का पहला नम्बर आयेगा । मेरा सुझाव है कि इन लोगों और राज्यों का उत्साह बढ़ाने के लिए वहां पर नये नये कारखाने क़ायम किये जाने चाहिएं ।

[श्री राधेलाल व्यास]

यह भी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहां हवाई जहाज़ का कारख़ाना बनने जा रहा है। बंगलौर के कारखाने में भी हवाई जहाज़ बनने शुरू हुए हैं और उस में प्रगति हुई है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में हवाई जहाज चाहिए, इसलिए और भी कारखाने बनाए जाने चाहियें, जिन में छोटे बड़े, सब प्रकार के हवाई जहाज़ बनाने की व्यवस्था हो। हम को बाम्बर्ज़, फ़ाइटर्ज़ और रैडार्ज़ की ज़रूरत होगी। यद्यपि इस के लिए काफ़ी पैसा, काफ़ी जानकारी और ज्ञान चाहिए, परन्तु इस दिशा में हम को शुरुआत तो करनी चाहिए। इन को जानने वाले और चलाने वाले पायलट्स आदि की हजारों की संख्या में ज़रूरत होगी। सरकार को केवल इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को नौकरी में रखना है, केवल उन्हीं को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना है और चालक बनाना है। आज हमारे देश में लाखों नौजवान यह काम करने के लिये तैयार हैं। उन को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम पायलट्स और टैक्निकल पर्सोनेल के रूप में उन का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में व्यापारी जहाज़ों का ज़िक्र किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि उन का टनेज बढ़ रहा है। लेकिन आज की स्थिति में नेवी और लड़ाकू जहाज़ों को नज़र-अन्दाज़ नहीं किया जा सकता है। हमारा काफ़ी बड़ा समुद्र-तट है और उस की रक्षा करने के लिए जहाज़ी-बेड़े को तैयार करना होगा और उस को बढ़ाना होगा। इस समय हमारा जहाज़ी-बेड़ा छोटा और दुर्बल है। दुश्मन के हमले से देश की रक्षा करने के लिए हम को सबमैरिन्ज़ की भी ज़रूरत है। आज संसार में ऐसा कोई देश नहीं है, जो कि समुद्र से घिरा हुआ हो और जिस के पास सबमैरिन्ज़ की आरगानाइज़ेशन और यूनिट्स न हों। इस दिशा में प्रगति करना बहुत आवश्यक है।

राइफ़ल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी बहुत जल्दी करने की आवश्यकता है। जगह जगह पर लोग हम से पूछते हैं कि राइफ़ल ट्रेनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। यह ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ़ से ही राइफ़ल्ज़ दी जायें। हर जगह पर लोगों के पास राइफ़ल्ज़ हैं और उन का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर कार्टरिज नहीं हैं, तो शुरू में छर्रों से ही काम चलाया जाये, जैसाकि पार्लियामेंट के मेम्बरों को ट्रेनिंग देते समय किया गया था। आज सारे देश में बड़े पैमाने पर राइफ़ल ट्रेनिंग का कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इस विषय में देर क्यों हो रही है। इस बारे में लोगों को निराश होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

आज की स्थिति में आर्म्ज़ एक्ट को भी कुछ ढीला करने की ज़रूरत है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा हथियार रखने की सुविधा देनी चाहिए और लाइसेन्स देने में उदारता की नीति अपनानी चाहिये। अगर आवश्यक हो, तो आर्म्ज़ एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए।

आज जो लड़ाई हो रही है, वह पहाड़ों पर हो रही है और उस का अन्तिम निर्णय पहाड़ों पर ही होना है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को माउनटेन वारफ़ेयर की शिक्षा देनी चाहिए। पिछली दफ़ा हम ने देखा कि पहाड़ों की लड़ाई का अनुभव न होने से हमारे जवानों और देश को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। भविष्य में इस ग़लती को न दोहराया जाये, इसलिए माउनटेन वारफ़ेयर के लिए लोगों को शिक्षित करने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

यद्यपि सम्भव है कि मेरे कई साथी मुझ से सहमत न हों, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हम को न्युक्लियर वैपन्ज़ के विकास की दिशा में भी कुछ सोचना चाहिए। आज सब देश यह समझते हैं कि केवल कन्वेन्शनल वैपन्ज़ ही काफ़ी नहीं हैं। यद्यपि व ब त ज़रूरी हैं, लेकिन

न्यूक्लियर वैपन्ज को रखना भी बहुत आवश्यक है—दुश्मनों पर हमला करने के लिए नहीं, लेकिन दुश्मनों को यह बताने के लिए कि अगर वे इस का उपयोग करते हैं, तो उन को भी जवाब में ज़ोर का तमाचा मिलेगा। अगर इन वैपन्ज को डेवलप करना और रखना खर्चीला हो, तो कम से कम एक माडेस्ट तरीके से, छोटे पैमाने पर, इस काम को शुरू किया जाये, ताकि हमारे लोगों को उन का ज्ञान हो और आगे चल कर हम उन से वंचित न रह सकें।

हमारे देश में कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स और पंचायतें हैं और अब रक्षा श्रम बैंकों की भी स्थापना की गई है। मैं इस का स्वागत करता हूं। मेरा सुझाव है कि इस योजना को केवल देहातों तक ही सीमित न रखा जाये, बल्कि शहरों में भी रक्षा श्रम बैंकों का काम शुरू किया जाये और शहरों के सब बालिग़ लोगों से महीने में एक दिन श्रम लेने की व्यवस्था की जाये, नहीं तो देहाती लोगों को यह शिकायत करने का मौका मिलेगा कि सब काम देहातियों के लिए ही रखे जाते हैं, जबकि शहरों के लोगों को कोई काम नहीं दिया जाता है।

लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उन का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि शासकीय यंत्र को गीयर अप किया जाये। आज लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कहीं पर भ्रष्टाचार हो और कहीं पर लाल-फ़ीता-शाही हो। उन को तुरन्त समाप्त करना चाहिए और यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन का अपराधी पाया जाये, तो उस को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए।

श्री बागड़ी (हिसार) : वज़ीर और मिनिस्टर ?

श्री राधेलाल व्यास : इस बारे में कोई अपवाद नहीं है। यह कह देना आसान है कि वज़ीरों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, लेकिन हालांकि हमारे मित्र इतने दिनों से यहां पर हैं, लेकिन वह किसी भी वज़ीर के खिलाफ एक भी कन्क्रीट बात नहीं रख सके। केवल प्रचार के लिए आरोप लगाना और बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी किसी के रिश्तेदार नहीं हैं। अगर कोई वज़ीर कोई ग़लती करता है, तो पार्टी में उस की ख़बर ली जाती है। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि यहां पर और राज्यों में भी यही परिपाटी है।

न्याय को जल्दी सुलभ करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह कहा जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है, परन्तु हम देखते हैं कि अदालतों में यद्यपि फ़ौजदारी मुकदमों के फ़ैसले जल्दी हो जाते हैं, लेकिन सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले मामले महीनों और वर्षों तक चलते हैं। डिग्रियां होने के बाद उन की हकरसी में कई साल लग जाते हैं। इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि लोग न्याय से वंचित न हों।

राष्ट्रपति जी ने ख़र्च में कमी करने, चीज़ों को ज़ाया न होने देने, अपने सीमित साधनों को बचाए रखने और सम्भाल कर उन का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। आजकल इन बातों की बहुत अहमियत है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लोग यह आशा करते हैं कि अब फ़िज़ूलखर्ची में कमी की जायगी। मैं अनुभव करता हूं कि इस दिशा में जितने ठोस कदम उठाये जाने चाहिए, अभी तक वे नहीं उठाए गये हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न राज्यों में कहीं पर छोटे ज़िले हैं और कहीं पर बड़े ज़िले हैं, कहीं पर कमिश्नरी है और कहीं पर नहीं है। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज़ में बहुत वृद्धि हो जाती है। मध्य प्रदेश में एक तरफ़ तो बिलासपुर और रायपुर जैसे ज़िले हैं, जहां अठारह बीस लाख की आबादी है और दूसरी तरफ़ दतिया का ज़िला है, जिस की आबादी सिर्फ़ दो लाख है। इस तरह कैसे काम चलेगा ? इस इमर्जेन्सी की स्थिति में खर्च में कमी करना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशिन के ख़र्च में जितनी अधिक कमी की जा सकती है,

[श्री राधेलाल व्यास]

वह की जाय । जहां पर ज़िले कम किए जा सकते हैं, उन को कम किया जाय। जहां पर कमिश्नरी को हटाया जा सकता है, स को हटा दिया जाय । स्टाफ को कम किया जाय और काम को घं बढ़ाये जायें । दफ़तरों में आठ दस घंटे काम हो, ताकि थोड़े आदमियों से अधिक काम लिया जा सके ।

इसी प्रकार टी० ए० और डी० ए० के रूल्ज़ में परिवर्तन करने की ज़रूरत है । नैशनल डिफ़ेंस फ़ंड को इकट्ठा करने के लिए ज़िले और तहसील के अधिकारियों ने काफ़ी दौरे किए और मेहनत की । लेकिन पिछले सालों में इतना टी० ए० और डी० ए० ड्रा नहीं किया गया होगा, जितना कि इमर्जेन्सी के इस ज़माने में नेशनल डिफ़ेंस फ़ंड को इकट्ठा करने में वसूल कर लिया गया । उन लोगों ने एक दिन की तन्ख्वाह तो दी, लेकिन उस से कई गुना टी० ए० और डी० ए० वसूल कर लिया। मेरा सुझाव यह है कि जो सरकारी अधिकारी सरकारी कार में जायें, सरकारी पैट्रोल का उपयोग करें, सुबह जायें और शाम को घर आ जायें, उन को उस रोज़ का टी०ए० और डी० ए० कतई नहीं मिलना चाहिए। वे अपने साथ टिफिन ले जा सकते हैं घर से जहां पर उन को फिर आना होता है । इस से लाखों रुपयों की बचत की जा सकती है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था कर ी जाये ।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर्ज़ के बारे में भी तो कुछ कहो ।

श्री राधेलाल व्यास : हमारे दोस्त मिनिस्टर्ज़ की बात कहते हैं । शायद उन को पता नहीं है कि सैंटर के जो मिनिस्टर हैं, उन को सरकारी कार नहीं मिलती है, पैट्रोल भी नहीं मिलता है, ड्राइवर भी नहीं मिलता है और जब वे स्टेट्स में जाते हैं तो स्टेट गैस्ट होते हैं, और उन के लिए टी० ए० और डी० ए० का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है । यह सब कुछ जानते हुए भी वह जब इस तरह की बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है ।

मेरा एक विनम्र सुझाव है । मैं चाहता हूं कि एक इकोनोमी कमेटी जिस में पार्लियामेंट के मैम्बर हों, कुछ रिटायर्ड अफसर हों, हाई कोर्ट के जज हों बनाई जाये । यह स्टैंडिंग इकोनोमी कमेटी बननी चाहिए जो हमेशा इस बात का सर्वे करती रहे कि देश में किन किन बातों की जरूरत है और किन किन खर्चों में कमी की जा सकती है । यह बहुत जरूरी है । केवल अभिभाषण में इस का ज़िक्र कर देने से कि मैं खर्च में कमी की जानी है, कमी नहीं होने वाली है। मेरा सुझाव है कि एक स्टैंडिंग कमेटी कायम की जाय ।

काम के घंटे बढ़ाये जायें, छुट्टियां कम की जाएं । हम देखते हैं कि स्कूलों और कालेजों में दो दो और ढाई ढाई महीने की छुट्टियां रहती हैं । जो हाई कोर्ट्स हैं और दूसरी कोर्ट्स हैं वहां भी हम देखते हैं कि बड़ी लम्बी छुट्टियां रहती हैं । इन छुट्टियों को इस इमरजेंसी में खत्म कर दिया जाना चाहिए । स्कूलों और कालेजों में जब एक एग्ज़ेमिनेशन हो जाय और दूसरा सत्र शुरू हो, यानी जब तक रिज़ल्ट न निकले तब तक उस बीच में जनरल एजुकेशन, दूसरे विषयों की एजुकेशन, देश रक्षा की एजुकेशन उन को दी जानी चाहिए ।

साथ ही साथ उद्घाटनों वगैरह पर जो खर्च होता है, उस में भी कमी की जानी चाहिये । ब्याह शादियों का खर्च और भोज आदि पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए और अल्पबचत की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये । बड़े बड़े उद्योगों में काफी मुनाफा होता है । बोनस बांटा जाता है, डिविडेंड बांटा जाता है । मैं समझता हूं कि इस एमरजेंसी में बोनस का बांटना,

डिविडेंड का बांटना, मुनाफा अधिक लेना, यह सब बन्द होना चाहिये। जो रकम इस तरह से बचे, उस को डिफेंस बांड्ज में लगा दिया जाना चाहिये और लोगों को नहीं दिया जाना चाहिये। इस तरह से उस रकम का सदुपयोग हो सकता है और साथ ही साथ इनफ्लेशन से भी देश की रक्षा की जा सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने काफी इस ओर ध्यान दिया है। मेरा हमेशा ही यह सुझाव रहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कर्ज दिये जायें। इस की व्यवस्था इस साल से हो रही है। लेकिन टैक्नीकल एजुकेशन का जहां तक सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि जो ये इंस्टीट्यूशंज हैं, वे काफी नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि जो इंस्टीट्यूशंज दिन में चलती हैं, रात को भी अगर वे काम करें और स्टाफ बढ़ा दिया जाय या फिर उन को ही और एलाउंस वगैरह दे दिया जाय तो अच्छा रहेगा। नाइट क्लासिस भी टैक्नीकल इंस्टीट्यूशंज में खोली जानी चाहियें ताकि अधिक से अधिक लोग इन से लाभ उठा सकें और जो लोग दिन में कहीं काम करते हैं, वे अगर रात में पढ़ना चाहें, टैक्नीकल एजुकेशन लेना चाहें, उन को भी यह सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षकों का स्तर भी ऊंचा उठाने की जरूरत है। यह बहुत बड़ी शिकायत है। उन का पढ़ाने का स्टेंडर्ड तथा उन का मारेल वगैरह ऊंचा नहीं होता है, उन में साम्प्रदायिकता फैलती जा रही है। इस सब की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

समान अवसर की बात की जाती है। मेरा विनम्र निवेदन है समान अवसर से लोगों को वंचित रखा जाता है। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ लोग, कुछ टैक्नीकल लोग क्वालिफाइड लोग बाहर जब स्थान रिक्त होते हैं, तो एप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उन की एप्लीकेशंज फारवर्ड नहीं की जाती हैं। दूसरी जगहों पर भी ऐसा होता है। ऐसा करके उन को समान अवसर से वंचित रखा जाता है। यह जो एप्लीकेशन्ज पर प्रतिबन्ध है, यह हटना चाहिये और लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वे बाहर जा सकें।

कहने को तो मुझे और भी कहना था लेकिन चूंकि समय हो गया है और आप की आंख मेरी ओर लगी हुई हैं, इस वास्ते कह नहीं सकता हूं। मैं आप को धन्यवाद देता हूं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उस का समर्थन करता हूं।

†श्री करुधिरभरा (गोबीचेट्टिपलयम) : हम राष्ट्रपति को उन के अभिभाषण के लिये धन्यवाद देते हैं। उन्हों ने सरकार की नीति का उल्लेख किया है। यह आपातकाल में दिया गया पहला अभिभाषण है। इस में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का समावेश हुआ है। इस में राष्ट्र रक्षा के लिये जनता का आह्वान किया गया है।

तटस्थता की नीति सर्वोत्तम है। क्योंकि संसार के लगभग सभी बड़े देशों ने इस का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ने अमरीका और इंग्लैंड के प्रति उन के द्वारा दी गई सहायता के लिये हमारा धन्यवाद प्रदर्शित किया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

वास्तव में मित्र वही है जो संकट में काम आये। इन देशों ने उस समय हमारी सहायता की थी जब हमारा राष्ट्रीय सम्मान संकट में था। इसलिये हम इन सब राष्ट्रों के प्रति जिन्हों ने संकटकाल में हमारी सहायता की आभारी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करुथिर भण]

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में वर्तमान वृद्धि कुछ तो योजनाओं के कारण, कुछ कृषि की उन्नत प्रणालियों के प्रयोग के कारण और मुख्यतः अनाज के वर्तमान मूल्यों के कारण हुई है। अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि यदि आप अनाज के मूल्यों पर नियंत्रण रखे तो दूसरे पदार्थों का मूल्य स्वतथेव स्थिर हो जायेगा। यह १९वीं शताब्दी में सच हो सकता था किन्तु बीसवीं शताब्दी में हम ऐसा नहीं कह सकते। अनाज के मूल्यों में कमी होने से दूसरे पदार्थों के मूल्यों में कमी नहीं हो जाती। आज सीमा पर लड़ने का ही प्रश्न नहीं यह प्रश्न भी सामने है कि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल जाये।

योजना आयोग ने अनाजों का निम्नतम मूल्य निर्धारित कर दिया है। किन्तु किसानों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। अथवा उन की बात नहीं सुनी गई क्योंकि यहां उन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता।

अर्थ शास्त्री भी यह कहते हैं कि मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि लोगों को अनाज पर बहुत अधिक रुपया व्यय करना होता है। किन्तु शहर के रहने वाले इसलिए शोर मचाते हैं कि उन्हें सिनेमा आदि फालतू बातों में खर्च करने के लिए पैसा चाहिये। इस के लिए वह कृषक को दोष देते हैं और अनाज का मूल्य कम करवाना चाहते हैं। यह अत्यन्त कठोर कार्य है। अनाजों का निर्धारित निम्नतम मूल्य अनुचित है। इस के द्वारा हम किसानों की सहायता नहीं कर रहे। अप्रत्यक्ष रूप से हम उन से अधिक अन्न नहीं उपजाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। वह तिजारती अनाजों का उत्पादन आरम्भ कर देंगे और खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो जायेगा।

मद्रास के एक तथाकथित जमींदार से सचिवालय के एक यू० डी० सी० की अवस्था अधिक अच्छी है। आपने किसान की आय-सीमा ३६०० रु० निश्चित की है जबकि योजना आयोग के सदस्य को ३,००० रु० मासिक वेतन दिया जाता है। किसान से अधिक अनाज उपजाने की आशा तो की जाती है, परन्तु उपज की कीमत केवल १५ रुपये प्रति मन निर्धारित की गई है। यह घोर अन्याय है। आपको खेती उपज की कीमत कृषि पर प्रति एकड़ पर होने वाली लागत के आधार पर निश्चित करनी चाहिए। जिस प्रकार आपने कीमत निर्धारित की है उससे केवल व्यापारी को ही लाभ होता है। ऐसा करके सरकार किसानों को व्यापारियों के हाथ गिरवी रख रही है। जब तक उपज की कीमत २१ रुपये प्रति मन निर्धारित नहीं की जाती, किसान चावल की खेती करने योग्य नहीं होता। सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही करके, और व्यापार को सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने हाथों में लेकर, किसानों को व्यापारियों का शिकार बनने से बचाना चाहिए। तभी वह अपनी खेती का स्वयं लाभ उठा सकेगा।

इसके अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्यों मेंसमाहृता भी नहीं पाई जाती। गन्ना उत्पादक को एक हजार रु० मिलता है तो अनाज उपजाने वाले को केवल २०० रु० ही प्राप्त होता है। एक किसान रुई १५० रु० या २०० रु० प्रति कपास की दर पर मिल को देता है। वही मिल मालिक उस रुई से कपड़ा तैयार करके १५०० रु० में बेचता है। इस तरह सारा लाभ उद्योगपतियों द्वारा ले लिया जाता है। किसान को उपज की उचित कीमत न मिलने के कारण, ३० प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्र बेकार पड़ा है। मेरा सुझाव है कि खेती के लिये मूल्य एक वर्ष पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाया करें ताकि किसान अपनी फ़सल के लिये पहले से ही योजना तैयार कर सके। इसके अतिरिक्त खेती के बीमे की योजना भी लागू करनी चाहिए, जिससे खराब मौसम का किसान पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

वस्तुओं की कीमत का किसान को दी जाने वाली कीमत से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः इन कीमतों को निर्धारित करते समय उत्पादन लागत का खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिये। युद्ध पूर्व काल में, १९३९ में, यदि कीमतों को देखें, तो विदित होता है कि जहां कीमतें केवल ५ गुना बढ़ी हैं, वहां उत्पादन की लागत दस गुना बढ़ चुकी है। १९४८ में गांधीजी ने खाद्यान्नों से नियन्त्रण हटाने का सुझाव दिया था क्योंकि नियन्त्रण से केवल उद्योगपतियों या व्यापारियों को अधिक लाभ होता है न कि किसान को। नियन्त्रण हटाये जाने के पश्चात् उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था।

इन कारणों से उत्पादन बढ़ाने की बात करना तब तक व्यर्थ है जब तक किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिया जाता। आपात-काल में किसान के हितों का ध्यान रखना और भी आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विभिन्न दलों ने कुछ संशोधन रखे जाने के लिये चुने हैं। सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें प्रस्तुत हुआ मान लिया जायेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

संशोधन	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१	२	३
१	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	संसद् तथा देश को यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि आपात का प्रयोग, प्रशासन में पाई जाने वाली अकार्यकुशलता, भाई-भतीजेवाद, आदि त्रुटियों पर परदा डालने के लिये नहीं किया जायगा।
२	श्री मु० इस्माइल . .	अभिभाषण में केरल जैसे कुछ दुर्बल तथा पिछड़े राज्यों की सहायता सम्बन्धी की जाने वाली कार्यवाहियों का वर्णन नहीं किया गया।
३	श्री ह० प० चटर्जी . .	निर्दोष नागरिकों को, भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२, तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, निरुद्ध न किया जाय, इस उद्देश्य से की जाने वाली कार्यवाहियों का वर्णन अभिभाषण में नहीं किया गया।
४	श्री ह० च० सोय . .	अभिभाषण में निम्न बातों का वर्णन नहीं हैं : (क) चीनी आक्रमण का सामना करने के उद्देश्य से सैन्य तथा आर्थिक दृष्टियों से किस सीमा तक तैयारी हो चुकी है ; (ख) रेलवे, खानों आदि के उचित प्रबन्ध की आवश्यकता; श्रमिकों की वर्तमान अवस्था में सुधार; तथा सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफ़ारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित करना;

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
		(ग) जन जाति लोगों पर औद्योगीकरण के प्रभाव सम्बन्धी ढेबर आयोग के प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों की स्वीकृति तथा कार्यान्वयन के लिये ठोस कदम उठाना तथा उनके पुनर्वास, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता ; (घ) देश के आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टियों से पिछड़े भागों में, आपात काल के बावजूद भी, वर्तमान असमानता को निश्चित समय में समाप्त करने के उद्देश्य से कल्याणकारी कार्यक्रमों में तीव्र गति लाने की आवश्यकता ।
१	श्री अ० क० गोपालन . .	परन्तु खेद है कि : (क) जहां श्रमिक-वर्ग ने बलिदान दिये हैं, वहां नियोजकों ने कारखाने बन्द किये हैं और छंटनी करने में आपात का प्रयोग किया है; (ख) राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए केवल साधारण लोगों ने ही सहयोग दिया है, धनी लोगों ने नहीं; (ग) आपात शक्तियों का प्रयोग, लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्रता तथा लोगों के अधिकारों का दमन करने में, तथा साम्यवादी जनता आदि को जेल में बन्द करने में किया गया है ।
	श्री उ० मू० त्रिवेदी . .	(क) परन्तु खेद है कि चीनियों के भारतीय राज्यक्षेत्र पर रहते हुए भी अभिभाषण में शान्तिपूर्वक बातचीत पर बल देकर जनता के नैतिक पतन की चेष्टा की गई है ; और केवल अपने दल विशेष को सशक्त बनाये रखने के उद्देश्य से आपात-काल जारी रखा जा रहा है ; (ख) परन्तु खेद है कि सरकार मित्र देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने में असफल रही है ।
	श्री ना० गो० रंगा . .	अभिभाषण में : (क) संसद् द्वारा नवम्बर में की गई आक्रमण को खाली करवाने की प्रतिज्ञा का समभिहार नहीं किया गया है ;

१	२	३
		(ख) अपने राज्य क्षेत्र पर से चीनी आक्रमण को हटाने के उद्देश्य से ठोस उपायों का वर्णन नहीं है ।
८	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . .	अभिभाषण में :
		(क) संसद् द्वारा नवम्बर संकल्प, जिसके अनुसार चीनियों को अपने देश से खदेड़ने की प्रतिज्ञा की गई थी, का समभिहार नहीं किया गया, और अपने राज्य-क्षेत्र को खाली करवाने के लिये उपाय नहीं सुझाये गये;
		(ख) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में जो गति-बद्धता आ गई है उसका वर्णन नहीं है और प्रतिरक्षा तथा विकास के लिए इसमें गति लाने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं सुझाये गये;
		(ग) चीनी आक्रमण के फ़लस्वरूप देश में जो उत्साह की लहर उत्पन्न हुई उसका उपयोग करने में आपात का पूरा लाभ न उठाये जाने का वर्णन नहीं है ।
९	श्री राम सेवक यादव . .	खेद का विषय है कि अभिभाषण में, रक्षा तथा वैदेशिक नीतियों में परिवर्तन लाने, जनता में सामाजिक तथा आर्थिक समानता लाने, भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम के दुरुपयोग तथा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों सम्बन्धी नीतियों की असफ़लता का वर्णन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मैं ने बहुत गौर से सुना । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अन्दर इस वक्त ऐसी नवीनता की जरूरत थी, जिस की नींव पर, जिस की बुनियाद पर, हिन्दुस्तान को एक ऐसी इमारत बनानी थी जिस से कि देश शक्तिशाली बनता और अपनी सरहदों की हिफाजत करता हुआ, अपनी खोई हुई मान मर्यादा को दुबारा प्राप्त करता हुआ, इस देश की गरीबी और दरिद्रता का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता । लेकिन बड़े खेद की बात है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अन्दर कांग्रेस सरकार की नाबराबरी की नीतियों के कारण जिस तरह से देश रसातल की ओर बढ़ता गया, जिन के कारण इस देश में हजारों, लाखों खानाबदोश लोगों को सोलह सालों की आजादी के दौरान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

बसने के लिये जगह नहीं दी जा सकी, जिस कांग्रेस सरकार के राज्य के अन्दर लाकानूनी भ्रष्टाचार और कुनबापरवरी का बोलबाला है, उस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, आज देश में जगह जगह इमरजेंसी के बारे में चर्चा होता है। ऐसा मालूम देता है कि यह देश का धर्म बन गया है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी बात करता है पहले इमरजेंसी का सवाल करता है। लेकिन वह इमरजेंसी कहां है और किस के लिए है इस तरफ राष्ट्रपति जी को इशारा करना चाहिए था जिससे कि देश के अन्दर नवीनता आती।

देश में एक ओर तो गरीब लोग बड़े उत्साह से दे रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि उनसे जबरदस्ती टैक्स के तौर पर डिफेंस फंड के लिए पैसा लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के बड़े बड़े हाकिम हैं, मंत्रियों की पल्टनें की पल्टनें हैं। राष्ट्रपति जी ने उनके लिए अपने भाषण में कोई सुझाव नहीं दिया कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की तादाद कम की जाए और उन पर जो खर्चा होता है वह कम हो।

एक तरफ इस देश के अन्दर औसत आमदनी ३०० रुपया साल है और एक गरीब आदमी आठ आने, बारह आने और १४ आने रोज में अपना गुजारा करता है, और हमारे कांग्रेसी भाई समाजवाद का नारा देते थकते नहीं, और दूसरी ओर प्रधान मंत्री का २५ हजार रुपया रोज का खर्चा है। ऐसा समाजवाद देख कर हम को ....

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब जो भी बयान दें उसके पहले उनको यकीन कर लेना चाहिए कि दुरुस्त बात है। इस हाउस में तकरीर की आजादी इसी वजह से है कि स्पीकर का कंट्रोल रहता है और मेम्बर की भी जिम्मेवारी समझी जाती है। इसलिए वह जो भी बयान करे अपनी जिम्मेवारी को ख्याल करके करें।

श्री बागड़ी : जी हां। इसके बाद मैं आपके मारफत सदन से अर्ज करना चाहता हूं।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : प्रधान मंत्री का खर्च २५,००० रुपये है, यह आंकड़ा उन्हें कहां से प्राप्त हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग प्रश्न है। यदि वह एक बात कहते हैं, तो उस के लिये वह उत्तरदायी हैं।

श्री बागड़ी : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हिन्दुस्तान में एक तरफ गरीब आदमी है, एक चौकीदार और सिपाही ४५ और ६० रुपए महीने तनख्वाह पाता है तो दूसरी तरफ बड़े बड़े ओहदेदार हैं जो ६ हजार तक तनख्वाह पाते हैं। यहां गरीब और अमीर में सैकड़ों गुने का फर्क है और दूसरी तरफ अमरीका जैसे अमीर मुल्क में एक और तीन और एक और ६ का फर्क है। हिन्दुस्तान में समाजवाद की दुहाई दी जाती है। यह नेहरू का समाजवाद हो सकता है, गरीब का समाजवाद नहीं हो सकता जिसमें कि लोगों की आमदनी में इतना बड़ा अन्तर हो।

जब देश में इमरजेंसी है तब भी हिन्दुस्तान में जो करोड़पति और लखपति हैं वे उसी तरह से रह रहे हैं और राजे महाराजों को बड़ी बड़ी पेंशनें दी जा रही हैं। जब देश पर इमरजेंसी

---

†मूल अंग्रेजी में

है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह पेंशनों का लाखों रुपया क्यों नहीं रोका जाता और क्यों नहीं उस को डिफेंस फंड में लिया जाता। इस रुपए को डिफेंस फंड में खर्च करने के लिए राष्ट्रपति जी ने कोई संकेत नहीं किया। इसके लिए उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया।

आज देश के डिफेंस की बात कही जाती है। इस देश की सरकार ने एक तरफ तो तिब्बत को चीनी दरिन्दों के मुंह में फेंक दिया और फिर पंचशील का नाम लेते हुए अपने को कमजोर रखा और अपने को शक्तिशाली नहीं बनाया जिससे कि चीनियों का मुकाबला कर सकते, और दूसरी तरफ देश में सोने में तुलते हैं। कहीं वित्त मंत्री जी सोने में तुलते हैं जिन्होंने देश में सोने को खत्म कर दिया। उन्होंने देश-विदेश में देश की सम्पत्ति का दिवाला निकाल दिया। शायद उसके सिले में यह सोने में तुलते हैं। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री सोने में तुलते हैं जैसे कि उन्होंने हिन्दुस्तान की सरहदों को पार करके दुश्मनों को खदेड़ दिया हो और हिमालय को चीनी दरिन्दों से बचा लिया हो।

मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की दोगली नीति है। कभी तो हम रूस की खुशामद करते हैं और फिर कभी अमरीका की खुशामद करते हैं। सरकार की अपनी कोई निश्चित नीति नहीं है। इस विदेश नीति के बारे में भी राष्ट्रपति जी को अपने भाषण में कोई संकेत देना चाहिए था। हमारी नीति किसी तरफ भी न झुकने वाली और मुस्तकिल नीति होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि आज कभी सरकार रूस की हां में हां मिलाती है तो कभी अमरीका की हां में हां मिलाती है। उसकी अपनी कोई निश्चित नीति नहीं होती।

इसके बाद मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी को अपने भाषण में यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हमारी चीन के साथ वही सरहद है जोकि १५ अगस्त सन् १९४७ को थी, हमारी वह सरहद नहीं है जो कि सरकार की दब्बू नीति के कारण ८ सितम्बर की सरहद हो गयी है और मैं समझता हूं कि अगर हम इसी दब्बू नीति पर चलते रहे तो इस सरहद के बारे में और भी तारीख बन जाएगी।

मैं आपके मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि आज डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत किशन पटनायक जैसे लोक सभा के सदस्य को, जो देशभक्ति में किसी से कम नहीं है गिरफ्तार किया जाता है। डा० लोहिया की देशभक्ति की आलोचना की जाती है, जिन्होंने देश के लिए अनेक कष्ट उठाए और अपने शरीर को बर्फ की सिल्लियों पर रखा जाने दिया। आज जो हाकिम बने हैं वे उनकी देशभक्ति की आलोचना करते हैं। इसी तरह से उड़ीसा में एम० एल० एज़ को गिरफ्तार किया है। वहां सूखा पड़ा था। किसानों की फसल नहीं हुई थी फिर भी उनसे चन्दा लिया जा रहा था। उन्होंने भाषण दिया और ज्योंही वे भाषण दे कर उतरे उनको गिरफ्तार कर लिया गया जैसे कि उनको गिरफ्तार करने की कोई प्लान पहले से मुनज्जम हो।

आपने मुझे दस मिनट का समय दिया है इसलिए मैं इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं आपके मारफत यह अर्ज करना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब यह ख्याल कर लें कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जितना वक्त उनकी पार्टी के लिए है वह सारा ले लें। मुझे ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उनके लीडर ने कहा है कि उनको दस मिनट का वक्त दिया जाए।

श्री बागड़ी : मैं आपके मारफत इस सदन को राष्ट्रपिता बापू के शब्दों की याद दिलाना चाहता हूं। आज़ादी के पहले वह कहा करते थे कि मैं १२० साल जीना चाहता हूं। लेकिन

[श्री बागड़ी]

आजादी के ६ महीने के बाद ही वह कहने लगे थे कि अब तो मैं चाहता हूं कि इस संसार से उठ जाऊं । हमारे शासकों ने बापू की बातों की, जिन पर सारी दुनिया चलती थी, परवाह नहीं की । बापू कहा करते थे कि जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं वह न हिन्दुस्तान का हित करते हैं, न अपना हित करते हैं और न अपने बच्चों का हित करते हैं ।

मैं आपके मारफत अर्ज कर देना चाहता हूं कि हम सौगन्ध लेते हैं अपने संविधान के मुताबिक कि हम संविधान की और अपनी राष्ट्रभाषा की रक्षा करेंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले १५ वर्षों में कांग्रेस सरकार के मातहत हिन्दी उतनी तरक्की नहीं कर पायी जितनी कि उसको करनी चाहिए थी । बल्कि वह पीछे की तरफ जा रही है । राष्ट्रपति ने इस ओर कोई इशारा नहीं किया कि कांग्रेस सरकार हिन्दी को पीछे हटाकर अंग्रेज़ी को हमारे ऊपर ठूंस रही है । मैं आपके मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हिन्दुस्तान की करोड़ों गरीब जनता को चुनौती देते हैं । जिनकी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी है, उनको कहते हैं कि हम निपट लेंगे हिन्दी बोलने वालों से और इन भाषा वालों से । मैं हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी आप हमसे ऐसा क्यों कहते हैं, हम तो आपके साथ हैं । हमसे बाद में निपट लेना । अगर निपटना है तो उनसे पहले निपटिए जिनसे आपने पंचशील का प्रोग्राम किया था और जिनके साथ हिन्दी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था । उनसे निपटिए जिन्होंने हमारी और आपकी गैरत को चैलेंज किया है । उनसे आप निपटिए । जो गरीब आदमी इस देश का, जो आपको सलाम करता है, अगर वह भूखा और नंगा होता है और आपसे अपनी बात कहता है तो उसके लिए पुलिस का डंडा है और जेल की काली कोठरी है ।

इन चन्द एक शब्दों के साथ एक बात कहते हुए अपना स्थान लेता हूं कि यह डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स यदि देश के बचाव के लिए इस्तेमाल किये जायें तो अच्छा और उचित है । लेकिन इस डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का इस्तेमाल कांग्रेसी सरकार का बचाव करने के लिए इस्तेमाल न किया जाय जैसा कि किया जा रहा है ।

[इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २१ फरवरी, १९६३/फाल्गुन २, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई] ।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २० फरवरी, १९६३ / १ फाल्गुन, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		१३७–६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
३१	विश्वविद्यालयों की स्थापना	१३७–३८
३२	राष्ट्रमण्डल विज्ञान समिति	१३८–३९
३३	आपातकाल में शिक्षा	१३९–४१
३४	आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	१४१–४४
३५	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१४४–४७
३६	वैज्ञानिक अनुसन्धान का समन्वय	१४७–४९
३७	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	१४९–५१
३८	परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी	१५१–५२
३९	भ्रष्टाचार निरोध मन्त्रणा समिति	१५२–५७
४०	रद्दी अभ्रक	१५७–५९
४१	आदिम जातीय खण्ड (ट्राइबल ब्लाक्स)	१५९–६१
४२	चीनी राष्ट्रजनों की नजरबन्दी	१६१–६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		१६३–८६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३	भारत प्रतिरक्षा नियम	१६३
४४	प्रो० ब्लेकेट का भारत का दौरा	१६३–६४
४५	दक्षिण भारत में चौथा तेल शोधक कारखाना	१६४–६५
४६	संध्याकालीन कालिज	१६५
४७	खानों का सर्वेक्षण	१६५–६६
४८	कुछ समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही	१६६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या

४६	होम गार्ड	१६७
५०	योग्य छात्रों को ऋण	१६७
५१	पश्चिमी बंगाल में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के मामलों का पुनर्विलोकन	१६८
५२	अंकलेश्वर का तेल	१६८
५३	पारिभाषिक शब्द संग्रह	१६८–६९
५४	कोयले के संग्रहागार . .	१६९
५५	राजस्थान में भारत पाक सीमा . . .	१६९–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या

५१	ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण संस्थाएं . . .	१७०
५२	केन्द्रीय सचिवालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या . . .	१७०
५३	लक्कादीव द्वीपों में फासफेट नमक . . .	१७०–७१
५४	बिहार के खनिज सर्वेक्षण . . .	१७१
५५	कोयले का वितरण	१७१
५६	कर्मचारियों द्वारा उनके अन्य पदों पर नियुक्त हो जाने पर त्याग पत्र देना	१७१–७२
५७	विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग की इमारत .	१७२
५८	दिगबोई तेल शोधक कारखाना . . .	१७२
५९	हायर सैकेंडरी शिक्षा की रूसी प्रणाली .	१७३
६०	दिल्ली में भिक्षा मांगने की रोकथाम .	१७३
६१	हवाई हमले से बचाव . . .	१७३
६२	स्टैनोग्राफरों की नियुक्ति . . .	१७४
६३	संगीत नाटक अकादमी	१७४
६४	प्राइमरी तथा सैकेंडरी स्कूल अध्यापकों के लिए वेतन आयोग .	१७४
६५	कोयले से गैस बनाने का संयंत्र	१७५
६६	लौह अयस्क चूर्ण .	१७५–७६
६७	राजस्थान का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	१७६–७७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६८	जैसलमेर में तेल की खोज	१७७
६९	उत्तर प्रदेश में थारू और भुक्सा जातियां . .	१७७–७८
७०	मन्त्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा	१७८
७१	दिल्ली पुलिस के धन का दुरुपयोग .	१७८–७९
७२	स्कूल शिक्षा के लिए ग्यारह वर्ष का पाठ्यक्रम .	१७९
७३	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	१७९
७४	दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	१७९
७५	विकलांग बच्चे . .	१७९–८०
७६	पंजाब में भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	१८०
७७	कटिहार सब-डिवीज़न में पैट्रोल तथा तेल की खोज .	१८०–८१
७८	पासी जाति का अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना	१८१
७९	उत्तर प्रदेश में तेल का अनुसन्धान . .	१८१
८०	विदेशों को भेजे जाने वाले सांस्कृतिक व प्रतिनिधि मण्डल .	१८१
८१	अवाडी में प्राकृतिक गैस . . .	१८२
८२	दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय और स्कूलों के पुस्तकालय	१८२
८३	दिल्ली के माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास पढ़ाने की व्यवस्था	१८२–८३
८४	शिक्षा मन्त्रालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकें	१८३
८५	राष्ट्रीय खेल कूद संस्था, पटियाला .	१८३–८४
८६	लड़कियों की शिक्षा . .	१८४
८८	सरकारी कर्मचारियों के लिए विद्यालय	१८४
८९	कोयले के सम्भरण की कमी	१८५
९१	कालाकोट कोयला खानें .	१८५–८६
९२	विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	१८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १८७

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने सोना नियन्त्रण आदेश के लागू किये जाने के फलस्वरूप कारीगरों और स्वर्णकारों में कथित बेकारी की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया।

वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७
(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७२ में प्रकाशित कोयला-खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति ।	
(२) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत, दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०४ में प्रकाशित खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।	
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित	१८७—८८
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।	
सभापति-तालिका	१८८
अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि उन्होंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति-तालिका का सदस्य मनोनीत किया है :— (१) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (२) श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवे ी (३) श्री एम० तिरुमल राव (४) श्री खाडिलकर (५) डा० स ोजिनी महिषी	
कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	१८८
बारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	१८८—२३४
श्री रा० शि० पाण्डेय ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । ड० गा० ला० राव ने उसका अनुमोदन किया । धन्यवाद के प्रस्ताव पर ९ संशोधन प्रस्तुत किये गये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	

गुरुवार २१ फरवरी, १९६३/२ फाल्गुन, १८७४ (शक)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा

GMGIPND—LSIII—2802—(Ai) LSD—21-3-63—140.